

1. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 1(1) के अनुसार इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है?
 - (क) भारतीय नागरिक विधि संहिता, 2023
 - (ख) भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 2023
 - (ग) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
 - (घ) भारतीय विधि संहिता, 2023

2. बी.एन.एस.एस.अधिनियम 2023 की धारा 1(2) के अनुसार किन राज्यों या क्षेत्रों पर संहिता के कुछ प्रावधान लागू नहीं होते?
 - (क) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख
 - (ख) मेघालय और मिज़ोरम
 - (ग) नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र
 - (घ) अरुणाचल प्रदेश और असम

3. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 1(2) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का क्या आशय है?
 - (क) 1972 के बाद बने सभी अनुसूचित क्षेत्र
 - (ख) वह क्षेत्र जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित थे
 - (ग) केवल शिलांग की नगरपालिका सीमा
 - (घ) पूर्वोत्तर के सभी राज्य

4. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 1(3) के अनुसार यह अधिनियम किस प्रकार प्रभाव में लाया जाएगा?

- (क) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा
- (ख) सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से
- (ग) संसद में बहस के उपरांत
- (घ) केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से

5. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 1 के अनुसार नागालैंड या जनजातीय क्षेत्रों में संहिता के अध्याय 9, 11 व 12 से सम्बन्धित प्रावधान लागू किए जा सकते हैं यदि—

- (क) भारत के राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करें
- (ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इन्हें लागू करे
- (ग) राज्यपाल इसकी अनुमति दे
- (घ) संसद विशेष प्रस्ताव पारित करे

6. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 6 के अनुसार, राज्य में अपराधिक न्यायालयों की कौन-कौन सी श्रेणियाँ होती हैं?

- (क) उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और कार्यकारी मैजिस्ट्रेट
- (ख) सेशन न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट

- (ग) पंचायत न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कार्यकारी मैजिस्ट्रेट
- (घ) केवल उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय

7. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 10(1) के अनुसार, प्रत्येक जिले में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
- (क) राज्य सरकार
 - (ख) केंद्र सरकार
 - (ग) उच्च न्यायालय
 - (घ) जिला न्यायाधीश
8. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 11(2) के अनुसार, विशेष न्यायिक मैजिस्ट्रेट को अधिकतम कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है?
- (क) तीन वर्ष
 - (ख) दो वर्ष
 - (ग) एक वर्ष
 - (घ) छह माह
9. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 14(1) के अनुसार, प्रत्येक जिले में कार्यपालिका मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है?
- (क) उच्च न्यायालय

(ख) राज्य सरकार

(ग) राष्ट्रपति

(घ) केंद्र सरकार

10. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 14(2) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट किन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं?

(क) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ

(ख) जिला मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ

(ग) पुलिस अधीक्षक की शक्तियाँ

(घ) लोक अभियोजक की शक्तियाँ

11. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 14(6) के अनुसार, राज्य सरकार किसे कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है?

(क) नगर निगम आयुक्त

(ख) पुलिस कमिश्नर

(ग) लोक अभियोजक

(घ) उच्च न्यायालय

12. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 15 के अनुसार, विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के रूप में कौन नियुक्त हो सकता है?

(क) कोई भी वकील

(ख) संसद सदस्य

(ग) पुलिस अधीक्षक या कार्यकारी मैजिस्ट्रेट

(घ) कोई भी प्रशासनिक क्लर्क

13. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 15 के तहत विशेष कार्यकारी मैजिस्ट्रेट को किन मामलों के लिए शक्तियाँ दी जा सकती हैं?
- (क) केवल चुनाव कार्यों के लिए
 - (ख) विशिष्ट क्षेत्रों या कार्यों के लिए
 - (ग) केवल ग्रामीण अपराधों के लिए
 - (घ) केवल विशेष अधिनियमों के तहत
14. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 18 के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति कौन करता है?
- (क) राज्य सरकार
 - (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय
 - (ग) केंद्रीय सरकार
 - (घ) उपराज्यपाल
15. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 18 के तहत, जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक के लिए तैयार किए गए पैनल में नाम न होने पर क्या राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है?
- (क) हाँ, बिना शर्त

- (ख) नहीं, यह पूरी तरह से वर्जित है
- (ग) केवल जब कैडर में उपयुक्त व्यक्ति न हो
- (घ) उच्च न्यायालय की अनुमति से

16. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 18(8) के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए, किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम कितने वर्षों के विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए?
- (क) सात वर्ष
 - (ख) पाँच वर्ष
 - (ग) दस वर्ष
 - (घ) बारह वर्ष
17. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 18(8) के अनुसार, क्या पीड़ित अभियोजन की सहायता के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रख सकता है?
- (क) जब मामला सत्र न्यायालय में हो
 - (ख) जब अभियोजन की अनुमति हो
 - (ग) न्यायालय की अनुमति से
 - (घ) स्वतः
18. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 19(3) के अंतर्गत, किसी विशिष्ट मामले में, सहायक लोक अभियोजक की अनुपलब्धता में

जिला मैजिस्ट्रेट ऐसे मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक किसे नियुक्त कर सकता है?

(क) कोई भी पुलिस अधिकारी

(ख) उच्च न्यायालय के नामित अधिवक्ता

(ग) राज्य सरकार को 14 दिन की सूचना देने के पश्चात, किसी अन्य व्यक्ति को

(घ) न्यायिक मैजिस्ट्रेट

19. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 18(6) के अंतर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, "अभियोजन अधिकारी" किसे कहा गया है?

(क) केवल विशेष लोक अभियोजक

(ख) केवल सहायक लोक अभियोजक

(ग) जो कोई भी अभियोजन का कार्य करे

(घ) लोक अभियोजक, और विशेष लोक अभियोजक, अपरलोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक

20. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 19(3) के अनुसार, पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक के रूप में कब नियुक्त नहीं किया जा सकता?

(क) जब वह निरीक्षक से नीचे के पद पर हो

(ख) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है

- (ग) उपरोक्त दोनों
- (घ) कभी भी नहीं

21. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 18 के अनुसार, क्या किसी लोक अभियोजक को एक से अधिक जिलों के लिए नियुक्त किया जा सकता है?

- (क) नहीं
- (ख) केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से
- (ग) हाँ, राज्य सरकार द्वारा
- (घ) केवल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से

22. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 19 के अनुसार, क्या केंद्रीय सरकार भी सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है?

- (क) नहीं
- (ख) केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से
- (ग) हाँ, मैजिस्ट्रेट न्यायालयों में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए
- (घ) केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर

23. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 30 के अनुसार, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की तुलना में उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी किन सीमाओं में अपनी शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है?

- (क) केवल उसी पुलिस थाने के भीतर
- (ख) केवल जिला सीमा में
- (ग) पूरे स्थानीय क्षेत्र में जहाँ वह नियुक्त है
- (घ) केवल न्यायालय की अनुमति से

24. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 31 के अनुसार, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से अपराधी की गिरफ्तारी में सहायता माँगे, तो उस व्यक्ति की क्या कानूनी स्थिति होगी?

- (क) सहायता अनिवार्य नहीं है
- (ख) केवल मुआवजे पर सहायता देगा
- (ग) कानूनी रूप से सहायता देना अनिवार्य है
- (घ) केवल यदि वह सरकारी कर्मचारी हो

25. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 31 के अंतर्गत किन मामलों में सार्वजनिक सहायता अनिवार्य है?

- (क) सिर्फ गिरफ्तारी में
- (ख) शांति भंग की रोकथाम में
- (ग) सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने में
- (घ) उपरोक्त सभी में

26. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 32 के अंतर्गत जब कोई वारंट तामील के लिये पुलिस अधिकारी के अलावा किसी व्यक्ति को

संबोधित किया गया हो, तो कोई अन्य व्यक्ति कब उसकी सहायता कर सकता है?

(क) जब वारंटधारी व्यक्ति उसके संपर्क में न हो

(ख) जब वारंटधारी तामील की कार्रवाई कर रहा हो और पास में हो

(ग) केवल मैजिस्ट्रेट के आदेश से

(घ) तभी जब पुलिस साथ में हो

27. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 33(1) के अन्तर्गत, भारत की किस संहिता के अपराधों की जानकारी देना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है?

(क) केवल हत्या से संबंधित

(ख) केवल आर्थिक अपराधों से संबंधित

(ग) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अपराध

(घ) केवल उन अपराधों की जो न्यायालय में लंबित हों

28. यदि कोई अपराध भारत से बाहर हुआ हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 33 के अनुसार, क्या उस अपराध की जानकारी देना आवश्यक है?

(क) नहीं

(ख) केवल यदि भारतीय नागरिक ने किया हो

(ग) हाँ, यदि वह भारत में अपराध माना जाता है

(घ) तभी जब विदेश मंत्रालय आदेश दे

29. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 34(1) अनुसार, गाँव का कौन-सा व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति की उपस्थिति की सूचना अपने निकटतम पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी या मैजिस्ट्रेट को देने का उत्तरदायी है?
- (क) केवल ग्राम प्रधान
 - (ख) केवल स्थानीय पुलिस
 - (ग) ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति व ग्राम के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित प्रत्येक अधिकारी
 - (घ) केवल न्यायालय अधिकारी
30. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 34(1)(c) के अनुसार, गाँव के निवासी को किन अपराधों की सूचना अपने निकटतम पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी या मैजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य है?
- (क) सभी जमानतीय अपराध
 - (ख) गैर-जमानती अपराध एवं धारा 189 और 191 BNS 2023 से संबंधित अपराध
 - (ग) केवल संपत्ति से संबंधित अपराध
 - (घ) केवल यातायात अपराध
31. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 34 के अंतर्गत 'गाँव' की परिभाषा में क्या शामिल है?
- (क) केवल नगर पंचायत
 - (ख) केवल शहरी क्षेत्र
 - (ग) ग्राम की भूमि सहित पूरा क्षेत्र

(घ) केवल ग्राम सभा

32. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 33 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति धारा 178 से 182 तक के अपराध की योजना से अवगत हो, तो उसे क्या करना चाहिए?

(क) पुलिस को सूचित करना वैकल्पिक है

(ख) निकटतम मैजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी को सूचित करे

(ग) केवल उच्च न्यायालय को सूचित करें

(घ) मीडिया को सूचित करें

33. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 34(1)(d) के अनुसार, यदि किसी गाँव में किसी व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है, तो किसे सूचित करना होता है?

(क) पुलिस अधीक्षक

(ख) मीडिया चैनल

(ग) निकटतम मैजिस्ट्रेट या थाना अधिकारी को

(घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

34. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 34 के अनुसार, जब कोई गाँववासी किसी व्यक्ति के बारे में संदेह करता है कि उसने गैर-जमानतीय अपराध किया है, तो उसे क्या करना चाहिए?
- (क) पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है
 - (ख) कोई कार्रवाई नहीं
 - (ग) सोशल मीडिया पर डालना
 - (घ) अदालत में याचिका दायर करना
35. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 31 के तहत जनता किस परिस्थिति में मैजिस्ट्रेट या पुलिस को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी में सहायता करने के लिए बाध्य होता है?
- (क) केवल कोर्ट के आदेश पर
 - (ख) जब मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सहायता मांगे
 - (ग) जब अपराधी भारी हथियार से लैस हो
 - (घ) जब मीडिया रिपोर्ट हो
36. एक गाँव का निवासी बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 34(1)(b) के अनुसार, कब जानकारी देने के लिए बाध्य है?
- (क) जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति गाँव में आए
 - (ख) जब कोई सजायाफ्ता अपराधी गाँव में प्रवेश करे
 - (ग) जब कोई गरीब व्यक्ति गाँव में ठहरे
 - (घ) जब पंचायत आदेश दे

37. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 34(1)(f) के अनुसार, कौन-सा प्राधिकारी व्यवस्था बनाये रखने या अपराध के निवारण से सम्बन्धित निर्देश जारी कर सकता है जिससे गाँववासी को सूचना देना आवश्यक हो जाता है?
- (क) संसद
 - (ख) राज्यपाल
 - (ग) जिला मैजिस्ट्रेट
 - (घ) गृह सचिव
38. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 33 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की आपराधिक योजना से अवगत है, तो क्या वह जानकारी छुपा सकता है?
- (क) हाँ, जब तक उससे संबंध न हो
 - (ख) नहीं, जानकारी उसे तुरंत निकटतम मैजिस्ट्रेट/ पुलिस को देनी होगी
 - (ग) हाँ, अगर वह रिश्तेदार हो
 - (घ) केवल जब आरोपी नाबालिग हो
39. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 34(1)(c) के अनुसार, ग्राम में नियोजित अधिकारियों को निम्न में से किस प्रकार के अपराधों की सूचना तुरंत निकटतम मैजिस्ट्रेट/ पुलिस को देना अनिवार्य है?
- (क) जमानती अपराध

(ख) गैर-जमानती अपराध

(ग) आर्थिक अपराध

(घ) यातायात अपराध

40. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 31 के अनुसार, क्या कोई पुलिस अधिकारी अधिकारिक रूप से जनता से सहायता की मांग कर सकता है?

(क) नहीं

(ख) हाँ, यदि औचित्य हो

(ग) केवल न्यायालय के आदेश से

(घ) केवल अपने वरिष्ठ के आदेश से

41. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, तो क्या किया जा सकता है?

(क) उसे वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

(ख) उसे पहले मैजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी

(ग) उसे वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है

(घ) केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है

42. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 के तहत, पुलिस अधिकारी को निम्न में से किन परिस्थितियों में कारण लिखित रूप में दर्ज करने होते हैं?

- (क) जब वह न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तारी करता है
- (ख) जब वह गिरफ्तारी नहीं करता है
- (ग) जब वह संदेह करता है
- (घ) जब वह जमानत देता है

43. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 के अंतर्गत, सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है?

- (क) केवल शिकायत प्राप्त होनी चाहिए
- (ख) मैजिस्ट्रेट की अनुमति
- (ग) समुचित अन्वेषण, अपराध की पुनरावृत्ति रोकना ईत्यादि
- (घ) आरोपी की सहमति

44. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के नोटिस के निबन्धनों की अवहेलना करता है और अपनी पहचान प्रकट करने का अनिच्छु है, तो उसके विरुद्ध पुलिस अधिकारी द्वारा निम्न में से क्या किया जा सकता है?

- (क) उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है
- (ख) उसे नजरबंद किया जा सकता है
- (ग) उसे दंडित किया जा सकता है
- (घ) उसे गिरफ्तार किया जा सकता है

45. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालता है, तो क्या किया जा सकता है?
- (क) केवल चेतावनी दी जा सकती है
 - (ख) मैजिस्ट्रेट की अनुमति से गिरफ्तारी
 - (ग) वारंट के बिना गिरफ्तारी
 - (घ) गिरफ्तारी तभी संभव है जब अपराध सिद्ध हो
46. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति चोरी की वस्तु के साथ पकड़ा जाए और संदेह हो कि वह अपराध से जुड़ा है, तो निम्न में से क्या कार्रवाई की जा सकती है?
- (क) केवल पूछताछ
 - (ख) न्यायालय की अनुमति
 - (ग) तुरंत गिरफ्तारी
 - (घ) नजरबंदी
47. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 के अनुसार, क्या ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जो भारत के बाहर ऐसा कृत्य करे जो भारत में अपराध होता, यदि.....?
- (क) उसके पास पासपोर्ट न हो
 - (ख) वह सीमा पार करते समय पकड़ा जाए
 - (ग) वह प्रत्यर्पण कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी योग्य हो
 - (घ) उसने कोई अपील दायर न की हो

48. यदि किसी अन्य पुलिस अधिकारी से किसी व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु मांग प्राप्त होती है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 के अंतर्गत, उसमें निम्न में से क्या आवश्यक है?
- (क) आदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त हो
 - (ख) मांग लिखित यामौखिकरूप में हो और अपराध व अपराधी का उल्लेख हो
 - (ग) आरोपी को पूर्व सूचना दी जाए
 - (घ) गिरफ्तारी मैजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हो
49. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1) के अंतर्गत, पुलिस अधिकारी बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के निम्न में से किन परिस्थितियों में व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है?
- (क) जब अपराध गैर-संज्ञेय हो
 - (ख) जब अपराध संज्ञेय और पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में हो
 - (ग) जब अपराध असंज्ञेय हो और कोई सूचना न हो
 - (घ) जब अपराध मात्र सूचना के आधार पर अनुमानित हो
50. सात वर्ष तक की सजा वाले संज्ञेय अपराध के मामले में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(b) के अनुसार निम्न में से क्या आवश्यक है?
- (क) न्यायालय की अनुमति
 - (ख) मैजिस्ट्रेट का आदेश

(ग) पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के औचित्य का लिखित उल्लेख

(घ) पीड़ित की अनुमति

51. पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(b)(ii) के अन्तर्गत निम्न में से किन कारणों से आवश्यक मान सकता है?

(क) आरोपी को डराना

(ख) राजनीतिक दबाव

(ग) साक्ष्य मिटाने से रोकना या अपराध की पुनरावृत्ति रोकना

(घ) उच्च अधिकारी की अनुमति

52. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(c) के अनुसार निम्न में से किन अपराधों के लिए बिना वारंट गिरफ्तारी संभव है?

(क) केवल जमानती अपराध

(ख) सात वर्ष से अधिक सजा वाले संज्ञेय अपराध

(ग) केवल ट्रैफिक उल्लंघन

(घ) केवल महिला अपराधी

53. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(d) के अन्तर्गत, पुलिस किसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है?

(क) पूर्व अपराधियों के परिवारजन को

(ख) समाजसेवी को

- (ग) उद्धोषित अपराधी को
- (घ) न्यायालय के गवाह को

54. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(e) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के कब्जा में निम्न में से किन वस्तुओं की बरामदगी पर व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है?

- (क) किताबें
- (ख) संदिग्ध चोरी की वस्तु
- (ग) सरकारी दस्तावेज़
- (घ) मोबाइल फोन

55. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(f) के अन्तर्गत निम्न में से किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति की बिना वारण्ट गिरफ्तारी संभव है?

- (क) पुलिस से पूछताछ में चुप रहना
- (ख) पुलिस को सहयोग न देना
- (ग) वैध हिरासत से भागना या भागने का प्रयास करना
- (घ) न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करना

56. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(g) निम्न में से किस आधार पर बिना वारण्ट गिरफ्तारी की अनुमति दी गई है?

- (क) सरकारी नौकरी छोड़ना
- (ख) चुनाव हारना

- (ग) सेना से भगोड़ा होना
- (घ) विदेश यात्रा करना

57. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(h) के अंतर्गत भारत के बाहर किए गए किस प्रकार के कृत्य के लिए बिना वारण्ट गिरफ्तारी संभव है?

- (क) सामाजिक सेवा
- (ख) वैध व्यापार
- (ग) ऐसा कार्य जो भारत में अपराध माना जाए
- (घ) खेल प्रतियोगिता में भाग लेना

58. पुलिस अधिकारी को बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(j) के अन्तर्गत निम्न में से किस प्रकार से बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है?

- (क) जब कोई गुप्त सूचना मिले
- (ख) जब अन्य पुलिस अधिकारी मौखिक या लिखित अनुरोध करे
- (ग) जब आरोपी न्यायालय में पेश न हो
- (घ) जब आरोपी मीडिया में हो

59. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के तहत, एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय निम्न में से किन-किन बातों का पालन करना आवश्यक है?

- (क) नाम की पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना

- (ख) गिरफ्तारी का ज़ापन तैयार करना
- (ग) गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों की जानकारी देना
- (घ) उपरोक्त सभी

60. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 के अनुसार, पुलिस जिला नियंत्रण कक्ष पर सूचना संधारण हेतु पुलिस नियंत्रण कक्ष में नियुक्त अधिकारी का न्यूनतम पद क्या होना चाहिए?
- (क) पुलिस अधीक्षक
 - (ख) सहायक उप-निरीक्षक
 - (ग) निरीक्षक
 - (घ) उप-निरीक्षक
61. जब किसी व्यक्ति से पूछताछ की जा रही हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 के तहत उस व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार कब तक प्राप्त है?
- (क) हर समय
 - (ख) केवल गिरफ्तारी से पहले
 - (ग) पूछताछ के दौरान लेकिन पूरी पूछताछ के समय नहीं
 - (घ) केवल न्यायालय में
62. जब कोई व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करे और पुलिस के पूछने पर अपना नाम व पता नहीं बताता है या गलत

जानकारी देता है, तो वह पुलिस अधिकारी बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के अंतर्गत निम्न में से क्या कर सकता है?

(क) हिरासत में ले सकता है

(ख) उसे रिहा कर सकता है

(ग) बिना जानकारी लिए उसे अदालत भेज सकता है

(घ) केवल नोटिस जारी कर सकता है

63. यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध करते हुये को गिरफ्तार करता है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 के अन्तर्गत उसे गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने समय में पुलिस को सौंपना अनिवार्य है?

(क) दो घंटे

(ख) बारह घंटे

(ग) छह घंटे

(घ) चौबीस घंटे

64. जब किसी मैजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41 के अन्तर्गत वह क्या कर सकता है?

(क) अपराधी को चेतावनी दे सकता है

(ख) उसे स्वयं गिरफ्तार कर सकता है

(ग) केवल रिपोर्ट लिख सकता है

(घ) उसे पुलिस स्टेशन भेज सकता है पर गिरफ्तारी नहीं कर सकता

65. केन्द्रीय सशस्त्र बल के सदस्यों को आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वाहन करने में अपने द्वारा की गई किसी बात के लिये बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42 के तहत निम्नलिखित में से बिना किसकी अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है?
- (क) राज्य सरकार
 - (ख) केंद्रीय गृह मंत्रालय
 - (ग) जिला मैजिस्ट्रेट
 - (घ) केंद्रीय सरकार
66. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43(3) के अनुसार, निम्न में से किन मामलों में गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का उपयोग किया जा सकता है?
- (क) किसी भी गिरफ्तारी में
 - (ख) केवल महिला अपराधियों के लिए
 - (ग) गंभीर, संगठित, आतंकवाद वहत्या इत्यादि अपराधों में
 - (घ) सभी गैर-जमानती अपराधों में
67. यदि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिये किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है। एसी परिस्थिती में गिरफ्तारी के लिए प्रवेश की अनुमति न मिले, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44 के अनुसार पुलिस क्या कर सकती है?
- (क) केवल प्रतीक्षा कर सकती है

- (ख) न्यायालय से आदेश से प्रवेश
- (ग) दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर सकती है
- (घ) स्थान छोड़ देना होगा

68. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 46 के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति पर कितना अवरोध लगाया जा सकता है?
- (क) जितना भी संभव हो
 - (ख) केवल पूछताछ के दौरान
 - (ग) अत्यधिक अवरोध किया जा सकता है
 - (घ) निकल भागने से रोकने के लिये जितना आवश्यकता है
69. गिरफ्तारी का मेमोरेंडम बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 (ख)के अंतर्गत निम्न में से किसके हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित किया जाता है?
- (क) केवल पुलिस अधीक्षक
 - (ख) उस क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति जहां गिरफ्तारी की गई हो
 - (ग) गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी
 - (घ) जिला मैजिस्ट्रेट
70. यदि गिरफ्तारी मेमोरेंडम गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित नहीं है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के अनुसार पुलिस को क्या करना आवश्यक है?
- (क) उच्च न्यायालय को सूचना देना

(ख) व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देना

(ग) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताये व्यक्ति को सूचित करना

(घ) मैजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना

71. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 के अंतर्गत, राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करना आवश्यक है?

(क) लोक अभियोजक कार्यालय

(ख) मैजिस्ट्रेट अदालत

(ग) पुलिस नियंत्रण कक्ष

(घ) न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र

72. गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 के अनुसार क्या अधिकार होता है?

(क) मैजिस्ट्रेट से बात करने का

(ख) परिवार से मिलने का

(ग) अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का

(घ) गुप्त स्थान पर भेजे जाने का

73. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39(3) के अंतर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का नाम और पता 24 घंटे के भीतर ज्ञात नहीं होता तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी?

(क) उसे स्थायी रूप से हिरासत में लिया जाएगा

(ख) निकटतम मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा

(ग) जमानत दी जाएगी

(घ) अन्य थाने में स्थानांतरित किया जाएगा

74. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 के अनुसार एक प्राइवेट व्यक्ति निम्न में से किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है?

(क) कोई भी अपराध होते समय

(ख) जमानती अपराध के दौरान

(ग) गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध होते समय

(घ) केवल सरकारी आदेश पर

75. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40(2) के अन्तर्गत गिरफ्तारी की प्रक्रिया में यदि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि व्यक्ति बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन आता है, तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा?

(क) व्यक्ति को रिहा करेगा

(ख) व्यक्ति को तुरंत मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा

(ग) व्यक्ति को हिरासत में लेगा

(घ) उसका बयान दर्ज करेगा

76. यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार करके पुलिस को सौंपा जाता है और पुलिस के पास पर्याप्त कारण न हो कि उसने

अपराध किया है, तो प्राइवट गिरफ्तारी के बाद बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40(3) के अनुसार पुलिस निम्न में से क्या कार्यवाही करेगी?

- (क) उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा
- (ख) तुरंत रिहा किया जाएगा
- (ग) मैजिस्ट्रेट के आदेश से रोका जाएगा
- (घ) नोटिस देकर छोड़ा जाएगा

77. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41(2) के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट कब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है?

- (क) केवल पुलिस की अनुशंसा पर
- (ख) यदि वह वारण्ट जारी करने में सक्षम है
- (ग) यदि वह गिरफ्तारी के लिए सक्षम हो
- (घ) अपराधी के आवेदन पर

78. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42(1) के अनुसार, केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना सशस्त्र बल के सदस्य को कब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता?

- (क) जब वह छुट्टी पर हो
- (ख) जब उसने वर्दी में अपराध किया हो
- (ग) जब उसने अपने कर्तव्य पालन में कोई कार्य किया हो

(घ) जब वह पुलिस अधिकारी हो

79. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42(2) के अनुसार राज्य सरकार किन बलों को गिरफ्तारी से संरक्षण दे सकती है?

(क) सशस्त्र सेना

(ख) पुलिस बल

(ग) जनजातीय गार्ड

(घ) लोक अभियोजन बल

80. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43(1) के अनुसार गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी किस स्थिति में शरीर को स्पर्श नहीं करेगा?

(क) जब गिरफ्तारी के लिए वारंट हो

(ख) जब व्यक्ति महिला हो और पुलिस अधिकारी महिला न हो

(ग) जब अपराध जमानती हो

(घ) जब गिरफ्तारी मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई हो

81. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43(3) के अनुसार किन अपराधों में गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है?

- (क) केवल चोरी के मामलों में
- (ख) मामूली अपराधों में
- (ग) संगठित अपराध, हत्या, बलात्कार आदि में
- (घ) जब अपराधी नाबालिग हो

82. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43(5) के अनुसार महिला की गिरफ्तारी सामान्यतः किस समय नहीं की जानी चाहिए?

- (क) दिन में
- (ख) रात 8 बजे से पहले
- (ग) सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले
- (घ) दोपहर 12 बजे

83. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44(1) के अनुसार जब गिरफ्तारी के लिए कोई व्यक्ति किसी स्थान में छिपा हो, तो घर के मालिक/ निवासी का क्या कर्तव्य है?

- (क) पुलिस को बाहर से निगरानी करने देना
- (ख) पुलिस को अंदर आने देना और तलाशी की सुविधा देना
- (ग) दरवाजा बंद रखना
- (घ) उसे स्वयं पकड़ना

84. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44(2) के अन्तर्गत जब अपराधी किसी बन्द स्थान में प्रविष्ट हो गया हो तो निम्न में से किस परिस्थिति में पुलिस दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर सकती है?
- (क) जब दरवाजा लॉक हो
 - (ख) जब आदेश पत्र न मिले
 - (ग) जब प्रवेश की अनुमति न मिले
 - (घ) जब अधिकारी महिला हो
85. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44(2) के अनुसार यदि अपराधी किसी बन्द स्थान में प्रविष्ट हो गया हो घर में कोई ऐसी महिला हो जो सार्वजनिक रूप से नहीं आती, तो पुलिस को क्या करना चाहिए?
- (क) उसे नजरअंदाज कर देना
 - (ख) सीधे प्रवेश करना
 - (ग) उसे हटने का अवसर देना
 - (घ) पुरुष अधिकारी को भेजना
86. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44(3) के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी को स्वयं को किस स्थिति में मुक्त कराने के लिए दरवाजा तोड़ने की अनुमति है?

- (क) जब वह थक गया हो
- (ख) जब वह अंधेरे में हो
- (ग) जब वह गिरफ्तारी के लिए गए हों और भीतर रोके गए हों
- (घ) जब अपराधी मित्र हो

87. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 45 के अनुसार पुलिस अधिकारी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए कहाँ तक पीछा कर सकता है?

- (क) केवल अपने जिले तक
- (ख) केवल राज्य के अंदर
- (ग) पूरे भारत में
- (घ) पुलिस मुख्यालय तक

88. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 46 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति पर कितना प्रतिबंध लगाया जा सकता है?

- (क) अत्यधिक जबरदस्ती
- (ख) आवश्यक से अधिक नहीं
- (ग) जीवन के लिए खतरा
- (घ) जंजीर बांधना

89. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43(1) के अन्तर्गत महिला की गिरफ्तारी प्रक्रिया के सम्बन्धमें निम्न में से कौन सा कथन सही है?
- (क) महिला को पकड़ना अनिवार्य है
 - (ख) महिला की मौखिक सहमति को गिरफ्तारी माना जाएगा
 - (ग) महिला को रात में ही गिरफ्तार किया जाएगा
 - (घ) महिला की गिरफ्तारी मैजिस्ट्रेट के आदेश पर ही होगी
90. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39(2) के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और पता ज्ञात होने पर उस व्यक्ति का क्या किया जाएगा?
- (क) उसे बिना शर्त रिहा किया जाएगा
 - (ख) उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा
 - (ग) उसे बांड पर छोड़ दिया जाएगा
 - (घ) उसे थाने में रखा जाएगा
91. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति यदि भारत का निवासी न हो तो उसे क्या प्रस्तुत करना होगा?
- (क) पासपोर्ट
 - (ख) वीजा

- (ग) भारत का रहने वाला जमानती
- (घ) कोर्ट की अनुमति

92. गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अतिरिक्त बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के अनुसार किन लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए?

- (क) केवल पुलिस अधिकारी
- (ख) पुलिस अधिकारी और पीड़ित
- (ग) गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या स्थानीय व्यक्ति
- (घ) मैजिस्ट्रेट

93. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36(c) के अनुसार यदि गिरफ्तारी ज्ञापन में गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर सम्भव नहीं हैं, तो गिरफ्तार व्यक्ति का क्या अधिकार है?

- (क) उसे मौन रहने का अधिकार है
- (ख) वह मैजिस्ट्रेट से मिल सकता है
- (ग) वह किसी नामित व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार रखता है
- (घ) वह स्वयं को छुड़ा सकता है

94. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37(b) के अन्तर्गत जिला स्तर के पुलिस नियन्त्रण कक्ष में किस पद के अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी डिजिटल रूप से प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी दी गई है?
- (क) कांस्टेबल
 - (ख) हेड कांस्टेबल
 - (ग) सहायक उप-निरीक्षक
 - (घ) पुलिस अधीक्षक
95. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 के अन्तर्गत गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से किसका सहयोग लेने का अधिकार है?
- (क) न्यायाधीश
 - (ख) मित्र
 - (ग) अनुवादक
 - (घ) अपने पसंद के अधिवक्ता का
96. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41(1) के अनुसार क्या मैजिस्ट्रेट किसी अपराधी को अपनी उपस्थिति में गिरफ्तार कर सकता है?

- (क) नहीं
- (ख) केवल पुलिस की अनुमति से
- (ग) केवल न्यायिक मैजिस्ट्रेट कर सकता है
- (घ) हाँ

97. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43(5) के अनुसार महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद कब की जा सकती है?

- (क) यदि महिला अपराधी हो
- (ख) यदि महिला पुलिस अधिकारी अनुमति दे
- (ग) यदि प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की हो
- (घ) कभी नहीं

98. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44(1) के अनुसार पुलिस को किसी व्यक्ति जोकि किसी घर में प्रविष्ट हो गया है, की गिरफ्तारी के लिए घर में प्रवेश की अनुमति निम्न में से कौन देगा?

- (क) मैजिस्ट्रेट
- (ख) उस घर का निवासी
- (ग) पीड़ित
- (घ) थानाध्यक्ष

99. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44(3) के अनुसार यदि पुलिस अधिकारी खुद गिरफ्तारी के लिए किसी स्थान में बंद हो जाए, तो वह क्या कर सकता है?
- (क) दरवाजा तोड़कर बाहर निकल सकता है
 - (ख) मैजिस्ट्रेट को बुला सकता है
 - (ग) मोबाइल से सहायता मांग सकता है
 - (घ) प्रतीक्षा करेगा
100. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 46 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति पर कितना अवरोधलागू किया जा सकता है?
- (क) जितना भी आवश्यक हो
 - (ख) अधिकतम संभव
 - (ग) केवल भागने से रोकने के लिए आवश्यक अवरोध
 - (घ) उसे हथकड़ी पहनाना अनिवार्य है
101. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36(b) के अनुसार गिरफ्तारी ज्ञापन कौन प्रतिहस्ताक्षरित करता है?
- (क) गिरफ्तार व्यक्ति
 - (ख) न्यायाधीश
 - (ग) पुलिस अधीक्षक

(घ) अपराध का पीड़ित

102. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47(1) के अनुसार, बिना वारंट गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को क्या सूचना देनी होती है?

(क) गिरफ्तारी का समय

(ख) अपराध का संक्षिप्त विवरण

(ग) अपराध के सभी विवरण या गिरफ्तारी के अन्य आधार

(घ) न्यायालय की अनुमति

103. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47(2) के अनुसार किन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को ज़मानत के अधिकार के बारे में बताना अनिवार्य है?

(क) जब अपराध संज्ञेय हो

(ख) जब अपराध असंज्ञेय हो

(ग) जब अपराध अजमानतीय न हो

(घ) जब गिरफ्तारी वारंट के बिना हो

104. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48(1) के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद सूचना निम्न में से किसे देना आवश्यक है?

- (क) अभियोजन अधिकारी को
- (ख) केवल स्थानीय पुलिस अधिकारी को
- (ग) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति, रिश्तेदार या मित्र को
- (घ) न्यायालय को

105. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48(4) के अनुसार, न्यायिक मैजिस्ट्रेट की क्या भूमिका होती है?

- (क) गिरफ्तारी का आदेश देना
- (ख) जमानत पर रिहाई देना
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि क्या गिरफ्तारी की सूचना दी गई है
- (घ) पुलिस अधिकारी की निगरानी

106. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 49(2) के अंतर्गत महिला की तलाशी कैसे की जानी चाहिए?

- (क) पुरुष अधिकारी द्वारा
- (ख) किसी भी अधिकारी द्वारा
- (ग) महिला द्वारा गरिमा के साथ
- (घ) बंद कमरे में

107. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 50 के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं जब्त की जा सकती हैं?
- (क) दस्तावेज़
 - (ख) मोबाइल फोन
 - (ग) आक्रामक हथियार
 - (घ) कपड़े
108. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 51(1) के अनुसार, मेडिकल जांच किस स्थिति में कराई जा सकती है?
- (क) जब व्यक्ति बीमार हो
 - (ख) जब अपराध के साक्ष्य मिलने की संभावना हो
 - (ग) जब न्यायालय आदेश दे
 - (घ) जब आरोपी महिला हो
109. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52(2) के अनुसार बलात्कार के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा विवरण अनिवार्य नहीं है?
- (क) डीएनए नमूना
 - (ख) गिरफ्तारी की तारीख
 - (ग) उम्र

(घ) चोटों का वर्णन

110. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52(4) के अनुसार बलात्कार के आरोपी की मेडिकल जांच का समय कैसे दर्ज किया जाना चाहिए?

- (क) केवल जांच की समाप्ति का समय
- (ख) केवल जांच की शुरुआत का समय
- (ग) प्रारंभ और समाप्ति का सटीक समय
- (घ) पुलिस द्वारा अनुमानित समय

111. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53(1) के अनुसार, गिरफ्तारी के तुरंत बाद मेडिकल परीक्षण कौन करेगा यदि सरकारी चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध न हो?

- (क) अभियोजन अधिकारी
- (ख) पुलिस उप-निरीक्षक
- (ग) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी
- (घ) मैजिस्ट्रेट

112. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53(2) के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर चोटों का विवरण रिपोर्ट में कैसे शामिल किया जाना चाहिए?
- (क) संक्षिप्त रूप में
 - (ख) अनुमान के आधार पर
 - (ग) स्पष्ट विवरण सहित संभावित समय के साथ
 - (घ) केवल मौखिक रूप में
113. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की पहचान आवश्यक हो, तो किसकी अनुमति से पहचान प्रक्रिया की जा सकती है?
- (क) पुलिस निरीक्षक
 - (ख) अभियोजन अधिकारी
 - (ग) क्षेत्रीय मैजिस्ट्रेट
 - (घ) सक्षम न्यायालय
114. यदि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की शिनाख्त मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति द्वारा की जानी है तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 के अन्तर्गत, पहचान प्रक्रिया किसकी निगरानी में होनी चाहिए?
- (क) चिकित्सा अधिकारी
 - (ख) मैजिस्ट्रेट

- (ग) पुलिस अधीक्षक
- (घ) अभियोजन अधिकारी

115. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 55(1) के अनुसार, जब वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ को बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए भेजता है, तो क्या अनिवार्य है?

- (क) मौखिक आदेश
- (ख) लिखित आदेश जिसमें आरोपी और अपराध का विवरण हो
- (ग) केवल पुलिस डायरी में प्रविष्टि
- (घ) गिरफ्तारी रिपोर्ट

116. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 56 के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है?

- (क) सरकारी अधिवक्ता
- (ख) जांच अधिकारी
- (ग) मैजिस्ट्रेट
- (घ) जिसकी हिरासत में आरोपी है

117. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 57 के अनुसार, पुलिस अधिकारी को, बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

- (क) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट
- (ख) नजदीकी थाने के भारसाधक अधिकारी या क्षेत्रीय मैजिस्ट्रेट
- (ग) जिला कलेक्टर
- (घ) मानवाधिकार आयोग

118. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 51 की व्याख्या के अनुसार "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी" कौन होता है?

- (क) कोई भी MBBS डॉक्टर
- (ख) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है
- (ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी चिकित्सक
- (घ) स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनुबंधित व्यक्ति

119. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52(5) के अनुसार बलात्कार के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट किसे भेजी जानी चाहिए?

- (क) पीड़ित को
- (ख) अभियोजन पक्ष को
- (ग) जांच अधिकारी को
- (घ) अस्पताल अधीक्षक को

120. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 के अनुसार गिरफ्तारी के बाद पहचान कराना कब आवश्यक होता है?

- (क) जब आरोपी अपराध से इनकार करता है
- (ख) जब पुलिस को संदेह हो
- (ग) जब अपराध की जाँच में पहचान आवश्यक हो
- (घ) जब मैजिस्ट्रेट आदेश दे

121. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53 के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल रिपोर्ट की प्रति किसे दी जानी चाहिए?

- (क) केवल पुलिस अधिकारी को
- (ख) गिरफ्तार व्यक्ति को या उसके नामित व्यक्ति को
- (ग) केवल न्यायालय को
- (घ) जिला अधिकारी को

122. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 49 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी में कौन-सी वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं?

- (क) उसके पूरे वस्त्र
- (ख) सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
- (ग) आवश्यक परिधान को छोड़कर सभी वस्तुएं
- (घ) केवल दस्तावेज़

123. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 51 के अनुसार जब आरोपी महिला हो, तो उसकी जांच कौन करेगा?
- (क) महिला पुलिस अधिकारी
 - (ख) केवल महिला चिकित्सक या उसकी निगरानी में
 - (ग) किसी भी पंजीकृत चिकित्सक
 - (घ) अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी
124. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48(3) के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना के संबंध में की गई प्रविष्टि कहाँ दर्ज होती है?
- (क) गिरफ्तारी रजिस्टर
 - (ख) पुलिस डायरी
 - (ग) FIR में
 - (घ) थाने में रखी जाने वाली एक विशेष पुस्तिका में
125. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47(1) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी को निम्न में से क्या नहीं बताना चाहिए?
- (क) अपराध की प्रकृति
 - (ख) गिरफ्तारी के कारण
 - (ग) वकील का नाम

(घ) गिरफ्तारी के आधार

126. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 49(1) के अनुसार, गिरफ्तारी के समय जब किसी व्यक्ति से कोई वस्तु जब्त की जाती है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को इस जब्ती के बारे में क्या दिया जाना आवश्यक है?
- (क) एफआईआर की प्रति
 - (ख) वकील से मिलने की अनुमति
 - (ग) जमानत याचिका
 - (घ) जब्त वस्तुओं की रसीद
127. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48(4) के अनुसार, मैजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के बाद क्या सुनिश्चित करना होता है?
- (क) गिरफ्तारी का स्थान
 - (ख) गिरफ्तारी के समय की पुष्टि
 - (ग) पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की सूचना देने का अनुपालन
 - (घ) न्यायिक हिरासत की स्वीकृति

128. यदि पहचान करने वाला व्यक्ति विकलांग हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 के अनुसार निम्न में से क्या व्यवस्था की जाती है?

- (क) मैजिस्ट्रेट की निगरानी में विशेष प्रक्रिया
- (ख) पहचान स्थगित कर दी जाती है
- (ग) केवल ऑडियो रेकॉर्डिंग की जाती है
- (घ) पुलिस अफसर द्वारा पहचान

129. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी को कब गिरफ्तारी के दौरान व्यक्ति को ज़मानत के अधिकार की जानकारी देनी होती है?

- (क) हमेशा
- (ख) केवल महिला आरोपी को
- (ग) जब अपराध जमानतीय हो
- (घ) मैजिस्ट्रेट के आदेश पर

130. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 51, 52, 53 में प्रयुक्तशब्द 'परीक्षा' का तात्पर्य निम्न में से क्या है ?

- (क) केवल रक्त परीक्षण
- (ख) खून, सीमन, थूक के परीक्षण की वैज्ञानिक विधियाँ व डीएनए प्रोफाइलिंग सहित

(ग) मेडिकल इतिहास का विश्लेषण

(घ) केवल बाहरी निरीक्षण

131. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 57 के अन्तर्गत वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी, गिरफ्तार किये व्यक्ति को निकटतम मैजिस्ट्रेट या पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जानें के सम्बन्ध में निम्नलिखित में क्या सही है?

(क) 48 घंटे के भीतर

(ख) बिना अनावश्यक विलंब के

(ग) सात दिन के भीतर

(घ) केवल मैजिस्ट्रेट के समक्ष

132. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47(1) के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को क्या बताना आवश्यक है?

(क) आरोपी की शिक्षा

(ख) शिकायतकर्ता का नाम

(ग) गिरफ्तारी के कारण

(घ) अभियोजन की प्रक्रिया

133. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53(3) के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट की प्रति किसे उपलब्ध कराई जाती है?
- (क) पुलिस अधीक्षक
 - (ख) गिरफ्तार व्यक्ति या उसके नामित व्यक्ति को
 - (ग) लोक अभियोजक
 - (घ) मीडिया को
134. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 55(1) के अनुसार गिरफ्तारी के लिए आदेश किस रूप में होना चाहिए?
- (क) मौखिक रूप
 - (ख) इलेक्ट्रॉनिक
 - (ग) लिखित
 - (घ) तीसरे पक्ष द्वारा प्रमाणित
135. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 के अनुसार कोर्ट की अनुमति से कौन सी प्रक्रिया करवाई जा सकती है?
- (क) मेडिकल परीक्षण
 - (ख) शिनाख्त परेड
 - (ग) डीएनए विश्लेषण
 - (घ) हिरासत विस्तार

136. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 56 के अनुसार हिरासत में व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा का दायित्व किसका होता है?
- (क) न्यायालय
 - (ख) मैजिस्ट्रेट
 - (ग) पुलिस अधीक्षक
 - (घ) जिसकी हिरासत में है
137. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 49(1) के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति की शारिरिक तलाशी के दौरान निम्न में से कौन सी वस्तुएँ सुरक्षित नहीं की जातीं?
- (क) आभूषण
 - (ख) पहनने के ज़रूरी कपड़े
 - (ग) नकद धन
 - (घ) मोबाइल फ़ोन
138. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48(2) के अनुसार गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस को क्या करना चाहिए?
- (क) पीड़ित से मिलना
 - (ख) अदालत में रिपोर्ट जमा करना
 - (ग) आरोपी को उसके अधिकारों की जानकारी देना

(घ) अभियोजन से संपर्क करना

139. यदि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय, उसके मांगने पर गिरफ्तारी आदेश दिखाया नहीं गया है। तो क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 55 के अन्तर्गत यह गिरफ्तारी वैध मानी जाएगी?

- (क) हाँ, यदि मौखिक निर्देश था
- (ख) नहीं, आदेश दिखाना अनिवार्य है
- (ग) मैजिस्ट्रेट के निर्देश से ही वैध होगी
- (घ) केवल न्यायालय के समक्ष ही वैध

140. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48(1) के अनुसार पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी की सूचना किसे देनी होती है?

- (क) स्थानीय पार्षद को
- (ख) मीडिया को
- (ग) नामित रिश्तेदार, मित्र या अन्य व्यक्ति को
- (घ) केवल मैजिस्ट्रेट को

141. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52(2) के अनुसार बलात्कार के आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट में निम्न में से किसका उल्लेख आवश्यक है?
- (क) आरोपी की शिक्षा
 - (ख) न्यायालय का नाम
 - (ग) डीएनए प्रोफाइलिंग हेतु लिये गये प्रदर्श
 - (घ) पीड़ित का बयान
142. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 49(1) के अन्तर्गत आरोपी की गिरफ्तारी के उपरान्त तलाशी के समय पुलिस को निम्न में से क्या करना होता है?
- (क) तलाशी का वीडियो रिकॉर्ड
 - (ख) आरोपी से बरामद सामान की रसीद देना
 - (ग) वकील को बुलाना
 - (घ) मीडिया को सूचित करना
143. यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को गिरफ्तारी का निर्देश देता है तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 55(1) के अंतर्गत क्या आवश्यक है?
- (क) मौखिक आदेश पर्याप्त है
 - (ख) एफआईआर की प्रति देना

- (ग) गिरफ्तारी आदेश लिखित रूप में देना
- (घ) पीड़ित की अनुमति लेना

144. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53(2) के अनुसार डॉक्टर द्वारा दर्ज की गई चोटों की रिपोर्ट में कौन-सी जानकारी होनी चाहिए?

- (क) आरोपियों का बचाव
- (ख) चोटों का स्थान और संभावित समय
- (ग) केवल मेडिकल राय
- (घ) अपराध स्थल का चित्र

145. गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47 के अनुसार निम्न में से कौन सी जानकारी देना अनिवार्य है?

- (क) गवाह की सूची
- (ख) गिरफ्तारी की सूचना मीडिया को
- (ग) गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी
- (घ) मैजिस्ट्रेट की अनुमति

146. यदि पहचान करने वाला व्यक्ति दृष्टिहीन हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 के अनुसार निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए?
- (क) सामान्य तरीके से
 - (ख) केवल वीडियो रिकॉर्डिंग
 - (ग) मैजिस्ट्रेट की निगरानी में अनुकूल विधि से
 - (घ) उस व्यक्ति से पहचान नहीं करवाई जाएगी
147. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 55(1) के अनुसार गिरफ्तारी के आदेश को दिखाने की मांग करने पर क्या करना आवश्यक है?
- (क) आदेश दिखाना आवश्यक नहीं
 - (ख) आदेश को छिपा सकते हैं
 - (ग) आरोपी को आदेश दिखाया जाना चाहिए
 - (घ) आदेश केवल पुलिस अधीक्षक को दिखाना है
148. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48(3) के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना किस रजिस्टर में दर्ज की जाती है?
- (क) अदालती रजिस्टर
 - (ख) म्युनिसिपल रजिस्टर
 - (ग) पुलिस स्टेशन में बनाए गए विशेष रजिस्टर में

(घ) नजदीकी अस्पताल के रजिस्टर में

149. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52(5) के अन्तर्गत आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(6) के अधीन निम्नलिखित में से किसे भेजी जायेगी?

(क) अभियोजन

(ख) पुलिस अधीक्षक

(ग) मैजिस्ट्रेट

(घ) मीडिया

150. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47(2) के अनुसार किन अपराधों में गिरफ्तारी के समय ज़मानत का अधिकार बताया जाता है?

(क) सभी अपराधों में

(ख) केवल दंडनीय अपराधों में

(ग) अजमानतीय अपराधों को छोड़कर

(घ) आतंकवाद से संबंधित अपराधों में

151. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 59के अनुसार, पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति के मामले की रिपोर्ट किसे दी जानी चाहिए?
- (क) राज्य सरकार को
 - (ख) जिला मैजिस्ट्रेट या उप-खण्ड मैजिस्ट्रेट को
 - (ग) उच्च न्यायालय को
 - (घ) पुलिस महानिदेशक को
152. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 58 के अनुसार, गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को कितने समय तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है?
- (क) 48 घंटे
 - (ख) 36 घंटे
 - (ग) 72 घंटे
 - (घ) 24 घंटे
153. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 के तहत, पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को किसके आदेश के बिना रिहा नहीं किया जा सकता?
- (क) उच्च न्यायालय के
 - (ख) विशेष लोक अभियोजक के

- (ग) मैजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के
- (घ) जिला मैजिस्ट्रेट के मौखिक आदेश पर

154. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 के अनुसार, किस स्थिति में व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है?

- (क) जब वह जुर्म स्वीकार करे
- (ख) जब उसे साक्ष्य मिल जाए
- (ग) बांड, बेल बांड या मैजिस्ट्रेट के विशेष आदेश द्वारा
- (घ) जब पुलिस उसे निर्दोष समझे

155. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 61 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति वैध हिरासत से भाग जाता है, तो क्या किया जा सकता है?

- (क) न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तारी
- (ख) राज्य सरकार से अनुमति लेकर पीछा
- (ग) भारत के किसी भी स्थान से तुरंत पीछा कर गिरफ्तार किया जा सकता है
- (घ) उसके परिवार से पूछताछ करना

156. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 61 किस प्रकार की शक्ति प्रदान करती है?

- (क) पुलिस को नए केस दर्ज करने की
- (ख) गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत देने की
- (ग) फरार व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करने की
- (घ) न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की

157. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 में 'बॉन्ड' और 'बेल बॉन्ड' से क्या अभिप्राय है?

- (क) पुलिस द्वारा दी गई सजा
- (ख) जुर्माना
- (ग) आरोपी की रिहाई हेतु कानूनी प्रतिबद्धता
- (घ) अभियोजन की अनुमति

158. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 के अनुसार कब छोड़ा जा सकता है?

- (क) पुलिस अधीक्षक के आदेश पर
- (ख) अभियोजन अधिकारी के कहने पर
- (ग) मैजिस्ट्रेट के विशेष आदेश या जमानत पर
- (घ) किसी भी पुलिस अधिकारी की अनुमति से

159. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 59 और 58 में निम्नलिखित में से क्या समानता है?
- (क) दोनों धारा जमानत से संबंधित हैं
 - (ख) दोनों में रिपोर्टिंग का दायित्व है
 - (ग) दोनों मैजिस्ट्रेट की शक्ति का वर्णन करती हैं
 - (घ) दोनों का संबंध सजा के निर्धारण से है
160. पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने के लिए बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है?
- (क) पुलिस अधीक्षक की मौखिक अनुमति
 - (ख) मैजिस्ट्रेट का विशेष आदेश या जमानती बांड
 - (ग) आरोपी की शपथ
 - (घ) राज्य सरकार की मंजूरी
161. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 61 में वैध हिरासत से भागे हुए व्यक्ति का पीछा करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है?
- (क) केवल मैजिस्ट्रेट को
 - (ख) पुलिस अधीक्षक को
 - (ग) जिसकी हिरासत से व्यक्ति भागा हो

(घ) कोई भी नागरिक

162. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 किस स्थिति में लागू होती है?

(क) जब आरोपी को बिना मुकदमे के छोड़ना हो

(ख) जब अदालत द्वारा दोषमुक्त किया गया हो

(ग) जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ना हो

(घ) जब आरोपी को अंतरिम जमानत दी जाए

163. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 61 किस प्रकार की विधिक प्रक्रिया को मान्यता देती है?

(क) अभियोजन की

(ख) पीछा करके पुनः गिरफ्तारी करने की

(ग) दोष सिद्धि की

(घ) सजा में कटौती

164. पुलिस बिना वारण्ट गिरफ्तार किये व्यक्ति को बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके बिना रिहा नहीं कर सकती?

- (क) पुलिस अधीक्षक की अनुमति
- (ख) अभियोजन अधिकारी की सहमति
- (ग) मैजिस्ट्रेट का विशेष आदेश या बांड
- (घ) राज्य सरकार की अधिसूचना

165. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, कोर्ट द्वारा जारी किया गया समन किस रूप में होना चाहिए?

- (क) केवल मौखिक सूचना के रूप में
- (ख) हस्ताक्षरयुक्त लिखित प्रति या इलेक्ट्रॉनिक रूप में
- (ग) केवल न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित मौखिक आदेश
- (घ) केवल टेलीफोनिक सूचना

166. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक समन में क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए?

- (क) मैजिस्ट्रेट की फोटो
- (ख) कोर्ट की मुहर की छवि या डिजिटल हस्ताक्षर
- (ग) अभियुक्त का हस्ताक्षर
- (घ) दो प्रतियां

167. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 में उल्लिखित समन के प्रारूप के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से आवश्यक शर्त कौन-सी है?

(क) मौखिक आदेश पर्याप्त है

(ख) यह उच्च न्यायालय द्वारा निदिष्ट अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए

(ग) केवल आरोपी की सहमति से जारी किया जा सकता है

(घ) मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना वैध नहीं होता

168. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, समन की प्रति कितनी होनी चाहिए?

(क) एक

(ख) दो

(ग) तीन

(घ) चार

169. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अन्तर्गत सम्मन पर निम्न में से किसके हस्ताक्षर आवश्यक माने गए हैं?

(क) जिला न्यायाधीश

(ख) वादी

(ग) न्यायालय का पीठासीन या उच्च न्यायालय द्वारा नामित

अधिकारी

(घ) अभियुक्त

170. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64(1) के अंतर्गत, समन किसके द्वारा सर्व किया जा सकता है?

(क) केवल वादी द्वारा

(ख) पुलिस अधिकारी, न्यायालय अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा

(ग) न्यायालय के क्लर्क द्वारा

(घ) केवल सरकारी वकील द्वारा

171. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64(2) के अन्तर्गत समन की तामिल का प्राथमिक तरीका क्या है?

(क) टेलीफोन

(ख) व्यक्तिगत रूप से प्रतिलिपि प्रदान करना

(ग) न्यायालय में घोषणा करना

(घ) समाचार पत्र में प्रकाशित करना

172. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन या न्यायालय में किस प्रकार का रजिस्टर रखे जाने का निर्देश है?

- (क) गवाहों की सूची का रजिस्टर
- (ख) ईमेल, फ़ोन नंबर आदि विवरणों का रजिस्टर
- (ग) न्यायाधीशों की सूची का रजिस्टर
- (घ) अभियोजन की तिथि का रजिस्टर

173. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार समन की इलेक्ट्रॉनिक तामिल के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान लागू होता है?

- (क) न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाना
- (ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार
- (ग) पुलिस अधिकारी द्वारा मौखिक सूचना देना
- (घ) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से

174. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64(3) के अनुसार, यदि समन व्यक्तिगत रूप से दिया जाए तो क्या अपेक्षित है?

- (क) आरोपी की फोटोकॉपी जमा करना
- (ख) आरोपी द्वारा समन की दूसरी प्रति पर रसीद पर हस्ताक्षर करना
- (ग) आरोपी को पुलिस स्टेशन बुलाना

(घ) आरोपी की वकालतनामा लेना

175. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार क्या समन केवल हस्तलिखित रूप में ही मान्य है?

(क) हाँ

(ख) नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी मान्य है

(ग) केवल तब जब आरोपी विदेश में हो

(घ) नहीं, केवल ऑडियो संदेश मान्य है

176. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार राज्य सरकार क्या निर्धारित कर सकती है?

(क) न्यायालय की नियुक्तियाँ

(ख) समन तामिल की विधि

(ग) अभियुक्त को मिलने वाला मुआवजा

(घ) न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया

177. समन के डिजिटल रूप के सम्बन्ध में बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसी विधिक मान्यता सही है?

- (क) समन का ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होना
- (ख) समन पर डिजिटल हस्ताक्षर या कोर्ट की मुहर की छवि
- (ग) समन का केवल PDF प्रारूप में होना
- (घ) समन की प्रतिलिपि न्यायिक अधिकारी को भेजना

178. यदि समन की तामील व्यक्तिगत संभव न हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, समन की तामिल निम्नलिखित में से किस माध्यम से हो सकती है?

- (क) टेलीविजन पर घोषणा द्वारा
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के माध्यम से
- (ग) अखबार में विज्ञापन द्वारा
- (घ) सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा

179. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 में पुलिस स्टेशन में किस प्रकार का रजिस्टर रखना आवश्यक है?

- (क) अपराधियों का रजिस्टर
- (ख) समन के संबंधित विवरण जैसे पता, ईमेल, फ़ोन नंबर आदि का रजिस्टर
- (ग) गवाहों की सूची
- (घ) आरोपी के संबंधियों की जानकारी

180. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार समन निम्नलिखित में से कब वैध माना जाएगा?
- (क) जब वह मौखिक आदेश द्वारा हो
 - (ख) जब उस पर न्यायालय की सील व हस्ताक्षर हो
 - (ग) जब अभियुक्त उसकी स्वीकृति दे
 - (घ) जब पुलिस अधिकारी उसे स्वीकारे
181. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 में समन की दो प्रतियों का उद्देश्य क्या है?
- (क) एक पुलिस स्टेशन हेतु और दूसरी अभियुक्त के वकील हेतु
 - (ख) एक अभियुक्त को देने हेतु और दूसरी रसीद हेतु
 - (ग) एक न्यायालय में संग्रह हेतु और दूसरी अखबार में विज्ञापन हेतु
 - (घ) एक जांच अधिकारी हेतु और दूसरी मैजिस्ट्रेट हेतु
182. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, यदि समन इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया गया हो तो उस पर निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होना चाहिए?
- (क) केवल अदालत का नाम
 - (ख) अदालत की सील की छवि या डिजिटल हस्ताक्षर
 - (ग) आरोपी का बायोमेट्रिक विवरण

(घ) अभियोजन पक्ष की अनुशंसा

183. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, समन की तामील किस उद्देश्य से की जाती है?

- (क) न्यायालय की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु
- (ख) आरोपी को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु
- (ग) मीडिया को सूचित करने हेतु
- (घ) वकील को निर्देश देने हेतु

184. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार समन का कौन-सा तरीका अवैध माना जाएगा?

- (क) हस्ताक्षरित प्रति द्वारा
- (ख) डिजिटल रूप में
- (ग) मौखिक सूचना मात्र
- (घ) कोर्ट की सील सहित इलेक्ट्रॉनिक समन

185. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64(1) के अनुसार समन तामील का कार्य किसके अधीन हो सकता है?

- (क) केवल जिला मैजिस्ट्रेट
- (ख) राज्य सरकार द्वारा नियत नियमों के अनुसार लोक सेवक

- (ग) कोई भी नागरिक
- (घ) केवल वकील

186. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अन्तर्गत समन की तामीलकी कौन-सी व्यवस्था (तरीका) को प्राथमिकता दी गई है?

- (क) न्यायालय में तलब
- (ख) अभियुक्त को स्वयं देना
- (ग) पुलिस स्टेशन में छोड़ना
- (घ) अखबार में छपवाना

187. समन की प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार निम्न में से कौन-सा तत्व आवश्यक है?

- (क) मौखिक सूचना का समर्थन
- (ख) प्रत्यक्ष तामील और विधिवत रसीद
- (ग) अभियुक्त का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व
- (घ) सरकारी वकील की रिपोर्ट

188. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अनुसार, यदि समन किया गया व्यक्ति नहीं मिलता है, तो समन किसे सौंपा जा सकता है?

(क) किसी भी पड़ोसी को

(ख) उसके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी को

(ग) उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पारिवारिक सदस्य को

(घ) किसी भी जान-पहचान वाले व्यक्ति को

189. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अन्तर्गत उल्लिखितस्पष्टीकरण के अनुसार, परिवार के सदस्य की परिभाषा में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होता?

(क) पत्नी

(ख) पुत्र

(ग) नौकर

(घ) पिता

190. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अन्तर्गत सम्मन तामील के दौरान सम्मन की एक प्रति सम्मन किये गये व्यक्ति के परिवार के सदस्य को सौंपने के बाद, यदि आवश्यक हो तो प्राप्तकर्ता के परिवार सदस्य से क्या करवाया जा सकता है?

- (क) लिखित कथन
- (ख) पहचान पत्र की माँग
- (ग) समन की रसीदगी के हस्ताक्षर
- (घ) पुलिस को सूचना

191. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अंतर्गत, यदि समन की तामील बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64, 65, 66 से संभव न हो तो क्या किया जाएगा?

- (क) डाक द्वारा भेजा जाएगा
- (ख) नया समन जारी किया जाएगा
- (ग) समन न्यायालय के रिकॉर्ड में रखा जाएगा
- (घ) समन की एक प्रतिसमन किये गये व्यक्ति के घर के सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा

192. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अनुसार, समन तामील की प्रक्रिया में समन की प्रति समन किये गये व्यक्ति के निवासस्थान पर चिपकाए जाने के बाद न्यायालय निम्न में से क्या निर्णय कर सकता है?

- (क) गिरफ्तारी का आदेश
- (ख) गवाह को हटा देना
- (ग) समन की विधिवत तामील घोषित करना

(घ) समन की अनदेखी

193. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 में उल्लिखित समन की तामील विफल होने पर न्यायालय क्या कर सकता है?

(क) अभियोजन बंद कर सकता है

(ख) आरोपी को दोषमुक्त कर सकता है

(ग) समन की पुनः सेवा का आदेश दे सकता है

(घ) पुलिस अधिकारी को दंडित कर सकता है

194. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 के अनुसार, यदि समन किया गया व्यक्ति सरकारी सेवक है, तो समन किसके माध्यम से भेजा जाएगा?

(क) पुलिस अधीक्षक को

(ख) गृह मंत्रालय को

(ग) सरकारी कर्मचारी के कार्यालय के प्रधान को

(घ) न्यायालय के क्लर्क को

195. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68(2) के अनुसार, सरकारी सेवक पर समन तामील के सम्बन्ध में समन पर निम्न में से किसका हस्ताक्षर वैध तामील का प्रमाण माना जाएगा?

- (क) मैजिस्ट्रेट का
- (ख) पुलिस अधिकारी का
- (ग) कार्यालय प्रधान का
- (घ) गवाह का

196. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अंतर्गत, समन तामील के लिये समन की प्रति समन किये गये व्यक्ति के गृहस्थान पर चिपकाने से पहले किन विधियों का प्रयास आवश्यक होता है?

- (क) ईमेल और टेलीग्राम
- (ख) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64, 65 और 66 के प्रावधानों का
- (ग) एफआईआर दर्ज करना
- (घ) केवल टेलीफोन द्वारा सूचित करना

197. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 में समन की तामील के लिए कार्यालय प्रधान द्वारा समन पर क्या किया जाना अपेक्षित है?

- (क) अभियुक्त को समन देना
- (ख) हस्ताक्षर कर समन को वापस न्यायालय भेजना
- (ग) आरोपी की गिरफ्तारी

(घ) आदेश पत्र बनाना

198. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अनुसार, न्यायालय निम्न में से किस आधार पर समन की विधिवत तामील घोषित कर सकता है?

- (क) समन के डाक से वापस आने पर
- (ख) गवाह के बयान पर
- (ग) समन चिपकाने और जांच के पश्चात
- (घ) अभियुक्त की अनुपस्थिति पर

199. समन जारी किये गये व्यक्ति के परिवार का कौन सदस्य बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के तहत, समन स्वीकार नहीं कर सकता?

- (क) बहन
- (ख) भाभी
- (ग) चचेरा भाई
- (घ) घर में काम करने वाला सेवक

200. यदि समन की तामील समन किये गये व्यक्ति के परिवार के सदस्य को की जाती है तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66

के तहत परीवार का सदस्य समन स्वीकार करता है तो समन देने वाले अधिकारी को क्या प्राप्त करना चाहिए

- (क) पहचान पत्र
- (ख) समन की एक प्रति
- (ग) रसीद पर हस्ताक्षर
- (घ) नोटिस की प्रति

201. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68(2) के अनुसार, सरकारी कर्मचारी को समन तामील का प्रमाण क्या होता है?

- (क) साक्ष्य रिपोर्ट
- (ख) डिजिटल हस्ताक्षर
- (ग) कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर
- (घ) न्यायालय का आदेश

202. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अंतर्गत समन तामील कब वैध मानी जाएगी?

- (क) जब वह रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए
- (ख) जब वह SMS से भेजा जाए
- (ग) जब वह परिवार के वयस्क सदस्य को सौंपा जाए
- (घ) जब आरोपी उसे स्वयं स्वीकार करे

203. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 के अनुसार, न्यायालय द्वारा भेजा गया समन तामील करने उपरान्त किस रूप में लौटाया जाना चाहिए?
- (क) मौखिक सूचना द्वारा
 - (ख) कूरियर से
 - (ग) हस्ताक्षरित और अनुमोदित प्रति के साथ
 - (घ) पुलिस द्वारा जांच के बाद
204. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अनुसार, समन की असफल तामील के बाद न्यायालय क्या जांच करता है?
- (क) आरोपी का आपराधिक इतिहास
 - (ख) पुलिस का कार्य निष्पादन
 - (ग) तामील की पूरी प्रक्रिया की प्रामाणिकता
 - (घ) गवाह की विश्वसनीयता
205. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 में वर्णित 'परिवार के वयस्क सदस्य' की श्रेणी में क्या सम्मिलित नहीं है?
- (क) चाचा
 - (ख) पत्नी
 - (ग) घरेलू नौकर

(घ) पुत्र

206. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68(2) में दिए गए हस्ताक्षर का क्या महत्व है?

- (क) केवल प्रशासनिक प्रयोजन हेतु
- (ख) आरोप तय करने के लिए
- (ग) विधिवत समन सेवा के प्रमाण के रूप में
- (घ) अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु

207. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के तहत यदि समन की तामील संभव न हो तो न्यायालय क्या कर सकता है?

- (क) आरोपी को दोषमुक्त कर सकता है
- (ख) मामला स्थगित कर सकता है
- (ग) समन की पुनः तामील का आदेश दे सकता है
- (घ) समन की अनदेखी कर सकता है

208. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71(1) के अनुसार, गवाह को समन की प्रति भेजने के लिए कौन-कौन से माध्यम अनुमत हैं?

- (क) केवल व्यक्तिगत सेवा
- (ख) केवल डाक सेवा

- (ग) इलेक्ट्रॉनिक संचार और पंजीकृत डाक
- (घ) टेलीफोनिक सूचना

209. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अनुसार यदि गवाह समन प्राप्त करने से मना कर देता है, तो क्या माना जा सकता है?

- (क) समन रद्द हो गया
- (ख) समन की पूर्ति नहीं हुई
- (ग) वैध रूप से समन तामील
- (घ) गवाह को हिरासत में लिया जाएगा

210. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 में गवाह को समन भेजने के लिए कौन-सा पता प्रयोग में लाया जा सकता है?

- (क) स्थायी पता
- (ख) निवास स्थान या जहां वह कार्य करता है
- (ग) केवल अस्थायी पता
- (घ) न्यायालय का पता

211. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71(2) के अनुसार, किस आधार पर समन को विधिवत तामील मान लिया जा सकता है?

- (क) पुलिस रिपोर्ट के आधार पर
- (ख) किसी अन्य गवाह के बयान से
- (ग) डाककर्मी द्वारा की गई टिप्पणी या इलेक्ट्रॉनिक सेवा का प्रमाण
- (घ) न्यायालय के आदेश के बिना

212. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अनुसार, गवाह को समन की एक प्रति किस प्रकार न्यायालय द्वारा भेजी जा सकती है?

- (क) मौखिक रूप से
- (ख) डाक और व्हाट्सएप के माध्यम से
- (ग) पंजीकृत डाक और इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा
- (घ) केवल व्हाट्सएप से

213. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 में समन की तामील किस प्रकार के व्यक्ति को की जाती है?

- (क) आरोपी
- (ख) गवाह
- (ग) न्यायाधीश
- (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

214. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72(1) के अनुसार गिरफ्तारी वारंट किसके हस्ताक्षर से युक्त होना चाहिए?

- (क) पुलिस अधिकारी
- (ख) मैजिस्ट्रेट के क्लर्क

(ग) पीड़ित

(घ) न्यायालय का पीठासीन अधिकारी

215. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 में गिरफ्तारी वारंट को मान्य बनाए रखने की निम्न में से क्या स्थिति है?

(क) 30 दिन तक

(ख) जब तक न्यायालय उसे निरस्त नहीं करता या वह निष्पादित नहीं हो जाता

(ग) आरोपी के आत्मसमर्पण तक

(घ) केवल तीन सुनवाइयों तक

216. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72(2) के अनुसार, यदि वारंट निष्पादित नहीं होता है, तो वह कब समाप्त होता है?

(क) एक वर्ष के बाद

(ख) दो वर्ष के बाद

(ग) जब तक न्यायालय उसे निरस्त न करे

(घ) जब पीड़ित की शिकायत समाप्त हो जाए

217. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अनुसार, वारंट पर निम्नलिखित में से क्या होना आवश्यक है?

- (क) आरोपी की तस्वीर
- (ख) गवाह के हस्ताक्षर
- (ग) न्यायालय की मोहर
- (घ) आरोपी का हस्ताक्षर

218. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट निम्नलिखित में से किस रूप में होना चाहिए?

- (क) मौखिक
- (ख) केवल डिजिटल
- (ग) लिखित रूप में
- (घ) मौखिक व डिजिटल दोनों

219. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अनुसार न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को निम्नलिखित में से कौन रद्द कर सकता है?

- (क) पुलिस अधीक्षक
- (ख) जिला न्यायाधीश
- (ग) न्यायालय जिसने उसे जारी किया हो
- (घ) गवाह

220. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अनुसार, यदि गवाह समन की डाक प्राप्त करने से इंकार कर देता है, तो क्या परिणाम हो सकता है?
- (क) समन स्वतः अमान्य हो जाता है
 - (ख) उसे पुनः व्यक्तिगत रूप से भेजा जाएगा
 - (ग) न्यायालय समन की वैधता मील मान सकता है
 - (घ) गवाह को दंडित किया जाएगा
221. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अनुसार, समन की तामीलनिम्न में से किन दो माध्यमों से एक साथ की जा सकती है?
- (क) मौखिक आदेश और इलेक्ट्रॉनिक संदेश
 - (ख) न्यायिक सेवा और पुलिस हिरासत
 - (ग) इलेक्ट्रॉनिक संचार और पंजीकृत डाक
 - (घ) अखबार में विज्ञापन और पोस्टकार्ड
222. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अन्तर्गत समन भेजने के लिए कौन-सा पता उपयुक्त होता है?
- (क) आरोपी का स्थायी पता
 - (ख) न्यायालय का पता
 - (ग) गवाह का निवास या कार्य स्थल

(घ) पुलिस स्टेशन का पता

223. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71(2) में निम्न में से किसके आधार पर माना जाता है कि समन विधिवत रूप से तामील किया गया है?

(क) गवाह के मौखिक बयान से

(ख) मैजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर से

(ग) गवाह द्वारा प्राप्ति की पुष्टि या डाककर्मी द्वारा अस्वीकृति का उल्लेख

(घ) पुलिस रिपोर्ट से

224. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अन्तर्गत समन की तामील की प्रक्रिया निम्न में से किसके लिए है?

(क) केवल आरोपी के लिए

(ख) केवल मैजिस्ट्रेट के लिए

(ग) केवल गवाह के लिए

(घ) केवल पीड़ित के लिए

225. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 77 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट निष्पादन करते समय अधिकारी को क्या करना आवश्यक है?

- (क) केवल मौखिक सूचना देना
- (ख) गिरफ्तारी से पहले न्यायालय को सूचित करना
- (ग) वारंट का सार व्यक्ति को सूचित करना
- (घ) न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना

226. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 78 के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश करने में देरी की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है?

- (क) 12 घंटे
- (ख) 24 घंटे, यात्रा समय छोड़कर
- (ग) 48 घंटे
- (घ) 36 घंटे

227. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 79 के अनुसार, गिरफ्तारी वारंट को कहां निष्पादित किया जा सकता है?

- (क) केवल जिला क्षेत्र में
- (ख) राज्य की सीमाओं तक
- (ग) केवल मेट्रो शहरों में
- (घ) भारत के किसी भी स्थान पर

228. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 80(1) के अनुसार, यदि वारंट स्थानीय क्षेत्र के बाहर निष्पादित करना हो, तो न्यायालय वारंट किसे भेज सकता है?

- (क) आरोपी को सीधे
- (ख) पुलिस हेड कांस्टेबल को
- (ग) कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक को
- (घ) गृह मंत्रालय को

229. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 80(2) के अनुसार, यदि वारंट का निष्पादन स्थानीय अधिकारिकता से बाहर किया जाना है तो निम्न में से वारंट के साथ कौन से दस्तावेज भेजे जाते हैं?

- (क) केवल वारंट की प्रति
- (ख) आरोपी का आधार कार्ड
- (ग) सूचना का सार और संबंधित दस्तावेज यदि कोई हो
- (घ) जमानत पत्र

230. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 81(3) के अनुसार, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में पुलिस अधिकारी बिना पृष्ठांकन के वारंट निष्पादित कर सकता है?

- (क) जब आरोपी फरार हो
- (ख) जब पृष्ठांकन में विलंब गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न करे

- (ग) जब वारंट खो जाए
- (घ) जब आरोपी जेल में हो

231. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 82(1) के अनुसार, गिरफ्तारी होने पर व्यक्ति को कहां प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

- (क) गृह मंत्रालय
- (ख) उच्चतम न्यायालय
- (ग) निकटतम कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक
- (घ) थाना प्रभारी

232. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 83(1) के अनुसार, यदि अपराध जमानती है और वारंट पर धारा 73 के अधीन इस सम्बन्ध में निदेश पृष्ठांकित है और व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

- (क) उसे न्यायालय भेज सकता है
- (ख) जमानत लेने के बाद न्यायालय को अग्रेषित कर सकता है
- (ग) उसे जेल भेज सकता है
- (घ) उसकी जमानत अस्वीकार कर सकता है

233. जब कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया है, फरार हो गया है या गिरफ्तारी से बचने के लिये अपने आप को छिपा रहा है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 84(1) के अनुसार, न्यायालय क्या कर सकता है?

- (क) उसे जमानत पर रिहा कर सकता है
- (ख) उस पर जुर्माना लगा सकता है
- (ग) एक लिखित उद्घोषणा जारी कर सकता है
- (घ) उसे तुरंत हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है

234. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 84(4) के अनुसार, निम्न में कौन से अपराध की स्थिति में कोई व्यक्ति उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है?

- (क) जमानती अपराध
- (ख) BNS 2023 या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन दस वर्ष या अधिक की सजा से दंडनीय अपराध
- (ग) अपमानजनक भाषा का प्रयोग
- (घ) आर्थिक धोखाधड़ी

235. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85 के अनुसार, जब्ती आदेश किन संपत्तियों पर लागू हो सकता है?

- (क) केवल चल संपत्ति
- (ख) केवल अचल संपत्ति
- (ग) केवल बैंक खाता
- (घ) चल और अचल दोनों संपत्ति

236. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(3) के अनुसार, चल संपत्ति की जब्ती किन तरीकों से की जा सकती है?

- (क) जब्ती नोटिस भेजकर
- (ख) संपत्ति की नीलामी द्वारा
- (ग) जब्ती, रिसीवर की नियुक्ति, या निषेधाज्ञा से
- (घ) मीडिया घोषणा द्वारा

237. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(4) के अनुसार, राजस्व देने वाली भूमि की जब्ती किसके माध्यम से की जाती है?

- (क) पुलिस अधीक्षक
- (ख) तहसीलदार
- (ग) कलेक्टर
- (घ) ग्राम पंचायत

238. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(4)(c) के अंतर्गत, अचल संपत्ति की जब्ती में कौन सा आदेश दिया जा सकता है?

- (क) संपत्ति बेचने का आदेश
- (ख) किराया भुगतान या सुपुर्दगी पर निषेधाज्ञा
- (ग) कब्ज़ा बदलने का आदेश
- (घ) संपत्ति ध्वस्त करने का आदेश

239. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(5) के अनुसार, नाशवान संपत्ति की स्थिति में न्यायालय क्या कर सकता है?

- (क) उसे जब्त कर सकता है
- (ख) उसकी नीलामी का आदेश दे सकता है
- (ग) उसे अभियुक्त को लौटा सकता है
- (घ) उसे किसी NGO को दे सकता है

240. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(6) के अनुसार, रिसीवर की शक्तियाँ किस अधिनियम के अनुरूप होती हैं?

- (क) भारतीय दंड संहिता 1860
- (ख) भा0 साक्ष्य अधिनियम 1872
- (ग) नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908
- (घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000

241. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 84(3) के अनुसार, उद्घोषणा की तिथि को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ क्या होता है?

- (क) ग्राम प्रधान की रिपोर्ट
- (ख) न्यायालय द्वारा किया गया लिखित कथन
- (ग) पुलिस डायरी
- (घ) अखबार की प्रति

242. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 80(1) के अनुसार, यदि वारंट स्थानीय क्षेत्र से बाहर निष्पादित करना होतो यह किसे भेजा जा सकता है?

- (क) गवाह
- (ख) थाना प्रभारी
- (ग) कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक
- (घ) अभियोजन अधिकारी

243. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 81(1) के अनुसार, वारंट निष्पादित करने से पहले पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए?

- (क) आरोपी को सूचित करना
- (ख) न्यायालय को सूचित करना
- (ग) किसी मैजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से पृष्ठांकन लेना
- (घ) किसी गवाह से दस्तखत लेना

244. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 81(3) में किस स्थिति में अधिकारी बिना पृष्ठांकन के वारंट निष्पादित कर सकता है?
- (क) जब आरोपी न्यायालय में हो
 - (ख) जब वारंट खो गया हो
 - (ग) जब पृष्ठांकन में देरी गिरफ्तारी को प्रभावित करे
 - (घ) जब आरोपी सहयोग कर रहा हो
245. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 82(1) के अनुसार, यदि वारंट जिले के बाहर निष्पादित हुआ हो, तो आरोपी को निम्न में से कहां ले जाया जाना चाहिए?
- (क) पुलिस स्टेशन
 - (ख) जिला कलेक्टर
 - (ग) कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट
 - (घ) सत्र न्यायालय
246. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 84(1) के अनुसार, उद्घोषणा कब जारी की जा सकती है?
- (क) जब वारंट खो जाए
 - (ख) जब व्यक्ति मृत हो
 - (ग) जब न्यायालय को विश्वास हो कि व्यक्ति फरार है

(घ) जब पुलिस केस दर्ज करे

247. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(1) के अनुसार, उद्घोषणा जारी करने के बाद न्यायालय क्या आदेश दे सकता है?

(क) संपत्ति का नवीनीकरण

(ख) जमानत राशि बढ़ाना

(ग) संपत्ति की जब्ती

(घ) अपराधी को सम्मानित करना

248. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(2) के अनुसार, उद्घोषित अपराधी की संपत्ति निम्न में से किस सीमा क्षेत्र में जब्त की जा सकती है?

(क) केवल स्थानीय क्षेत्र में

(ख) केवल शहर में

(ग) आरोपी के निवास स्थान पर

(घ) किसी भी जिले में जब मैजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित किया जाए

249. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(1) में न्यायालय किस स्थिति में उद्घोषणा के साथ-साथ जब्ती का आदेश दे सकता है?

(क) जब आरोपी संपत्ति को स्थानांतरित करने वाला हो

(ख) जब पुलिस रिपोर्ट करे

- (ग) जब संपत्ति सरकारी हो
- (घ) जब वारंट निष्पादित न हो

250. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 84(2)(ii) के अनुसार, उद्घोषणा को कहां प्रकाशित किया जा सकता है?

- (क) अंतर्राष्ट्रीय अखबार में
- (ख) स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में
- (ग) सोशल मीडिया पर
- (घ) न्यायालय की पत्रिका में

251. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 84(5) के अनुसार, उद्घोषित अपराधी की घोषणा में किस प्रकार के प्रमाण आवश्यक होते हैं?

- (क) पुलिस साक्ष्य
- (ख) न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रकाशन विवरण
- (ग) गवाह का बयान
- (घ) परिवार की अनुमति

252. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(4)(c) के अनुसार, अचल संपत्ति की जब्ती में किराया भुगतान पर क्या प्रभाव होता है?

- (क) उसे रोक दिया जाता है
- (ख) उसे दुगुना कर दिया जाता है
- (ग) किराया किसी तीसरे पक्ष को दिया जाता है
- (घ) किराया आयकर विभाग को जाता है

253. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(3)(b) के अनुसार, चल संपत्ति की जब्ती का एक तरीका क्या है?

- (क) संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन
- (ख) रिसीवर की नियुक्ति
- (ग) संपत्ति का प्रयोग
- (घ) किसी NGO को देना

254. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(5) के अन्तर्गत पशुधन या विनश्वरवस्तुओं की नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग निम्न में से किसके निर्देशानुसार होगा?

- (क) अभियोजन पक्ष के
- (ख) न्यायालय के
- (ग) पुलिस अधीक्षक के
- (घ) तहसीलदार के

255. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 84(4) में "उदघोषित अपराधी" की घोषणा कब की जाती है?
- (क) जब अपराध 10 वर्ष या अधिक की सजा से दंडनीय हो
 - (ख) जब आरोपी जेल में हो
 - (ग) जब वारंट निरस्त हो जाए
 - (घ) जब गवाह अनुपस्थित हो
256. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(3) (c) के अनुसार, चल संपत्ति की जब्ती में क्या निषेधाज्ञा दी जा सकती है?
- (क) बैंक लेन-देन पर रोक
 - (ख) न्यायालय में उपस्थिति पर रोक
 - (ग) संपत्ति सुपुर्द करने पर निषेधाज्ञा
 - (घ) सामाजिक गतिविधियों पर रोक
257. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 85(4) (b) के अनुसार, अचल संपत्ति की जब्ती में रिसीवर की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है?
- (क) सम्पत्ति का उपयोग करना
 - (ख) सम्पत्ति की मरम्मत करना
 - (ग) सम्पत्ति की देखरेख और नियंत्रण
 - (घ) सम्पत्ति को स्थानांतरित करना

258. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिये किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नें समन/ वारण्ट जारी किया है और वह व्यक्ति स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो, तो न्यायालय उस व्यक्ति से निम्न में क्या मांग कर सकता है?

(क) जुर्माना

(ख) सुरक्षा जमा

(ग) उसकी उपस्थिति हेतु बन्धपत्र या जमानत पत्र

(घ) तत्काल गिरफ्तारी

259. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अनुसार किसी व्यक्ति से बन्धपत्र/ जमानत पत्र किस उद्देश्य से लिया जाता है?

(क) संपत्ति की सुरक्षा हेतु

(ख) न्यायालय में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु

(ग) गवाहों की सुरक्षा हेतु

(घ) आरोपी की पहचान हेतु

260. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अनुसार, बन्धपत्र भरने का निर्देश निम्नलिखित में से किसे दिया जा सकता है?

(क) पुलिस अधिकारी को

(ख) न्यायालय के लिपिक को

(ग) न्यायालय में स्वयं उपस्थित व्यक्ति को

(घ) शिकायतकर्ता को

261. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बन्धपत्र का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय क्या कर सकता है?

(क) उसे दंडित कर सकता है

(ख) उसका पासपोर्ट रद्द कर सकता है

(ग) उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है

(घ) उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है

262. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 में किस प्रकार के बन्धपत्र का उल्लंघन होना दर्शाया गया है?

(क) संपत्ति बांड

(ख) उपस्थिति हेतु लिया गया बन्धपत्र या जमानत बन्धपत्र

(ग) पुनर्वास बांड

(घ) कार्यपालक बांड

263. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 के अनुसार, बन्धपत्र उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी के लिए कौन आदेश जारी करता है?

- (क) जिला मैजिस्ट्रेट
- (ख) पुलिस अधिकारी
- (ग) न्यायालय का पीठासीन अधिकारी
- (घ) गृह विभाग

264. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अनुसार, क्या कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिये किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नें समन/ वारण्ट जारी किया है और वह व्यक्ति स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो, से जमानत की मांग की जा सकती है?

- (क) नहीं, केवल गिरफ्तारी की जा सकती है
- (ख) हां, केवल पुलिस की सिफारिश पर
- (ग) हां, न्यायालय आदेश दे सकता है
- (घ) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से

265. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 के अंतर्गत, गिरफ्तारी का आदेश कब जारी किया जाता है?

- (क) जब व्यक्ति दोबारा अपराध करे
- (ख) जब व्यक्ति जमानत अदा कर दे
- (ग) जब व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है
- (घ) जब व्यक्ति स्वयं समर्पण करता है

266. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 में किसी बन्धपत्र / जमानत पत्र की उल्लंघना पर व्यक्ति की गिरफ्तारी, निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए की जाती है?
- (क) न्यायालय के सामने
 - (ख) राज्यपाल के समक्ष
 - (ग) पुलिस अधीक्षक के समक्ष
 - (घ) जिला अधिकारी के समक्ष
267. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 में निम्नलिखित में से किसके उल्लंघन की स्थिति से संबंधित है?
- (क) समन की अनुपालना
 - (ख) बन्धपत्र या जमानत पत्र के उल्लंघन से
 - (ग) संपत्ति विवाद से
 - (घ) न्यायालय की अवमानना से
268. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अनुसार, बन्धपत्र किन दो रूपों में हो सकता है?
- (क) मौखिक और लिखित
 - (ख) न्यायिक और कार्यपालक
 - (ग) साधारण और जमानती

(घ) आपराधिक और नागरिक

269. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 के अनुसार, यदि व्यक्ति बन्धपत्र का उल्लंघन करता है तो क्या उस व्यक्ति की गिरफ्तारी संभव है?

(क) नहीं

(ख) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से

(ग) हां, वारंट के द्वारा

(घ) केवल शिकायतकर्ता की अनुमति से

270. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अनुसार, क्या बन्धपत्र उस न्यायालय जिसने आदेश दिया है, तक ही सीमित रहता है?

(क) हां

(ख) नहीं, स्थानांतरित न्यायालय में भी प्रभावी होता है

(ग) केवल उच्च न्यायालय तक

(घ) केवल जिलास्तर के न्यायालय तक

271. बन्धपत्र उल्लंघन की स्थिति में बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 के अनुसार, न्यायालय का क्या अधिकार है?

- (क) व्यक्ति की संपत्ति बेचने का
- (ख) व्यक्ति को नौकरी से हटाने का
- (ग) गिरफ्तारी वारंट जारी करने का
- (घ) व्यक्ति को विदेश यात्रा पर भेजने का

272. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी बंधपत्र लेने का अधिकार रखता है?

- (क) पुलिस अधिकारी
- (ख) न्यायालय का पीठासीन अधिकारी
- (ग) सरकारी वकील
- (घ) गवाह

273. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अनुसार बंधपत्र निम्नलिखित में से किन न्यायालयों के समक्ष उपस्थिति हेतु लिया जा सकता है?

- (क) केवल उच्च न्यायालय
- (ख) केवल वर्तमान न्यायालय
- (ग) वर्तमान न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय जहाँ मुकदमा स्थानांतरित किया जा सकता है
- (घ) केवल सत्र न्यायालय

274. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बंधपत्र के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो क्या किया जा सकता है?
- (क) उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है
 - (ख) उसे चेतावनी दी जाती है
 - (ग) उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है
 - (घ) उसकी जमानत रद्द कर दी जाती है
275. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 का उद्देश्य क्या है?
- (क) गवाहों को नियंत्रित करना
 - (ख) गिरफ्तारी की प्रक्रिया को रोकना
 - (ग) बंधपत्र के उल्लंघन पर अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कराना
 - (घ) पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार देना
276. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट क्या न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है?
- (क) नहीं, केवल पुलिस जारी कर सकती है
 - (ख) हाँ

- (ग) केवल अभियोजन की अनुमति से
- (घ) केवल मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा

277. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 और 92 क्या केवल अपराधियों पर ही लागू होती हैं?

- (क) हाँ
- (ख) नहीं, वे उन सभी व्यक्तियों पर लागू होती हैं जिनकी उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक हो
- (ग) केवल सजा प्राप्त लोगों पर
- (घ) केवल गवाहों पर

278. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अंतर्गत क्या बंधपत्र की वैधता स्थानांतरण पर समाप्त हो जाती है?

- (क) हाँ
- (ख) नहीं, यह नए न्यायालय पर भी लागू होता है
- (ग) केवल उच्च न्यायालय में मान्य रहता है
- (घ) मैजिस्ट्रेट की अनुमति से ही

279. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 92 के अंतर्गत न्यायालय किस निर्देश के माध्यम से व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करा सकता है?

- (क) उसकी संपत्ति की नीलामी
- (ख) पुलिस को आरोप हटाने का आदेश
- (ग) गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी करना
- (घ) आरोपी को क्षमा करना

280. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 के अनुसार बंधपत्र का उद्देश्य क्या है?

- (क) वित्तीय सुरक्षा के लिए
- (ख) न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए
- (ग) सजा देने के लिए
- (घ) पुलिस को सुविधा देने के लिए

281. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 में क्या न्यायालय साधारण बंधपत्र या जमानत बंधपत्र ले सकता है?

- (क) नहीं
- (ख) हाँ, परिस्थितियों के अनुसार
- (ग) केवल महिला अभियुक्त से
- (घ) नहीं, यह गैर-कानूनी है

282. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 91 का प्रयोग कब किया जा सकता है?

- (क) केवल ट्रायल से पहले
- (ख) कभी भी जब व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो और उसकी उपस्थिति आवश्यक हो
- (ग) केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद
- (घ) केवल पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर

283. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 94 के अनुसार, किसी दस्तावेज़ या वस्तु को प्रस्तुत करने हेतु समन जारी करने का अधिकार किसे है?

- (क) केवल उच्च न्यायालय
- (ख) कोई भी पुलिस कांस्टेबल
- (ग) कोई भी न्यायालय या पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी
- (घ) केवल अभियोजन अधिकारी

284. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 94 के अंतर्गत यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल साक्ष्य लिए उपयुक्त माना जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है?

- (क) उसे जब्त किया जा सकता है बिना आदेश के
- (ख) न्यायालय या पुलिस थाना का भारसाधक अधिकारी उसे प्रस्तुत करने का आदेश दे सकते हैं
- (ग) उसे सार्वजनिक किया जा सकता है

(घ) उसे गवाह के रूप में प्रयोग किया जाता है

285. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 94 के अंतर्गत दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने सम्बन्धी आदेश किस रूप में जारी किया जा सकता है?

(क) केवल मौखिक

(ख) केवल भौतिक रूप में

(ग) लिखित रूप में, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक दोनों

(घ) केवल ईमेल से

286. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 94 के अनुसार, क्या व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है?

(क) नहीं

(ख) हाँ

(ग) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से

(घ) केवल सत्र न्यायालय में

287. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 94 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुए बिना किसी दस्तावेज़ को भेज देता है, तो क्या वह आदेश का पालन माना जाएगा?
- (क) नहीं, जब तक वह स्वयं उपस्थित न हो
 - (ख) हाँ
 - (ग) केवल जिला न्यायालय में
 - (घ) यह मैजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है
288. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 94 के अनुसार निम्न में से किन अधिनियमों को इससे अप्रभावित माना गया है?
- (क) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
 - (ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
 - (ग) भारतीय दंड संहिता
 - (घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और बैंकर्स बुक्स एविडेंस अधिनियम, 1891
289. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 94 किन वस्तुओं पर लागू नहीं होती है?
- (क) मोबाइल फोन
 - (ख) पत्र, पोस्टकार्ड या पार्सल जो डाक विभाग की हिरासत में हो
 - (ग) सीसीटीवी फुटेज

(घ) बैंक स्टेटमेंट

290. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 94 के अनुसार यदि ईमेल या यूएसबी डिवाइस डिजिटल हैं तो क्या ईमेल या यूएसबी डिवाइस की मांग की जा सकती है?

(क) नहीं

(ख) हाँ

(ग) केवल उच्च न्यायालय के आदेश से

(घ) केवल थाना प्रभारी द्वारा

291. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 95 के अनुसार, डाक प्राधिकरण से किसी दस्तावेज़ या पार्सल को सुपुर्द करवाने का आदेश कौन दे सकता है?

(क) पुलिस निरीक्षक

(ख) कार्यपालक मैजिस्ट्रेट

(ग) जिला मैजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय

(घ) ग्राम सचिव

292. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 95 में किन अधिकारियों को डाक प्राधिकरण को वस्तु रोकने का आदेश देने का अधिकार है?
- (क) केवल न्यायालय
 - (ख) कोई भी पुलिसकर्मी
 - (ग) कार्यपालक या न्यायिक मैजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक
 - (घ) तहसीलदार
293. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 95 के अनुसार, क्या जिला मैजिस्ट्रेट डाक प्राधिकरण को पार्सल सुपुर्द करने का निर्देश दे सकता है?
- (क) नहीं
 - (ख) हाँ
 - (ग) केवल उच्च न्यायालय के आदेश से
 - (घ) केवल साक्ष्य अधिनियम के तहत
294. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 95 में यदि कोई वस्तु न्यायालय के लिए आवश्यक हो और वह डाक प्राधिकरण की हिरासत में हो, तो न्यायालय उसे कैसे प्राप्त कर सकता है?
- (क) उसे जब्त कर ले
 - (ख) पुलिस भेजकर ले आए
 - (ग) डाक प्राधिकरण को निर्देश देकर

(घ) न्यायालय में पेशी आदेश जारी करके

295. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 95 के अंतर्गत यदि कोई वस्तु संदिग्ध हो लेकिन अंतिम आदेश बाकी हो, तो अधिकारी क्या कर सकता है?

- (क) उसे नष्ट कर दिया जाता है
- (ख) उसे रोककर आदेश की प्रतीक्षा की जाती है
- (ग) उसे वापस डाकघर भेज दिया जाता है
- (घ) आरोपी को दे दी जाती है

296. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 100 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकारी को संदेह होने पर तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बंदी है?

- (क) प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट
- (ख) उप-मण्डलीय मैजिस्ट्रेट
- (ग) जिला मैजिस्ट्रेट
- (घ) उपरोक्त सभी

297. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 100 के अंतर्गत जारी तलाशी वारण्ट की तामील में तलाशी के दौरान बंदी व्यक्ति मिलने पर उसे किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है?
- (क) उच्च न्यायालय
 - (ख) मैजिस्ट्रेट के समक्ष
 - (ग) पुलिस अधीक्षक के पास
 - (घ) थाने में
298. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 100 के अनुसार तलाशी किसके निर्देश पर की जाती है?
- (क) मुख्य सचिव
 - (ख) जिला पुलिस प्रमुख
 - (ग) मैजिस्ट्रेट
 - (घ) किसी भी पुलिस अधिकारी
299. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 100 के तहत बंदी पाए जाने वाले व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है?
- (क) उसे तुरंत मुक्त कर दिया जाता है
 - (ख) उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है
 - (ग) उसे जेल भेज दिया जाता है

(घ) उसे थाने में रखा जाता है

300. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 100 के अंतर्गत तलाशी किस आधार पर की जाती है?

(क) संदेह के बिना

(ख) मैजिस्ट्रेट के आदेश पर

(ग) बिना किसी आदेश के

(घ) केवल पीड़ित की शिकायत पर

301. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 100 के अनुसार किस स्तर का मैजिस्ट्रेट तलाशी वारंट जारी कर सकता है?

(क) द्वितीय श्रेणी

(ख) कार्यपालक मैजिस्ट्रेट

(ग) प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट

(घ) कोई भी सिविल मैजिस्ट्रेट

302. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 100 के अनुसार तलाशी किन परिस्थितियों में की जाती है?

(क) जब गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी हो

(ख) जब व्यक्ति सदोष परिरोध किया हुआ है

- (ग) जब व्यक्ति किसी कारणवश अनुपस्थित हो
- (घ) सभी विकल्प

303. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 100 के अनुसार तलाशी का उद्देश्य क्या है?

- (क) किसी व्यक्ति को सजा दिलाना
- (ख) किसी व्यक्ति को छुड़ाना
- (ग) अवैध रूप से बंद व्यक्ति को ढूँढना
- (घ) सूचना एकत्र करना

304. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 101 के अनुसार, महिला या बालिका के किस प्रकार के अपहरण या निरोध पर कार्यवाही की जाती है?

- (क) मानसिक रूप से बीमार की
- (ख) अवैध या किसी अनुचित उद्देश्य के लिए
- (ग) वयस्क पुरुष के
- (घ) संपत्ति विवाद के लिए

305. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 101 के अनुसार, निम्न में से कौन अधिकारी बलपूर्वक महिला की मुक्ति सुनिश्चित कर सकता है?
- (क) पुलिस हेड कांस्टेबल
 - (ख) किसी भी अधिवक्ता
 - (ग) प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट
 - (घ) पोस्टमास्टर
306. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 101 के अंतर्गत मुक्त करवाई गई महिला या बालिका को किसे सौंपा जा सकता है?
- (क) स्कूल प्रमुख
 - (ख) एनजीओ कार्यकर्ता
 - (ग) विधिवत अभिभावक या संरक्षक
 - (घ) राजनीतिक प्रतिनिधि
307. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 101 किस प्रकार की महिला के लिए सुरक्षा देती है?
- (क) केवल विवाहित महिला
 - (ख) केवल सरकारी कर्मचारी
 - (ग) कोई भी महिला या बालिका

(घ) केवल अदालत की गवाह

308. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 101 के अंतर्गत प्राप्त शिकायत किस प्रकार की होनी चाहिए?

(क) इलेक्ट्रॉनिक

(ख) शपथ पर आधारित

(ग) मौखिक

(घ) व्यक्तिगत बयान

309. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 101 का उद्देश्य क्या है?

(क) महिला को हिरासत में लेना

(ख) न्यायालय में पेश करना

(ग) महिला को स्वतंत्रता दिलाना

(घ) महिला को दंड देना

310. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 101 में शामिल महिला किस आयु वर्ग की हो सकती है?

(क) 18 से ऊपर

(ख) केवल अविवाहित

(ग) किसी भी आयु की महिला या बालिका

(घ) केवल सरकारी अधिकारी

311. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103 के अनुसार यदि कोई स्थान बंद है तो तलाशी के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है?
- (क) किसी अधिवक्ता की अनुमति
 - (ख) न्यायालय का आदेश
 - (ग) तलाशी वारंट
 - (घ) पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति
312. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103(4) के अनुसार तलाशी से पहले कम से कम कितने स्वतंत्र व्यक्तियों को बुलाना अनिवार्य है?
- (क) एक
 - (ख) दो या अधिक
 - (ग) तीन
 - (घ) चार
313. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103 के अनुसार तलाशी के दौरान तैयार की गई सूची पर निम्न में से कौन हस्ताक्षर करता है?

- (क) मैजिस्ट्रेट
- (ख) पुलिस अधीक्षक
- (ग) गवाह
- (घ) पीड़ित

314. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103(6) के अनुसार तलाशी के दौरान कौन उपस्थित रह सकता है?

- (क) परिवार का कोई सदस्य
- (ख) मकान मालिक
- (ग) तलाशी स्थान का अधिवक्ता
- (घ) तलाशी स्थल का अधिवासी या उसका प्रतिनिधि

315. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103(7) के अंतर्गत तलाशी के समय जब व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तो क्या किया जाता है?

- (क) संपत्ति जब्त कर ली जाती है
- (ख) तलाशी वस्तुओं की सूची बनाई जाती है
- (ग) व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है
- (घ) डॉक्टर को बुलाया जाता है

316. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103(2) के अनुसार यदि वारण्ट का निष्पादन करने वाले पुलिस अधिकारी को बन्द स्थान में प्रवेश की अनुमति न मिले तो अधिकारी क्या कर सकता है?
- (क) छोड़ सकता है
 - (ख) न्यायालय को सूचित कर सकता है
 - (ग) धारा 44(2) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है
 - (घ) अन्य स्थान तलाश सकता है
317. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103 के अंतर्गत यदि व्यक्ति तलाशी का गवाह बनने से इन्कार करता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है?
- (क) धारा 103 भारतीय न्याय संहिता 2023
 - (ख) धारा 222 भारतीय न्याय संहिता 2023
 - (ग) धारा 174 भारतीय न्याय संहिता 2023
 - (घ) धारा 202 भारतीय न्याय संहिता 2023
318. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103 के अनुसार तलाशी के समय गवाह के रूप में किन्हें बुलाया जाना चाहिए?
- (क) न्यायिक अधिकारी
 - (ख) स्थानीय स्वतंत्र और सम्मानित निवासी
 - (ग) पत्रकार

(घ) किसी संस्था के सदस्य

319. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103 के अनुसार क्या तलाशी के दौरान बनाई गई सूची के गवाहों को अदालत में गवाह के रूप में पेश किया जाना अनिवार्य है?

(क) हां

(ख) नहीं, जब तक विशेष रूप से समन न किया जाए

(ग) अदालत के निर्देश पर

(घ) केवल उच्च न्यायालय में

320. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103 के अनुसार तलाशी का कार्य किसके संरक्षण में किया जाता है?

(क) जिला मैजिस्ट्रेट

(ख) संबंधित पुलिस अधिकारी

(ग) तलाशी वारंटधारी अधिकारी

(घ) मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में

321. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103 के अंतर्गत अगर कोई महिला की तलाशी ली जानी हो तो किस बात का ध्यान रखा जाएगा?

- (क) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
- (ख) वकील की उपस्थिति
- (ग) मर्यादा को ध्यान में रखकर महिला द्वारा तलाशी
- (घ) डॉक्टर द्वारा चेकअप

322. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 103 के अनुसार जब कोई व्यक्ति तलाशी के दौरान वस्तु छुपा रहा हो तो अधिकारी क्या कर सकता है?

- (क) उसे छोड़ सकता है
- (ख) उसे हिरासत में ले सकता है
- (ग) उसकी तलाशी ले सकता है
- (घ) उससे दस्तावेज ले सकता है

323. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अनुसार जब कोई वस्तु स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर तलाशी में प्राप्त होती है, तो उसे कहाँ प्रस्तुत किया जाता है?

- (क) उच्च न्यायालय में
- (ख) मैजिस्ट्रेट के समक्ष
- (ग) वारंट जारी करने वाली अदालत के समक्ष
- (घ) पुलिस अधीक्षक के समक्ष

324. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अनुसार, जब कोई वस्तु स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर तलाशी में प्राप्त होती है और तलाशी स्थल वारण्ट जारी करने वाली न्यायालय से अधिक निकट किसी अन्य मैजिस्ट्रेट के क्षेत्र में हो, तो वस्तुएँ किसके समक्ष लाई जाएंगी?

- (क) सत्र न्यायालय
- (ख) जिला मैजिस्ट्रेट
- (ग) संबंधित निकटतम मैजिस्ट्रेट
- (घ) पुलिस थाने

325. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अन्तर्गत किस परिस्थिति में तलाशी में मिली वस्तुएँ वारण्ट जारी करने वाली न्यायालय के बजाय अन्य मैजिस्ट्रेट को भेजी जा सकती हैं?

- (क) जब यात्रा कठिन हो
- (ख) जब तलाशी स्थल न्यायालय से दूर हो
- (ग) जब तलाशी स्थल निकटतम मैजिस्ट्रेट के अधिक समीप हो
- (घ) जब न्यायालय अनुपलब्ध हो

326. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 में किसकी उपस्थिति में तलाशी की वस्तुएँ न्यायालय को सौंपी जाती हैं?

- (क) थाना प्रभारी
- (ख) न्यायिक अधिकारी
- (ग) तलाशी अधिकारी
- (घ) जिला कलेक्टर

327. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अनुसार तलाशी की वस्तुएं किसके माध्यम से सूचीबद्ध की जाती हैं?

- (क) गवाहों द्वारा
- (ख) न्यायालय द्वारा
- (ग) तलाशी अधिकारी द्वारा
- (घ) पुलिस अधीक्षक द्वारा

328. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अनुसार क्या मैजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होता है कि वस्तुएं समय पर अदालत पहुँचें?

- (क) हाँ
- (ख) नहीं
- (ग) केवल अदालत के निर्देश पर
- (घ) पुलिस की सलाह पर

329. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 किस प्रक्रिया से संबंधित है?
- (क) गिरफ्तारी
 - (ख) जमानत
 - (ग) तलाशी के बाद वस्तुओं का निपटान
 - (घ) आपराधिक मुकदमा
330. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 में किस स्थान से वस्तुएँ बरामद करने की प्रक्रिया है?
- (क) आरोपी के घर से
 - (ख) क्षेत्राधिकार से बाहर के स्थान से
 - (ग) पुलिस स्टेशन से
 - (घ) न्यायालय परिसर से
331. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अनुसार यदि कोई वस्तु दूसरे जिले से मिलती है, तो उसे कहाँ भेजा जा सकता है?
- (क) सुप्रीम कोर्ट
 - (ख) थाने में रखा जाएगा
 - (ग) निकटतम मैजिस्ट्रेट को
 - (घ) राज्य सरकार को

332. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अनुसार तलाशी के दौरान बरामद वस्तुओं की सूची कहाँ रखी जाती है?
- (क) न्यायालय में
 - (ख) पुलिस रजिस्टर में
 - (ग) तलाशी दस्तावेज़ों में
 - (घ) मैजिस्ट्रेट के समक्ष
333. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार, पुलिस अधिकारी किन परिस्थितियों में संपत्ति को जब्त कर सकता है?
- (क) केवल आदेश मिलने पर
 - (ख) जब संपत्ति चोरी होने का संदेह हो
 - (ग) जब अभियुक्त फरार हो
 - (घ) जब न्यायालय अनुमति दे
334. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106(1) के अनुसार, किस प्रकार की संपत्ति को पुलिस अधिकारी जब्त कर सकता है?
- (क) केवल दस्तावेज़
 - (ख) केवल ज़मीन
 - (ग) ऐसी संपत्ति जो चोरी की गई हो या अपराध में संलिप्त हो

(घ) केवल वाहन

335. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के तहत, यदि पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी से कनिष्ठ है, तो वह क्या करेगा?

- (क) न्यायालय से आदेश लेगा
- (ख) उच्चाधिकारी को रिपोर्ट देगा
- (ग) तुरंत रिपोर्ट थाना प्रभारी को देगा
- (घ) स्वयं निर्णय लेगा

336. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106(3) के अनुसार, जब्त संपत्ति की रिपोर्ट किसे देनी होती है?

- (क) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को
- (ख) मैजिस्ट्रेट को
- (ग) राज्य सरकार को
- (घ) न्यायालय को

337. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106(3) के अनुसार यदि संपत्ति न्यायालय ले जाना कठिन हो तो क्या किया जा सकता है?

- (क) उसे वहीं छोड़ दिया जाए
- (ख) उसे जला दिया जाए
- (ग) उसे सुरक्षित किसी व्यक्ति को सौंपा जा सकता है

(घ) उसे पुलिस लाइन में रखा जाए

338. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार, यदि जब्त संपत्ति शीघ्र सड़ने वाली हो, तो क्या किया जा सकता है?

(क) उसे नष्ट किया जाएगा

(ख) उसे रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज भेजा जाएगा

(ग) उसे तुरंत नीलाम किया जा सकता है

(घ) उसे सरकार को सौंप दिया जाएगा

339. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अन्तर्गत ऐसे मामलों जिनमें जब्त की गई वस्तु शीघ्रतया और प्रकृतया क्षयशील है और उसका मूल्य 500 रुपये से कम है, में तत्काल बिक्री की अनुमति निम्न में से किस अधिकारी द्वारा दी जा सकती है?

(क) जिला मैजिस्ट्रेट

(ख) पुलिस अधीक्षक

(ग) सत्र न्यायाधीश

(घ) नगर निगम आयुक्त

340. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार, क्या कोई भी पुलिस अधिकारी संपत्ति जब्त कर सकता है?

- (क) हाँ, यदि सन्देह हो कि वह चुराई हुई है या अपराध से जुड़ी हो
- (ख) नहीं, केवल न्यायालय कर सकता है
- (ग) नहीं, केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से
- (घ) केवल उच्च अधिकारी कर सकता है

341. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106(1) के अनुसार, यदि संपत्ति अपराध से संबंधित प्रतीत होती है तो क्या कार्रवाई की जाती है?

- (क) कोई कार्रवाई नहीं
- (ख) उसे अदालत में भेज दिया जाता है
- (ग) उसे जब्त किया जाता है
- (घ) उसे सरकारी सूची में जोड़ा जाता है

342. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106(2) के अन्तर्गत, क्या वस्तु जब्त करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करना अनिवार्य है?

- (क) नहीं
- (ख) हाँ, यदि वह थाने के प्रभारी से कनिष्ठ है
- (ग) केवल डीएसपी को
- (घ) केवल साक्ष्य की स्थिति में

343. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 में पांच सौ रुपये से कम मूल्य की नाशवान संपत्ति के लिए क्या प्रावधान है?
- (क) उसे पुलिस लाइन भेजा जाए
 - (ख) उसे नष्ट कर दिया जाए
 - (ग) उसे नीलाम किया जा सकता है
 - (घ) उसे वापस कर दिया जाए
344. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अन्तर्गत , वस्तुओं की जब्ती बारे पुलिस अधिकारी को किसे सूचित करना आवश्यक है?
- (क) सत्र न्यायालय
 - (ख) क्षेत्राधिकारी
 - (ग) मैजिस्ट्रेट
 - (घ) अभियोजन अधिकारी
345. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के परन्तुक के अनुसार, नाशवान संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि का निपटारा निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है?
- (क) वित्त अधिनियम
 - (ख) नागरिक प्रक्रिया संहिता
 - (ग) आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(घ)बी.एन.एस.एस. अधिनियम की धारा 503 और 504

346. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार, जब्ती अधिकारी को क्या सुनिश्चित करना चाहिए?

(क) संपत्ति न्यायालय में पेश हो

(ख) संपत्ति सुरक्षित रखी जाए

(ग) उपरोक्त दोनों

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

347. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार, यदि जब्त संपत्ति का मालिक मौजूद नहीं है, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है?

(क) संपत्ति को नष्ट कर सकता है

(ख) संपत्ति को स्वयं रख सकता है

(ग) उसे नीलाम करने का आदेश प्राप्त कर सकता है

(घ) संपत्ति को अदालत में रख सकता है

348. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार, जब्त संपत्ति को न्यायालय में कब प्रस्तुत नहीं किया जा सकता?

- (क) जब अभियुक्त भाग जाए
- (ख) जब संपत्ति का मूल्य कम हो
- (ग) जब उसे ले जाना कठिन हो
- (घ) जब मैजिस्ट्रेट मना करे

349. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 में किस परिस्थिति में पुलिस अधिकारी नीलामी कर सकता है?

- (क) जब संपत्ति खो गई हो
- (ख) जब संपत्ति की कीमत अधिक हो
- (ग) जब संपत्ति शीघ्र खराब होने योग्य हो
- (घ) जब अभियोजन द्वारा अनुमति दी जाए

350. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के तहत, जब्त संपत्ति के सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है?

- (क) अभियुक्त की
- (ख) वकील की
- (ग) पुलिस अधिकारी की
- (घ) शिकायतकर्ता की

351. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106(1) के अनुसार, यदि संपत्ति अपराध से संबंधित न हो पर संदेहास्पद स्थिति में पाई गई हो, तो क्या किया जा सकता है?
- (क) उसे छोड़ दिया जाएगा
 - (ख) उसे नष्ट कर दिया जाएगा
 - (ग) उसे जब्त किया जाएगा
 - (घ) उसे अभियुक्त को दे दिया जाएगा
352. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार, जब्त संपत्ति की अभिरक्षा किसी व्यक्ति को दी जाती है, तो वह क्या सुनिश्चित करता है?
- (क) कि वह सम्पत्ति को अदालत में प्रस्तुत करेगा
 - (ख) वह उसे बेच देगा
 - (ग) वह उपयोग में ले सकता है
 - (घ) वह उसे बदल सकता है
353. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अन्तर्गत यह शक्ति किसके पास है कि तलाशी में प्राप्त वस्तु को संबंधित न्यायालय को भेजने का आदेश दे सकता है?
- (क) वकील
 - (ख) राज्य सरकार

- (ग) निकटतम मैजिस्ट्रेट
- (घ) पुलिस महानिदेशक

354. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 के अंतर्गत तलाशी में प्राप्त वस्तुएं किसके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए?
- (क) साक्ष्य अधिकारी
 - (ख) तलाशी वारंट निष्पादक अधिकारी
 - (ग) अभियुक्त
 - (घ) न्यायालय का कर्मचारी
355. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 किस प्रकार की वस्तुओं से संबंधित है?
- (क) केवल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं
 - (ख) तलाशी वारंट से प्राप्त सभी वस्तुएं
 - (ग) अभियुक्त के निजी कागजात
 - (घ) केवल सरकारी दस्तावेज
356. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 में 'तत्काल' शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है?
- (क) जब्त वस्तु के मूल्यांकन में
 - (ख) जब्त वस्तु को मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने में

- (ग) गवाहों की उपस्थिति में
- (घ) किसी आपात स्थिति के संबंध में

357. धारा 104 बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 का उद्देश्य क्या है?

- (क) तलाशी की वैधता सुनिश्चित करना
- (ख) न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना
- (ग) अधिकार क्षेत्र से बाहर तलाशी में बरामद वस्तुओं के उचित निपटान की व्यवस्था
- (घ) पुलिस की स्वतंत्रता को बढ़ाना

358. यदि तलाशी स्थल वारण्ट जारी करने वाली न्यायालय से अधिक दूर है, तो क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 उस वस्तु को निकटतम मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देती है?

- (क) नहीं, केवल सत्र न्यायालय के समक्ष
- (ख) हां
- (ग) केवल राज्य सरकार की अनुमति से
- (घ) नहीं, कभी भी नहीं

359. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 104 निम्न में से किन वस्तुओं पर लागू होता है?
- (क) केवल नकदी पर
 - (ख) केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर
 - (ग) तलाशी में प्राप्त किसी भी वस्तुओं पर
 - (घ) संपत्ति के दस्तावेजों पर
360. क्या धारा 104 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को वस्तुओं को वापिस न्यायालय भेजने का आदेश देने की शक्ति है?
- (क) नहीं
 - (ख) केवल राज्य सरकार के निर्देश पर
 - (ग) हाँ
 - (घ) केवल विशेष न्यायालय ही ऐसा कर सकता है
361. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी किस प्रकार की संपत्ति जब्त कर सकता है?
- (क) चोरी की गई या संदेहास्पद परिस्थिति में पाई गई
 - (ख) केवल सरकारी संपत्ति
 - (ग) केवल अचल संपत्ति
 - (घ) संपत्ति जिसका कोई दावेदार न हो

362. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 में जब्त की गई संपत्ति यदि 500 रुपये से कम मूल्य की है और शीघ्र नष्ट होने योग्य है, तो क्या किया जा सकता है?

- (क) उसे सरकारी गोदाम में रखा जाएगा
- (ख) उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा
- (ग) उसे तुरंत नीलाम किया जा सकता है
- (घ) उसे राज्य को सौंप दिया जाएगा

363. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अनुसार एकसहायकउपनिरीक्षक द्वारा जब्ती के बाद सूचना किसे दी जानी चाहिए?

- (क) जिला कलेक्टर को
- (ख) थाना प्रभारी को
- (ग) अभियुक्त को
- (घ) सत्र न्यायाधीश को

364. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 में किस परिस्थिति में संपत्ति तुरंत नीलाम की जा सकती है?

- (क) जब उसका मूल्य अधिक हो
- (ख) जब वह सरकारी हो

- (ग) जब वह जल्दी नष्ट होने वाली हो और मूल्य ₹500 से कम हो
(घ) जब न्यायालय अनुमति दे

365. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अन्तर्गत कौन सी वस्तुएं जब्त की जा सकती हैं?

- (क) केवल अचल संपत्ति
(ख) अपराध से संबंधित कोई भी संदेहास्पद संपत्ति
(ग) केवल नकद राशि
(घ) केवल दस्तावेज

366. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अंतर्गत क्या प्रत्येक पुलिस अधिकारी को संपत्ति जब्त करने का अधिकार है?

- (क) हां, बिना किसी शर्त के
(ख) नहीं, केवल उच्च अधिकारी को
(ग) हां, यदि संदेहजनक परिस्थिति हो
(घ) नहीं, केवल अदालत के आदेश से

367. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 किस प्रकार की संपत्ति को शामिल करती है?

- (क) केवल चल संपत्ति
- (ख) केवल बैंक बैलेंस
- (ग) संदेहास्पद परिस्थितियों में पाई गई संपत्ति
- (घ) सरकारी भवन

368. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 106 के अन्तर्गत "बन्धपत्र" भरने वाले व्यक्ति का दायित्व क्या होता है?

- (क) संपत्ति की रक्षा करना
- (ख) संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना
- (ग) न्यायालय के आदेश का पालन करना
- (घ) उपरोक्त सभी

369. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 के अनुसार, जांच के दौरान यदि विदेश में साक्ष्य होने की संभावना हो तो अनुरोध पत्र कौन जारी कर सकता है?

- (क) थाना प्रभारी
- (ख) उच्च न्यायालय
- (ग) कोई दाण्डिक न्यायालय
- (घ) राज्य सरकार

370. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 के अंतर्गत अनुरोध पत्र किसको भेजा जाता है?
- (क) आरोपी को
 - (ख) भारत के राष्ट्रपति को
 - (ग) विदेश की सक्षम न्यायिक अथवा प्राधिकृत संस्था को
 - (घ) इंटरपोल को
371. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 के अंतर्गत अनुरोध पत्र में क्या निर्देश दिया जा सकता है?
- (क) आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु
 - (ख) किसी व्यक्ति की मौखिक पूछताछ और दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु
 - (ग) संपत्ति कुर्क करने हेतु
 - (घ) निर्णय सुनाने हेतु
372. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 के अनुसार अनुरोध पत्र भेजने की प्रक्रिया किसके अनुसार निर्धारित होती है?
- (क) राज्य सरकार
 - (ख) विदेश मंत्रालय
 - (ग) केंद्रीय सरकार

(घ) पुलिस विभाग

373. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 के अनुसार, विदेश से प्राप्त ब्यान किस प्रकार माना जाएगा?

(क) शपथपत्र

(ख) प्रमाणिक दस्तावेज नहीं

(ग) अन्वेषण के दौरान एकत्र साक्ष्य

(घ) अज्ञात स्रोत

374. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 में 'अनुरोधपत्र' भेजने की मुख्य शर्त क्या है?

(क) आरोपी की गिरफ्तारी

(ख) न्यायालय की सजा

(ग) विदेश में साक्ष्य की संभावना

(घ) वकील की मांग

375. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 के अनुसार विदेश से प्राप्त दस्तावेज या वस्तुएं न्यायालय में कैसे मानी जाती हैं?

(क) संदिग्ध

(ख) प्रासंगिक नहीं

(ग) जांच में एकत्र साक्ष्य के रूप में

(घ) न्यायालय की संपत्ति

376. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 में अनुरोध पत्र किस माध्यम से भेजा जाता है?

(क) मैजिस्ट्रेट द्वारा

(ख) अभियुक्त द्वारा

(ग) राज्य सरकार द्वारा

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विधि से

377. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 में विदेश से प्राप्त प्रमाण कौन प्रमाणित करता है?

(क) अभियुक्त

(ख) भारत सरकार

(ग) विदेश की अदालत

(घ) कोई आवश्यक नहीं

378. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 के अन्तर्गत विदेश से प्राप्त साक्ष्य किस प्रक्रिया का हिस्सा माने जाते हैं?

(क) अभियोजन

(ख) न्यायिक दंड

(ग) जांच प्रक्रिया

(घ) अपील

379. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 112 के अन्तर्गत अनुरोध पत्र किस प्रयोजन के लिए जारी किया जाता है?

(क) प्रतिरक्षा हेतु

(ख) प्रतिशोध हेतु

(ग) जांच हेतु विदेशी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए

(घ) धन वसूली के लिए

380. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अंतर्गत यदि किसी विदेशी देश से पत्र प्राप्त होता है तो कौन निर्णय लेता है?

(क) उच्च न्यायालय

(ख) राज्य सरकार

(ग) केंद्रीय सरकार

(घ) पीड़ित पक्ष

381. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अनुसार कौन अधिकारी पत्र की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को समन जारी कर सकता है?

- (क) पुलिस अधीक्षक
- (ख) मैजिस्ट्रेट
- (ग) सत्र न्यायाधीश
- (घ) रक्षा वकील

382. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अंतर्गत विदेश से प्राप्त अनुरोध को अन्वेषण के लिये क्या पुलिस अधिकारी को सौंपा जा सकता है?

- (क) नहीं
- (ख) केवल उच्च न्यायालय से अनुमति पर
- (ग) हां, केंद्रीय सरकार के निर्देश पर
- (घ) केवल राज्य सरकार से

383. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अन्तर्गत विदेशी पत्र के आधार पर निम्न में से कौन साक्ष्य एकत्रित कर भेजता है?

- (क) राज्य सरकार
- (ख) अभियुक्त
- (ग) मैजिस्ट्रेट या अन्वेषण अधिकारी
- (घ) थाना प्रभारी

384. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अन्तर्गत विदेश से प्राप्त अनुरोध पर एकत्रित साक्ष्य भेजने की प्रक्रिया निम्न में से किसके द्वारा तय होती है?
- (क) न्यायालय
 - (ख) पुलिस मुख्यालय
 - (ग) केंद्रीय सरकार
 - (घ) विदेश मंत्रालय
385. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अन्तर्गत अनुरोध पत्र किससे प्राप्त होता है?
- (क) आरोपी से
 - (ख) विदेशी अदालत या प्राधिकरण से
 - (ग) भारत सरकार से
 - (घ) मैजिस्ट्रेट से
386. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्र पर जाँच को भारत में किस प्रकार किया जाएगा?
- (क) केवल कागज़ी कार्रवाई
 - (ख) जैसे अपराध भारत में हुआ हो
 - (ग) बिना पूछताछ

(घ) केवल साक्ष्य संग्रह

387. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अंतर्गत विदेश से प्राप्त अनुरोध पत्र की जाँच में निम्न में से कौन-कौन साक्ष्य प्रदान कर सकता है?

(क) केवल सरकारी अधिकारी

(ख) कोई भी गवाह

(ग) मैजिस्ट्रेट द्वारा बुलाया गया व्यक्ति

(घ) केवल अदालत के सदस्य

388. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के तहत प्राप्त विदेशी पत्र के आधार पर भारत में तलाशी ली जा सकती है?

(क) नहीं

(ख) हां

(ग) केवल अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत

(घ) केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति से

389. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 113 के अनुसार प्राप्त विदेशी अनुरोध पत्र से संबंधित सभी साक्ष्य किसे भेजे जाते हैं?

(क) विदेश मंत्रालय

(ख) केंद्रीय सरकार

(ग) आरोपी

(घ) राज्य पुलिस

390. धारा 125, बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो जिससे शांति भंग होने की संभावना हो, तो कौन-सा न्यायालय उसे शांति बनाये रखने हेतु बंधपत्र भरने का आदेश दे सकता है?

(क) केवल उच्च न्यायालय

(ख) केवल विशेष न्यायालय

(ग) प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय

(घ) पंचायत न्यायालय

391. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 125 के अनुसार, क्या शांति भंग से संबंधित अपराध को उकसाने वाला व्यक्ति भी बंधपत्र भरने के आदेश के अधीन हो सकता है?

(क) नहीं, केवल मुख्य अपराध के लिए

(ख) हाँ, यदि वह बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 125 की उपधारा (2) में उल्लिखित अपराधों को उकसाता है

(ग) केवल यदि वह सरकारी कर्मचारी हो

(घ) केवल सिविल मामले में

392. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 125, के अनुसार निम्न में से कौन-सा अपराध "शांति भंग की संभावना" के अंतर्गत नहीं आता है?
- (क) आपराधिक बल प्रयोग
 - (ख) आपराधिक भय
 - (ग) सार्वजनिक संपत्ति की क्षति
 - (घ) वैवाहिक विवाद
393. यदि किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द कर दी जाती है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 125 के अनुसार उस पर पूर्व में आरोपित बंधपत्र की वैधता क्या होगी?
- (क) वैध बना रहेगा
 - (ख) केवल न्यायालय के आदेश से रद्द होगा
 - (ग) स्वतः शून्य हो जाएगा
 - (घ) पुनः पुष्टि कराई जाएगी
394. क्या कोई पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालय भी बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 125 के अंतर्गत शांति बनाये रखने हेतु बंधपत्र भरने का आदेश दे सकता है?
- (क) नहीं
 - (ख) केवल मूल न्यायालय ही दे सकता है

(ग) हाँ

(घ) केवल उच्चतम न्यायालय

395. धारा 126, बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अनुसार, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट कब बंधपत्र भरने की कार्यवाही शुरू कर सकता है?

(क) जब अपराध घटित हो चुका हो

(ख) जब व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो

(ग) जब सूचना मिले कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक शांति भंग कर सकता है

(घ) जब न्यायालय का आदेश मिले

396. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 126 के अनुसार, क्या कार्यपालक मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से बंधपत्र भरवा सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हुए, बाहर कहीं शांति भंग करने वाला कृत्य कर सकता है?

(क) नहीं

(ख) हाँ, यदि व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के क्षेत्र में है

(ग) केवल राज्य सरकार की अनुमति से

(घ) केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से

397. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 126 के अंतर्गत, कार्यवाही की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है जिसमें व्यक्ति से शांति बनाये रखने का बंधपत्र भरवाया जा सकता है?
- (क) तीन महीने
 - (ख) छह महीने
 - (ग) एक वर्ष
 - (घ) दो वर्ष
398. कार्यपालक मैजिस्ट्रेट द्वारा धारा 126, बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अंतर्गत जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति से बंधपत्र भरवाने के लिए कारण पूछा जाता है, उसे क्या कहा जाता है?
- (क) गवाही लेना
 - (ख) कारण बताओ नोटिस
 - (ग) गिरफ्तारी
 - (घ) अनुरोध पत्र
399. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 128 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति अपनी उपस्थिति को छुपा कर रह रहा है और मैजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि वह संज्ञेय अपराध की योजना बना रहा है, तो मैजिस्ट्रेट कौन सी कार्यवाही कर सकता है?

- (क) उसे गिरफ्तार कर सकता है
- (ख) जमानत दे सकता है
- (ग) सदाचार हेतु बंधपत्र भरवाने की कार्यवाही कर सकता है
- (घ) उसे पुलिस को सौंप सकता है

400. धारा 128, बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अंतर्गत, यदि मैजिस्ट्रेट को विश्वास हो कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की मंशा से अपनी पहचान छिपा रहा है, तो वह उससे अधिकतम कितने समय के लिए बंधपत्र भरवाने का आदेश दे सकता है?

- (क) 3 माह
- (ख) 6 माह
- (ग) 9 माह
- (घ) 1 वर्ष

401. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होते हुए भी वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण नहीं करता है, तो कौन आदेश जारी कर सकता है?

- (क) उप-मंडल अधिकारी
- (ख) प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट
- (ग) सत्र न्यायालय
- (घ) जिला कलेक्टर

402. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अंतर्गत, किन परिस्थितियों में वैध या अवैध संतान को भरण-पोषण का अधिकार मिलता है?
- (क) जब वह स्वयं को भरण-पोषण नहीं कर सकती
 - (ख) केवल वैध संतान को
 - (ग) केवल अविवाहित पुत्री को
 - (घ) जब वह विवाहित हो
403. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अनुसार, क्या कोई बालिग पुत्र/पुत्री भरण-पोषण की मांग कर सकता है?
- (क) नहीं, बालिगों को यह अधिकार नहीं है
 - (ख) हाँ, यदि वह मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है
 - (ग) केवल अगर वह बेरोज़गार हो
 - (घ) केवल महिला को
404. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अनुसार, धारा 144 के अंतर्गत कौन-से माता-पिता भरण-पोषण के हकदार हो सकते हैं?
- (क) केवल पिता
 - (ख) केवल माता
 - (ग) जो स्वयं का भरण-पोषण न कर सकें

(घ) केवल जिनकी आय नहीं है

405. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अनुसार, क्या तलाकशुदा पत्नी भरण-पोषण की हकदार होती है?

(क) नहीं

(ख) केवल जब उसके पास आय न हो

(ग) हाँ, यदि उसने पुनर्विवाह नहीं किया हो

(घ) केवल अगर वह बीमार हो

406. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 की व्याख्या के अनुसार, “पत्नी” में कौन सम्मिलित होती है?

(क) केवल वर्तमान पत्नी

(ख) वर्तमान और तलाकशुदा पत्नी जिसने पुनर्विवाह नहीं किया

(ग) तलाकशुदा व पुनर्विवाहित

(घ) केवल विधवा

407. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अंतर्गत कोई पुरुष अपने वैध और अवैध बच्चों में किसे भरण-पोषण नहीं देगा?

(क) विवाहित पुत्री जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है

(ख) विवाहित पुत्र जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है

(ग) अविवाहित पुत्र जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है

(घ) बालिग पुत्री जो अक्षम न हो

408. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अनुसार, क्या किसी विवाहित पुत्री को भरण-पोषण मिल सकता है?

(क) कभी नहीं

(ख) यदि वह नाबालिग है और उसके पति के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं

(ग) हाँ, अनिवार्य रूप से

(घ) केवल उच्च न्यायालय से आदेश पर

409. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अनुसार, क्या मैजिस्ट्रेट अंतरिम भरण-पोषण का आदेश दे सकता है?

(क) नहीं

(ख) केवल अंतिम निर्णय के बाद

(ग) हाँ, कार्यवाही के दौरान

(घ) केवल पति की सहमति से

410. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अनुसार, अंतरिम भरण-पोषण की याचिका पर निर्णय अधिकतम कितने दिनों में किया जाना चाहिए?

- (क) 30 दिन
- (ख) 60 दिन
- (ग) 90 दिन
- (घ) 120 दिन

411. यदि कोई पुरुष अपने भरण-पोषण आदेश का पालन नहीं करता है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के तहत अधिकतम कितने समय की सजा दी जा सकती है?

- (क) एक सप्ताह
- (ख) पंद्रह दिन
- (ग) एक महीना
- (घ) तीन महीने

412. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अंतर्गत पत्नी को भरण-पोषण मिलेगा यदि वह व्यभिचार कर रही हो?

- (क) नहीं
- (ख) हाँ
- (ग) न्यायालय की मर्जी पर
- (घ) केवल यदि पति सहमत हो

413. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अनुसार, क्या कोई पत्नी भरण-पोषण का दावा कर सकती है यदि वह बिना कारण पति के साथ रहने से इन्कार करती है?
- (क) हाँ
 - (ख) नहीं
 - (ग) केवल यदि पति व्यभिचारी हो
 - (घ) मैजिस्ट्रेट के आदेश से
414. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अंतर्गत यदि पति दूसरी शादी करता है या उपपत्नी रखता है, तो क्या पत्नी के अलग रहने को उचित कारण माना जाएगा?
- (क) नहीं
 - (ख) हाँ
 - (ग) केवल तलाक के बाद
 - (घ) न्यायालय की अनुमति से
415. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 144 के अंतर्गत भरण पोषण के आदेशानुसार दी गई राशि वसूलने के लिए अधिकतम कितने समय के अंदर आवेदन करना होगा?
- (क) 6 महीने
 - (ख) 1 वर्ष

(ग) 2 वर्ष

(घ) कोई समय सीमा नहीं

416. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 145 के अनुसार, कार्यवाही किस न्याय क्षेत्र में की जा सकती है?

(क) जहाँ व्यक्ति निवास करता है

(ख) जहाँ पत्नी या माता-पिता निवास करते हैं

(ग) जहाँ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार रहा हो

(घ) उपरोक्त सभी

417. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 145 के अनुसार, यदि प्रतिवादी जानबूझकर कोर्ट से अनुपस्थित रहता है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

(क) मामला खारिज कर देगा

(ख) गिरफ्तारी आदेश देगा

(ग) एकपक्षीय निर्णय देगा

(घ) आदेश स्थगित करेगा

418. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 145 के अंतर्गत एकपक्षीय आदेश को रद्द कराने के लिए अधिकतम कितने महीनों में आवेदन किया जा सकता है?

- (क) 1 महीना
- (ख) 2 महीने
- (ग) 3 महीने
- (घ) 6 महीने

419. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 145 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को कौन-सा अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होता है?

- (क) तलाक देने का
- (ख) विवाह को मान्य करने का
- (ग) लागत निर्धारण का
- (घ) संपत्ति जब्त करने का

420. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 146 के अनुसार, किन परिस्थितियों में भरण-पोषण की राशि में परिवर्तन किया जा सकता है?

- (क) जब व्यक्ति विदेश चला जाए
- (ख) जब पक्षकार की परिस्थितियाँ बदलें
- (ग) जब याचिकाकर्ता संतान हो
- (घ) जब न्यायालय की इच्छा हो

421. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 146 के अनुसार, किस न्यायालय के निर्णय के बाद मैजिस्ट्रेट को भरण-पोषण का आदेश रद्द या परिवर्तित करना पड़ता है?

- (क) असहमति पत्र
- (ख) विवाह प्रमाणपत्र
- (ग) वैधानिक आदेश
- (घ) सक्षम सिविल न्यायालय का निर्णय

422. यदि किसी तलाकशुदा महिला ने पुनर्विवाह कर लिया है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 146 के अनुसार भरण-पोषण आदेश पर क्या प्रभाव होगा?

- (क) कोई प्रभाव नहीं
- (ख) आदेश जारी रहेगा
- (ग) आदेश रद्द किया जाएगा
- (घ) पुनर्निर्धारण किया जाएगा

423. यदि तलाकशुदा महिला ने तलाक के समय सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 146 के अंतर्गत भरण-पोषण आदेश कब रद्द होगा?

- (क) आदेश की तिथि से
- (ख) विवाह की तिथि से
- (ग) याचिका की तिथि से
- (घ) बच्चों के जन्म की तिथि से

424. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 146 के अनुसार, यदि महिला ने स्वेच्छा से भरण-पोषण का अधिकार त्याग दिया हो, तो आदेश कब से रद्द होगा?
- (क) आदेश के बाद
 - (ख) तलाक के दिन
 - (ग) अधिकार त्यागने की तिथि से
 - (घ) मैजिस्ट्रेट की इच्छा पर
425. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 146(4) के अनुसार, जब किसी सिविल अदालत द्वारा भरण-पोषण या दहेज के लिए डिक्री दी जाती है, तो क्या ध्यान में रखा जाएगा?
- (क) पति की आमदनी
 - (ख) पहले दिया गया भरण-पोषण
 - (ग) संतान की संख्या
 - (घ) विवाह की अवधि
426. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 147 के अनुसार, क्या भरण-पोषण आदेश की प्रति शुल्क के बिना दी जाएगी?
- (क) नहीं
 - (ख) हाँ
 - (ग) केवल अदालत के आदेश से
 - (घ) विशेष प्रार्थना पर

427. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 147 के अनुसार, आदेश का प्रवर्तन कहाँ किया जा सकता है?
- (क) केवल जहाँ आदेश जारी हुआ
 - (ख) जहाँ पति रहता है
 - (ग) जहाँ प्राप्तकर्ता रहता है
 - (घ) जहाँ आरोपी हो
428. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 147 के अंतर्गत आदेश को लागू करने के लिए पक्षकारों की पहचान की पुष्टि आवश्यक है?
- (क) नहीं
 - (ख) हाँ
 - (ग) केवल जब विवाद हो
 - (घ) मैजिस्ट्रेट की इच्छा पर
429. एक महिला को अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के बाद पुनर्विवाह हो जाता है और वह भरण-पोषण की राशि प्राप्त करना जारी रखती है। क्या मैजिस्ट्रेट इस पर कार्यवाही कर सकता है?
- (क) आदेश को रद्द कर सकता है
 - (ख) नहीं, आदेश जारी रहेगा
 - (ग) पति को अधिक राशि देने का आदेश देगा
 - (घ) मैजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है

430. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 148 के अनुसार, कम से कम कितने व्यक्तियों की सभा को, यदि उससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो, अवैध माना जा सकता है?
- (क) तीन
 - (ख) पाँच
 - (ग) सात
 - (घ) दस
431. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 148 के तहत अवैध सभा को तितर-बितर करने का आदेश कौन दे सकता है?
- (क) केवल जिला मैजिस्ट्रेट
 - (ख) कोई भी नागरिक
 - (ग) पुलिस स्टेशन का प्रभारी या कार्यपालक मैजिस्ट्रेट
 - (घ) ग्राम प्रधान
432. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 148 के अंतर्गत जब अवैध सभा आदेश के बाद भी न हटे, तो निम्न में से कौन-सा उपाय अपनाया जा सकता है?
- (क) वार्ता
 - (ख) प्रेस नोट
 - (ग) बल प्रयोग

(घ) न्यायालय का हस्तक्षेप

433. यदि बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 148 के अंतर्गत बल प्रयोग किया जाता है, तो क्या किसी आम नागरिक से सहायता ली जा सकती है?

(क) नहीं

(ख) हाँ, यदि वह सशस्त्र बल का सदस्य न हो

(ग) केवल न्यायालय की अनुमति से

(घ) केवल राज्यपाल की आज्ञा से

434. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 149 के अनुसार, सशस्त्र बलों का प्रयोग कब किया जा सकता है?

(क) जब कोई अन्य विकल्प शेष न हो

(ख) आरंभ में ही

(ग) केवल चुनावों में

(घ) मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना

435. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 149 के अंतर्गत, कौन सशस्त्र बलों को सभा तितर-बितर करने का आदेश दे सकता है?

(क) मुख्यमंत्री

(ख) पुलिस महानिदेशक

- (ग) जिला मैजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत कार्यपालक मैजिस्ट्रेट
(घ) ग्राम सभा

436. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 149 के अनुसार, सशस्त्र बल का अधिकारी बल प्रयोग करते समय किस सिद्धांत का पालन करेगा?

- (क) अधिकतम बल
(ख) न्यूनतम आवश्यक बल
(ग) राजनीतिक निर्देश
(घ) कोई सीमा नहीं

437. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 150 के अनुसार, किस परिस्थिति में सशस्त्र बल का अधिकारी स्वयं निर्णय लेकर सभा तितर-बितर कर सकता है?

- (क) जब उसे अनुमति मिले
(ख) जब कार्यपालक मैजिस्ट्रेट से संपर्क संभव न हो
(ग) जब वह चाहे
(घ) जब पुलिस उसे कहे

438. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 150 के अंतर्गत कार्य करते समय सशस्त्र बल के अधिकारी को कार्यपालक मैजिस्ट्रेट से संपर्क संभव होने पर अनुवर्ती निर्देश मानने होते हैं?
- (क) नहीं
 - (ख) केवल अपनी मर्जी से
 - (ग) हाँ
 - (घ) केवल राज्य सरकार की अनुमति से
439. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 151 के अनुसार, धारा 148-150 के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति पर अभियोजन कब किया जा सकता है?
- (क) न्यायालय की अनुमति से
 - (ख) बिना किसी अनुमति के
 - (ग) केंद्र या राज्य सरकार की स्वीकृति से
 - (घ) जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश पर
440. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 151 के अनुसार, यदि कोई सशस्त्र बल अधिकारी अपने उच्चाधिकारी के आदेश का पालन करता है, तो क्या वह अपराध का दोषी माना जाएगा?
- (क) हाँ
 - (ख) नहीं

- (ग) केवल न्यायालय निर्णय देगा
- (घ) उसे दंडित किया जाएगा

441. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 151 के अनुसार “सशस्त्र बल”में कौन-कौन सम्मिलित हैं?

- (क) केवल सेना
- (ख) सेना, नौसेना और वायुसेना
- (ग) राज्य पुलिस
- (घ) केवल अर्धसैनिक बल

442. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अनुसार, सार्वजनिक स्थल से अवैध रुकावट को हटाने का आदेश निम्न में से कौन दे सकता है?

- (क) राज्यपाल
- (ख) जिला या उप-मण्डलिय मैजिस्ट्रेट
- (ग) ग्राम प्रधान
- (घ) पुलिस निरीक्षक

443. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अंतर्गत किस प्रकार की गतिविधि को बंद या नियंत्रित किया जा सकता है?
- (क) खेती
 - (ख) व्यापार जो समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित करे
 - (ग) पूजा-पाठ
 - (घ) शैक्षिक संस्थान
444. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अनुसार, यदि कोई भवन गिरने की स्थिति में है और लोगों को खतरा है, तो मैजिस्ट्रेट निम्न में से किस प्रकार का आदेश दे सकता है?
- (क) प्रतीक्षा करेगा
 - (ख) मरम्मत या हटाने का आदेश
 - (ग) रिपोर्ट तैयार करेगा
 - (घ) उसे सील करेगा
445. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 में “लोकस्थान” की परिभाषा में क्या सम्मिलित है?
- (क) केवल सड़क
 - (ख) निजी सम्पत्ति
 - (ग) राज्य संपत्ति, पडाव के मैदान और आमोद प्रमोद के प्रयोजन के लिये छोड़े गये खाली मैदान

(घ) केवल राजमार्ग

446. यदि कोई व्यक्ति खतरनाक जानवर रखता है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अंतर्गत इस सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट क्या आदेश दे सकता है?

(क) पशु को खुले में छोड़ने का

(ख) उसे बेचने का

(ग) उसे नष्ट करने, बंद करने या अन्य उचित तरीके से रखने का

(घ) उसे राज्य को सौंपने का

447. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अंतर्गत जारी किया गया आदेश किसी सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है?

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) केवल उच्च न्यायालय में

(घ) विशेष अनुमति से

448. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति आदेश से असहमत हो, तो उसे क्या विकल्प दिया गया है?

- (क) प्रदर्शन करने का
- (ख) उच्च न्यायालय में याचिका
- (ग) मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताने का
- (घ) मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का

449. यदि कोई व्यवसाय समुदाय के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अंतर्गत क्या किया जा सकता है?

- (क) व्यवसाय को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा
- (ख) व्यवसाय को नियंत्रित या समाप्त किया जा सकता है
- (ग) केवल आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा
- (घ) मीडिया रिपोर्ट बनाई जाएगी

450. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अंतर्गत किसी निर्माण कार्य को भी रोका जा सकता है?

- (क) हाँ, यदि उससे आग या विस्फोट का खतरा हो
- (ख) नहीं
- (ग) केवल नगर निगम के आदेश से

(घ) केवल निर्माण सामग्री होने पर

451. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के तहत खतरनाक जानवरों को नियंत्रित करने का आदेश कौन दे सकता है?

(क) पशु चिकित्सा अधिकारी

(ख) पुलिस अधिकारी

(ग) कार्यपालक मैजिस्ट्रेट

(घ) नागरिक अदालत

452. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अंतर्गत “नुकसानदेह वस्तु” से क्या तात्पर्य है?

(क) जो व्यापार में घाटा दे

(ख) जिससे विस्फोट या आग लगने की संभावना हो

(ग) जो महंगी हो

(घ) विदेशी हो

453. यदि कोई पेड़ ऐसे स्थान पर खड़ा है जिससे आस-पास रहने वालों को खतरा हो सकता है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 152 के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट क्या आदेश दे सकता है?

(क) उसे यथावत रहने दे

(ख) हटाने का आदेश दे सकता है

- (ग) नागरिकों से सुझाव मांगे
- (घ) पंचायत को सूचना भेजे

454. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 166 के अनुसार, यदि भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद से शांति भंग की आशंका हो, तो कार्यवाही कौन प्रारंभ करता है?

- (क) राजस्व अधिकारी
- (ख) सिविल न्यायालय
- (ग) कार्यपालक मैजिस्ट्रेट
- (घ) नगरपालिका

455. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 166 के अंतर्गत "भूमि या जल" की परिभाषा निम्न में से किस धारा से ली गई है?

- (क) धारा 151बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023
- (ख) धारा 164(2)BNS 2023
- (ग) धारा 164(2)बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023
- (घ) धारा 130BNS 2023

456. यदि विवादित उपयोग का अधिकार संदेहास्पद हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 166 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को किस आधार पर कार्यवाही करनी होती है?
- (क) पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचना से संतोष होने पर
 - (ख) पक्षकारों की सहमति से
 - (ग) संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर
 - (घ) राजस्व विभाग के आदेश से
457. कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि उसे खेत के बीच से रास्ता निकालने का अधिकार है, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसमें अवरोध खड़ा कर दिया है। क्या मैजिस्ट्रेट बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 166 के तहत उस अवरोध को हटाने का आदेश दे सकता है?
- (क) नहीं
 - (ख) केवल न्यायालय की अनुमति से
 - (ग) हाँ, यदि वह अधिकार अस्तित्व में है
 - (घ) केवल पुलिस की सिफारिश पर
458. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 166 के अनुसार, क्या मैजिस्ट्रेट ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिससे पक्षकार को उसके उपयोग के अधिकार से वंचित न किया जाए?

- (क) नहीं
- (ख) केवल स्थगन आदेश दे सकता है
- (ग) हाँ, ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिससे हस्तक्षेप रोका जा सके
- (घ) केवल चेतावनी जारी कर सकता है

459. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 166 के अंतर्गत, जब विवाद मौसमी अधिकार से संबंधित हो, तो किस स्थिति में मैजिस्ट्रेट आदेश पारित नहीं करेगा?

- (क) जब वह अधिकार पिछले तीन वर्षों में प्रयोग न किया गया हो
- (ख) जब पक्षकार अनुपस्थित हो
- (ग) जब वह अधिकार विवादित हो
- (घ) जब वह अधिकार पिछले मौसम में प्रयोग न किया गया हो

460. यदि मैजिस्ट्रेट को प्रारंभिक कार्यवाही में यह ज्ञात होता है कि विवाद भूमि के कब्जे के बजाय उपयोग के अधिकार से संबंधित था, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 166 के अनुसार वह क्या कर सकता है?

- (क) कार्यवाही समाप्त कर सकता है
- (ख) इसे धारा 166 के अंतर्गत मानकर जारी रख सकता है
- (ग) उसे सिविल कोर्ट भेज सकता है

(घ) वह पक्षकारों को पुनः बुला सकता है

461. मैजिस्ट्रेट द्वारा बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 166 के अंतर्गत जारी आदेश में किन परिस्थितियों में पूर्व उपयोग को अनिवार्य माना जाता है?

(क) जब अधिकार किसी विशेष समय या अवसर पर लागू होता है

(ख) जब भूमि सरकारी होती है

(ग) जब मामला सिविल न्यायालय में लंबित हो

(घ) जब पुलिस ने अनुशंसा की हो

462. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 168 के अनुसार, किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी की क्या जिम्मेदारी होती है?

(क) केवल रिपोर्ट करना

(ख) केवल अदालत को सूचना देना

(ग) रोकथाम के लिए सर्वोत्तम प्रयास करना

(घ) गिरफ्तारी के लिए आदेश लेना

463. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 168 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को किस प्रकार के अपराधों की रोकथाम करनी होती है?

- (क) असंज्ञेय अपराध
- (ख) संज्ञेय अपराध
- (ग) दीवानी विवाद
- (घ) राजस्व अपराध

464. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 169 के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी को क्या सूचना देनी होती है?

- (क) अपराध के पश्चात की सूचना
- (ख) गिरफ्तारी की सूचना
- (ग) संज्ञेय अपराध की योजना की सूचना
- (घ) चार्जशीट की स्थिति

465. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 170 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध की योजना बनाई जा रही हो, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है?

- (क) मैजिस्ट्रेट से आदेश लेकर उसे बुला सकता है
- (ख) वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है
- (ग) प्राथमिकी दर्ज किए बिना छोड़ सकता है
- (घ) गवाहों से हस्ताक्षर ले सकता है

466. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 170 के अनुसार, बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है?
- (क) 12 घंटे
 - (ख) 48 घंटे
 - (ग) 24 घंटे
 - (घ) 72 घंटे
467. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 170(2) के अंतर्गत, बिना अन्य प्रावधानों के समर्थन के कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखा जा सकता है?
- (क) हाँ
 - (ख) नहीं
 - (ग) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से
 - (घ) केवल साक्ष्य मिलने पर
468. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 171 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है?
- (क) रिपोर्ट लिख सकता है
 - (ख) न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकता है
 - (ग) अपने अधिकार से रोकथाम कर सकता है

(घ) आरोपी को छोड़ सकता है

469. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 171 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी किस प्रकार की संपत्ति की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है?

(क) केवल अचल संपत्ति

(ख) केवल चल संपत्ति

(ग) लोकसंपत्ति, चल और अचल दोनों

(घ) निजी संपत्ति

470. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 172(1) के अनुसार, क्या नागरिकों पर पुलिस अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है?

(क) नहीं

(ख) केवल आवश्यक मामलों में

(ग) हाँ, अनिवार्य है

(घ) केवल लिखित में निर्देश हो तभी

471. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 172(2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस के वैध निर्देश का पालन करने से इन्कार करता है, तो पुलिस क्या कर सकती है?
- (क) उसकी शिकायत दर्ज करेगी
 - (ख) न्यायालय को सूचित करेगी
 - (ग) उसे हिरासत में ले सकती है या मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है
 - (घ) उसे नोटिस भेजेगी
472. यदि कोई व्यक्ति बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 172 के तहत पुलिस के निर्देश की अवहेलना करता है और मामला तुच्छ हो, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है?
- (क) उसे 48 घंटे तक बंद रख सकता है
 - (ख) न्यायालय में भेजे बिना छोड़ सकता है
 - (ग) 24 घंटे के भीतर रिहा कर सकता है
 - (घ) अनिश्चित समय तक हिरासत में रख सकता है
473. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 172 के अनुसार, क्या पुलिस को ऐसे व्यक्ति को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने का अधिकार है जो वैध निर्देश को अनदेखा करता है?

- (क) नहीं
- (ख) हाँ
- (ग) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से
- (घ) केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की सलाह पर

474. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धाराओं 168 से 172 तक के प्रावधानों का उद्देश्य मुख्यतः किस प्रकार की स्थिति को नियंत्रित करना है?

- (क) आपराधिक मामलों की सुनवाई
- (ख) संज्ञेय अपराधों की रोकथाम
- (ग) साक्ष्य संकलन
- (घ) सिविल विवाद समाधान

475. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173 के अनुसार यदि कोई महिला, जिसके विरुद्ध BNS 2023 की धारा 64 से 79 या 124 के अंतर्गत अपराध किया गया है, बयान देती है, तो उस बयान को कौन दर्ज करेगा?

- (क) किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा
- (ख) केवल पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा
- (ग) महिला पुलिस अधिकारी या कोई भी महिला अधिकारी द्वारा
- (घ) केवल थाना प्रभारी द्वारा

476. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173(1)(ii) के अनुसार यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई है, तो उसे कितने दिनों के भीतर हस्ताक्षरित करना आवश्यक है?

(क) 1 दिन

(ख) 2 दिन

(ग) 3 दिन

(घ) 7 दिन

477. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173 के तहत पुलिस अधिकारी को किस मामले में प्राथमिक जांच की अनुमति मिल सकती है?

(क) जहाँ अपराध की सजा 1 वर्ष तक है

(ख) जहाँ अपराध की सजा 7 वर्ष से अधिक है

(ग) जहाँ अपराध की सजा 3 वर्ष या अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम है

(घ) किसी भी अपराध में

478. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174(2) के अनुसार, गैर-संज्ञेय अपराध की जांच शुरू करने से पहले पुलिस अधिकारी को क्या प्राप्त करना आवश्यक है?
- (क) थाना प्रभारी की अनुमति
 - (ख) अभियुक्त की स्वीकृति
 - (ग) मैजिस्ट्रेट का आदेश
 - (घ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति
479. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 175(1) के अनुसार किस प्रकार के मामलों की पुलिस बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच कर सकती है?
- (क) केवल गैर-संज्ञेय
 - (ख) केवल संज्ञेय
 - (ग) दोनों
 - (घ) कोई नहीं
480. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(1) के अनुसार बलात्कार के मामलों में पीड़िता का बयान कहाँ लिया जाना चाहिए?
- (क) पुलिस स्टेशन में
 - (ख) उसके निवास स्थान या पसंद की जगह पर
 - (ग) कोर्ट में
 - (घ) अस्पताल में

481. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 177 के अनुसार यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस रिपोर्ट किसके माध्यम से मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है ?

- (क) न्यायिक मैजिस्ट्रेट
- (ख) थानाध्यक्ष
- (ग) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी
- (घ) कोई भी अधिकारी

482. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 178 के तहत, मैजिस्ट्रेट किस स्थिति में प्रारम्भिक जांच स्वयं कर सकता है?

- (क) केवल जब पुलिस अनुरोध करे
- (ख) यदि वह उपयुक्त समझे
- (ग) केवल संज्ञेय मामलों में
- (घ) केवल गैर-संज्ञेय मामलों में

483. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 179 के अनुसार किस उम्र के पुरुष व्यक्ति को पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है?

- (क) 21 वर्ष से नीचे
- (ख) 18 वर्ष से नीचे

(ग) 15 वर्ष से नीचे

(घ) 60 वर्ष से नीचे

484. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 180 के अनुसार पुलिस अधिकारी जांच के दौरान किसे मौखिक रूप से पूछताछ कर सकता है?

(क) कोई भी व्यक्ति

(ख) केवल अभियुक्त

(ग) जो व्यक्ति मामले से परिचित हो

(घ) केवल गवाह

485. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 181 के अनुसार पुलिस को दर्ज बयान को हस्ताक्षरित कराना क्यों वर्जित है?

(क) प्रक्रिया धीमी हो जाती है

(ख) साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वर्जित है

(ग) उस बयान को न्यायालय में सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता

(घ) पुलिस को यह अधिकार नहीं

486. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 182(1) निम्न में से किस व्यवहार को प्रतिबंधित करती है?
- (क) स्वैच्छिक बयान
 - (ख) झूठी जानकारी
 - (ग) प्रलोभन, धमकी या वादा
 - (घ) गिरफ्तारी का भय
487. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(1) के अनुसार संस्वीकृति दर्ज करने का अधिकार किसे है?
- (क) पुलिस अधिकारी
 - (ख) कार्यपालक मैजिस्ट्रेट
 - (ग) कोई भी न्यायिक मैजिस्ट्रेट
 - (घ) सरकारी वकील
488. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(6)(b) के अनुसार, मानसिक रूप से विकलांग पीड़िता का बयान यदि विशेष शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड किया जाए तो क्या माना जाएगा?
- (क) पुनः परीक्षण की आवश्यकता है
 - (ख) केवल समर्थन साक्ष्य है
 - (ग) मुख्य परीक्षण के स्थान पर स्वीकार्य
 - (घ) साक्ष्य नहीं माना जाएगा

489. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 184 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कितने समय के भीतर होना चाहिए?

(क) 12 घंटे

(ख) 24 घंटे

(ग) 48 घंटे

(घ) 72 घंटे

490. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 185(1) के अनुसार पुलिस अधिकारी को किसी स्थान की तलाशी कब लेने की अनुमति है?

(क) जब उसके पास सर्च वारंट हो

(ख) जब न्यायालय अनुमति दे

(ग) जब उसे उचित विश्वास हो कि वह वस्तु वहीं मिल सकती है

(घ) जब पीड़ित शिकायत करे

491. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 185(2) के अनुसार तलाशी किस विधि से रिकॉर्ड की जानी चाहिए?

- (क) दस्तावेजी रूप में
- (ख) गवाहों की उपस्थिति में
- (ग) केवल पुलिस डायरी में
- (घ) ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

492. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 186 के अनुसार यदि दो थानों की सीमा में तलाशी की आवश्यकता हो, तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?

- (क) कोर्ट से अनुमति ली जाती है
- (ख) दूसरे थाना प्रभारी को सूचना देकर तलाशी कर सकते हैं
- (ग) उस स्थान को छोड़ दिया जाता है
- (घ) कोई कार्रवाई नहीं होती

493. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187(3) के अनुसार जब अपराध 10 वर्ष या अधिक की सजा वाला हो तो न्यायिक अभिरक्षा अधिकतम कितने दिनों तक दी जा सकती है?

- (क) 30 दिन
- (ख) 45 दिन
- (ग) 60 दिन
- (घ) 90 दिन

494. जब किसी मुकद्दमा का अन्वेषण अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तो अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के अनुसार अन्वेषणाधिकारी किसे करता है?

(क) न्यायालय

(ख) वादी

(ग) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

(घ) थाना प्रभारी

495. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 में पुलिस किस स्थिति में अभियुक्त को रिहा कर सकती है?

(क) जब पर्याप्त साक्ष्य न हो

(ख) जब अभियुक्त दोष स्वीकार न करे

(ग) जब पीड़ित नहीं मिले

(घ) जब मैजिस्ट्रेट का आदेश हो

496. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 190(1) के अनुसार यदि साक्ष्य पर्याप्त हो और अभियुक्त हिरासत में है, तो पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए?

(क) उसे छोड़ देना चाहिए

(ख) न्यायालय में रिपोर्ट भेजनी चाहिए

(ग) थाने में रखे रहना चाहिए

(घ) अन्य थाने भेजना चाहिए

497. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 192(1) के अनुसार पुलिस अधिकारी को अन्वेषण से संबंधित कौन-सी जानकारी केस डायरी में दर्ज करनी होती है?

(क) गवाह के बयान

(ख) स्थानों की यात्रा

(ग) समय और प्रक्रिया

(घ) उपरोक्त सभी

498. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, जब अपराध POCSO अधिनियम या BNS की महिला विरुद्ध अपराध की कुछ धाराओं के अंतर्गत आता है तो अन्वेषण पूरा करने के लिए समय सीमा क्या है?

(क) 30 दिन

(ख) 60 दिन

(ग) 90 दिन

(घ) 120 दिन

499. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, पुलिस अधिकारी को पीड़ित या सूचक को जांच की प्रगति की जानकारी कब तक देनी चाहिए?
- (क) 15 दिन
 - (ख) 30 दिन
 - (ग) 60 दिन
 - (घ) 90 दिन
500. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय पुलिस अधिकारी को कौन-से दस्तावेज़ भेजने होते हैं?
- (क) केवल अभियुक्त का नाम
 - (ख) केवल साक्षियों के बयान
 - (ग) सभी दस्तावेज़ जिन पर अभियोजन निर्भर करेगा
 - (घ) कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं
501. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, क्या मैजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के बन्धपत्र को समाप्त कर सकता है?
- (क) हाँ, मैजिस्ट्रेट ऐसा आदेश दे सकता है
 - (ख) नहीं, केवल पुलिस अधिकारी ही कर सकता है

- (ग) मैजिस्ट्रेट को राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है
- (घ) मैजिस्ट्रेट को विशेष आदेश की आवश्यकता होती है

502. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए?

- (क) मामले को बंद कर देना चाहिए
- (ख) शव को तुरंत दफना देना चाहिए
- (ग) निकटतम कार्यपालिका मैजिस्ट्रेट को सूचना देनी चाहिए
- (घ) परिजनों को गिरफ्तार करना चाहिए

503. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अनुसार, यदि किसी स्त्री की विवाह के 7 वर्षों के भीतर मृत्यु हो जाए, तो पुलिस को क्या करना चाहिए?

- (क) कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं करनी होती
- (ख) शव का परीक्षण आवश्यक नहीं होता
- (ग) शव को परीक्षण के लिए सिविल सर्जन को भेजना चाहिए
- (घ) मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट न भेजना

504. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अनुसार, पुलिस द्वारा बनाई गई मृत्यु रिपोर्ट में क्या विवरण होता है?
- (क) मृतक की आयु
 - (ख) हत्या का उद्देश्य
 - (ग) मृत्यु के दृश्यमान कारण, शरीर पर पाए गए घाव इत्यादि व हथियार की जानकारी
 - (घ) मृतक की अंतिम इच्छा
505. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अनुसार, पुलिस जब बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है, को क्या ऐसे लोगों को जो मामले की जानकारी रखते हैं, बुला सकती है?
- (क) नहीं, केवल मैजिस्ट्रेट कर सकता है
 - (ख) हाँ, केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए
 - (ग) हाँ, और उन्हें प्रश्नों का सत्य उत्तर देना होगा
 - (घ) केवल आरोपी के कहने पर
506. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अनुसार, निम्न में से किस परिस्थिति में गवाह को उसके निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बुलाया नहीं जा सकता?

- (क) जब वह आरोपी हो
- (ख) जब वह गवाह हो
- (ग) जब वह बीमार हो या उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो या महिला हो
- (घ) जब वह कोई पदाधिकारी हो

507. पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की रिपोर्ट बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को किस प्रकार से भेजनी होती है?

- (क) केवल लिखित रूप में
- (ख) मौखिक सूचना के माध्यम से
- (ग) लिखित रूप में व इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित
- (घ) केवल पुलिस मुख्यालय के माध्यम से

508. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अन्तर्गत, आत्महत्या के मामले में पुलिस को कितने समय के भीतर रिपोर्ट जिला मैजिस्ट्रेट को भेजनी होती है?

- (क) 12 घंटे
- (ख) 24 घंटे
- (ग) 48 घंटे

(घ) 72 घंटे

509. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अन्तर्गत , यदि किसी बयान का कोई भाग विशेष सार्वजनिक हित में प्रकट नहीं किया जा सकता, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है?

(क) मैजिस्ट्रेट से उस भाग को विलोपित करने का अनुरोध कर सकता है

(ख) पूरे बयान को वापस ले सकता है

(ग) मैजिस्ट्रेट को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती

(घ) आरोपी से पूछ सकता है

510. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 के अनुसार, यदि कोई महिला पुलिस या न्यायिक हिरासत में बलात्कार का शिकार होती है, तो जांच कौन करेगा?

(क) जिला मैजिस्ट्रेट

(ख) निकटस्थ मैजिस्ट्रेट

(ग) पुलिस अधिकारी

(घ) विशेष न्यायाधीश

511. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, तफ्तीश पूरी होने के बाद कौन-से दस्तावेज रिपोर्ट सहित मैजिस्ट्रेट को भेजे जाते हैं?

(क) केवल एफआईआर

(ख) अभियोजन की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज और साक्षियों के बयान

(ग) अदालत के आदेश की प्रति

(घ) कोई नहीं

512. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 के अनुसार, यदि कोई शव पहले से दफन किया गया है, तो क्या मैजिस्ट्रेट उसे फिर से निकाल सकता है?

(क) नहीं

(ख) केवल राज्य सरकार की अनुमति से

(ग) हाँ, जब मृत्यु का कारण जानना आवश्यक हो

(घ) पुलिस की अनुमति से

513. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुलिस के समक्ष प्रश्नों के उत्तर देने से मना करता है, तो कब उसे छूट मिलती है?

- (क) जब वह स्वयं अभियुक्त हो
- (ख) जब उत्तर उसे दंड या दोष में डाल सकता है
- (ग) जब वह सरकारी कर्मचारी हो
- (घ) जब वह पीड़ित हो

514. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अनुसार, यदि कोई संदेहास्पद मृत्यु हो, तो पुलिस को किसके समक्ष जांच करनी होती है?

- (क) एसपी
- (ख) दो या अधिक सम्माननीय स्थानीय व्यक्तियों की उपस्थिति में
- (ग) आरोपी के परिजनों की उपस्थिति में
- (घ) मीडिया के सामने

515. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अनुसार, महिला की संदिग्ध मृत्यु की स्थिति में शव को किसके पास भेजा जाना चाहिए?

- (क) अस्पताल के प्रभारी के पास
- (ख) मैजिस्ट्रेट के पास
- (ग) निकटतम सिविल सर्जन
- (घ) पुलिस उपाधीक्षक के पास

516. मुकद्दमें के अन्वेषण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त होने की स्थिति में बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अन्तर्गत भेजी जाने वाली रिपोर्ट में क्या उल्लेख आवश्यक है?
- (क) उस उपकरण की कीमत
 - (ख) उस पर लगे वायरस की जानकारी
 - (ग) उसकी कस्टडी का क्रम
 - (घ) उसका ब्रांड नाम
517. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 के अनुसार, मैजिस्ट्रेट को मृत्यु की जांच करते समय मृतक के परिजनों को क्या सुविधा देनी होती है?
- (क) उन्हें पुलिस हिरासत में रखना
 - (ख) उन्हें जांच से दूर रखना
 - (ग) उन्हें जांच में उपस्थित होने की अनुमति
 - (घ) केवल पुरुष परिजनों को बुलाना
518. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, यदि मैजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता, तो वह क्या कर सकता है?

- (क) वह जांच बंद कर सकता है
- (ख) वह नए मैजिस्ट्रेट को सौंप सकता है
- (ग) वह पुलिस अधिकारी को आगे की जांच के निर्देश दे सकता है
- (घ) वह मामले को निलंबित कर सकता है

519. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अन्तर्गत, क्या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में बुलाया जा सकता है?

- (क) हाँ
- (ख) नहीं
- (ग) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से
- (घ) यदि वह गवाह हो

520. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, पुलिस द्वारा रिपोर्ट भेजने की आधुनिक विधि क्या मानी जाती है?

- (क) टेलीग्राम
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक संचार
- (ग) फैक्स
- (घ) कोरियर

521. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अनुसार, किस स्थिति में पुलिस द्वारा बुलाए गए व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से छूट मिलती है?
- (क) जब वह व्यस्त हो
 - (ख) जब मामला दंडनीय न हो
 - (ग) जब तथ्यों से मामला गैर-संज्ञेय हों
 - (घ) जब वह सरकारी कर्मचारी हो
522. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 के अनुसार, हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार की स्थिति में मैजिस्ट्रेट को क्या करना अनिवार्य है?
- (क) केस बंद करना
 - (ख) रिपोर्ट सार्वजनिक करना
 - (ग) जांच करना
 - (घ) पुलिस को कार्यवाही का आदेश देना
523. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, जाँच पूरी होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ यदि और साक्ष्य प्राप्त हो जाएँ तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा?
- (क) रिपोर्ट वापस लेगा
 - (ख) अभियुक्त को रिहा करेगा

- (ग) मैजिस्ट्रेट को आगे के अन्वेषण की रिपोर्ट भेजेगा
- (घ) नया मामला दर्ज करेगा

524. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु की जाँच में कौन-से तथ्य रिपोर्ट में होने चाहिए?

- (क) मृतक का धर्म
- (ख) मृत्यु के दृश्यमान कारण व शव पर चोट के चिन्हों का विवरण
- (ग) मृतक का मोबाइल नंबर
- (घ) पुलिस कर्मियों की संख्या

525. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अंतर्गत में निम्न में से किस अधिनियम के अपराधों की जाँच दो महीने में पूरी करनी होती है?

- (क) आतंकवाद निरोधक अधिनियम
- (ख) भ्रष्टाचार अधिनियम
- (ग) पोक्सो अधिनियम, 2012
- (घ) सायबर अपराध अधिनियम

526. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 के अनुसार, यदि कोई महिला विवाह के सात वर्षों के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई जाती है, तो पुलिस अधिकारी को क्या करना होता है?
- (क) शव को परिजनों को सौंप देना
 - (ख) निकटतम चिकित्सक को भेजना
 - (ग) शव को परीक्षण हेतु सिविल सर्जन के पास भेजना
 - (घ) मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजे बिना अंतिम संस्कार कराना
527. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जब तक वह स्वयं न चाहें, पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है?
- (क) पुरुष जिनकी उम्र 20 वर्ष हो
 - (ख) महिलाएं
 - (ग) 15 से 60 वर्ष के पुरुष
 - (घ) सरकारी अधिकारी
528. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, कौन-सा माध्यम अभियुक्त को रिपोर्ट और दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए वैध माना गया है?
- (क) फैंक्स
 - (ख) कोरियर
 - (ग) इलेक्ट्रॉनिक संचार

(घ) व्यक्तिगत सेवा

529. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 के अनुसार, मैजिस्ट्रेट निम्न में से किन परिजनों को जांच के दौरान उपस्थिति की अनुमति देता है?

(क) केवल पिता

(ख) मृतक के सभी ज्ञात परिजन

(ग) केवल भाई

(घ) कोई नहीं

530. जब अभियुक्त को बेल या बन्धपत्र पर रिहा किया जाता है तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

(क) पुनः गिरफ्तारी का आदेश

(ख) रिहाई का विरोध

(ग) बन्धपत्र को समाप्त करने या उपयुक्त आदेश जारी कर सकता है

(घ) केस रद्द करना

531. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अन्तर्गत निम्नलिखित किस दस्तावेज़ के आधार पर अभियोजन पक्ष अपने गवाह प्रस्तुत करता है?
- (क) अभियुक्त का ब्यान
 - (ख) पुलिस केस डायरी
 - (ग) धारा 180 के अंतर्गत दर्ज ब्यान
 - (घ) न्यायालय का आदेश
532. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अनुसार, क्या गवाह को खुद के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने वाले प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं?
- (क) हाँ
 - (ख) नहीं, यदि उससे खुद को दोषी ठहराने का खतरा हो
 - (ग) केवल न्यायालय आदेश दे तो
 - (घ) जब पुलिस उसे मजबूर करे
533. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, कौन-सा विवरण रिपोर्ट में अनिवार्य है जब महिला के खिलाफ अपराध हुआ हो?
- (क) महिला की आयु
 - (ख) महिला की जाति

- (ग) महिला की चिकित्सकीय जाँच की रिपोर्ट
- (घ) महिला की पारिवारिक स्थिति

534. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 में “नातेदार”(relative) का अर्थ क्या है?

- (क) कोई भी रिश्तेदार
- (ख) माता-पिता, भाई-बहन, संतान एवं पति/पत्नी
- (ग) केवल भाई
- (घ) केवल पति या पत्नी

535. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अन्तर्गत, पुलिस को जांच(अन्वेषण) की प्रगति की सूचना किसे देना आवश्यक है?

- (क) अभियुक्त को
- (ख) पुलिस अधीक्षक को
- (ग) सूचनाकर्ता या पीड़ित को
- (घ) पत्रकारों को

536. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 के अनुसार, यदि महिला पुलिस हिरासत में है और उस पर बलात्कार हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए?
- (क) महिला को रिहा करें
 - (ख) मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच करनी अनिवार्य है
 - (ग) मैजिस्ट्रेट जांच नहीं कर सकता
 - (घ) मैजिस्ट्रेट के बजाय पुलिस करेगी जांच
537. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अनुसार, पुलिस अधिकारी किन व्यक्तियों को उनके निवास स्थान पर ही पूछताछ कर सकता है?
- (क) 15 से कम आयु और 60 से अधिक आयु वाले पुरुष
 - (ख) महिलाएं
 - (ग) उपरोक्त में से कोई नहीं
 - (घ) उपरोक्त (क) और (ख) दोनों
538. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अनुसार, क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित जानकारी रिपोर्ट में दी जाती है?
- (क) नहीं
 - (ख) केवल न्यायालय पूछे तो
 - (ग) हाँ, कस्टडी का क्रम(Chain of custody) दर्ज किया जाता है

(घ) केवल जब अभियुक्त या पीड़ित मांग करे

539. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194 में पुलिस द्वारा मृत्यु जांच में निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है?

(क) दो या अधिक सम्माननीय स्थानीय निवासी

(ख) पीड़ित के परिजन

(ग) मैजिस्ट्रेट

(घ) डॉक्टर

540. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(1) के अनुसार जांच कब पूरी होनी चाहिए?

(क) एक सप्ताह के भीतर

(ख) अनावश्यक विलंब के बिना

(ग) अदालत की अनुमति से

(घ) दो महीने के भीतर

541. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(3)(ii) के अनुसार पुलिस को कितने समय में पीड़ित या सूचना देने वाले को जांच की प्रगति से अवगत कराना चाहिए?

(क) 15 दिन

(ख) 30 दिन

(ग) 60 दिन

(घ) 90 दिन

542. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(6)(a) के अनुसार जांच रिपोर्ट के साथ किन दस्तावेजों को पुलिस को मैजिस्ट्रेट को भेजना होता है?

(क) कोई भी दस्तावेज आवश्यक नहीं है

(ख) साक्ष्य से संबंधित दस्तावेज

(ग) केवल पीड़ित का बयान

(घ) केवल FIR

543. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193 के अन्तर्गत क्या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारण आरम्भ करने के उपरान्त आगे की जांच की अनुमति है?

(क) नहीं

(ख) हां, लेकिन अदालत की अनुमति से

(ग) केवल अभियुक्त के अनुरोध पर

(घ) केवल पीड़ित के अनुरोध पर

544. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(8) के अनुसार पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों की प्रति आरोपी को कैसे दी जा सकती है?

- (क) हाथ से
- (ख) डाक से
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
- (घ) कोई आवश्यकता नहीं

545. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(2) के अनुसार निम्न में से किस प्रकार के अपराधों की जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए?

- (क) चोरी
- (ख) लूट
- (ग) हत्या
- (घ) महिलाओं और बच्चों पर यौन अपराध

546. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194(1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु रहस्यमय परिस्थिति में होती है, तो पुलिस अधिकारी को सबसे पहले किसे सूचना देनी चाहिए?

- (क) जिला जज को
- (ख) निकटतम कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को
- (ग) थाना प्रभारी को
- (घ) पीड़ित परिवार को

547. बी.एन.एस.अधिनियम 2023 की धारा 194 के अंतर्गत आत्महत्या की सूचना मिलने पर पुलिस को कितने व्यक्तियों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करना होता है?
- (क) एक व्यक्ति
 - (ख) दो या अधिक सम्मानित व्यक्ति
 - (ग) केवल मैजिस्ट्रेट
 - (घ) किसी की आवश्यकता नहीं
548. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194(3)(i) के अनुसार, किसी महिला की विवाह के कितने वर्षों के भीतर आत्महत्या के मामले में शव का परीक्षण अनिवार्य होता है?
- (क) 3 वर्ष
 - (ख) 5 वर्ष
 - (ग) 7 वर्ष
 - (घ) 10 वर्ष
549. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194(4) के अनुसार, निम्न में से कौन सा मैजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिये सशक्त है?
- (क) कोई भी पुलिस अधिकारी
 - (ख) केवल मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट
 - (ग) जिला मैजिस्ट्रेट, उप-मण्डलीय मैजिस्ट्रेट एवं विशेष रूप से

नियुक्त कार्यपालक मैजिस्ट्रेट

(घ) केवल सिविल सर्जन

550. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195(1) के अनुसार, पुलिस अधिकारी किसे समन जारी कर सकता है?

(क) आरोपी को

(ख) गवाहों और संबंधित जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को

(ग) केवल मृतक के परिवार को

(घ) केवल चिकित्सक को

551. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195 के अनुसार, क्या कोई महिला गवाह को पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है?

(क) हां, हर बार

(ख) नहीं, उससे उसके निवास स्थान पर ही पूछताछ की जा सकती है

(ग) हां, बिना किसी अनुमति के

(घ) हाँ, लेकिन कोर्ट की अनुमति से

552. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(1) के अनुसार, आत्महत्या के किन मामलों में मैजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से जांच करनी होती है?

- (क) आत्महत्या किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा
- (ख) महिला द्वारा आत्महत्या
- (ग) स्कूल छात्र द्वारा आत्महत्या
- (घ) पुलिस अधिकारी की हिरासत में आत्महत्या

553. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(2) के अनुसार, यदि कोई महिला पुलिस हिरासत में बलात्कार की शिकार होती है, तो जांच कौन करेगा?

- (क) पुलिस अधिकारी
- (ख) कार्यपालक मैजिस्ट्रेट
- (ग) संबंधित मैजिस्ट्रेट
- (घ) अभियोजन अधिकारी

554. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(3) के अनुसार, मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में साक्ष्य कैसे दर्ज किए जाने चाहिए?

- (क) मौखिक रूप में
- (ख) गवाहों की उपस्थिति में
- (ग) परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त विधि में
- (घ) केवल दस्तावेजों के माध्यम से

555. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(4) के अनुसार, मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए दफनाये हुये शव के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट निम्न में से क्या कर सकता है?

- (क) शवदाह करवा सकता है
- (ख) शव को निकलवा कर पुनः दफनवा सकता है
- (ग) शव को निकाल कर जांच करवा सकता है
- (घ) शव की जांच करवाने के लिये परिवार की सहमति लेगा

556. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(5) के अनुसार, मैजिस्ट्रेट को मृतक के परिजनों को कब सूचित करना चाहिए?

- (क) जांच के बाद
- (ख) शव परीक्षण के बाद
- (ग) जब संभव हो
- (घ) जब भी व्यावहारिक हो

557. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(6) के अनुसार, मृतक के शव को किसके पास भेजा जाता है?

- (क) चिकित्सकीय अधिकारी
- (ख) फॉरेंसिक विशेषज्ञ
- (ग) सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चिकित्सक
- (घ) उप-जिला अधिकारी

558. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति हिरासत में मर जाता है, तो मैजिस्ट्रेट को कितने समय के भीतर शव को परीक्षा के लिए भेजना चाहिए?
- (क) 12 घंटे
 - (ख) 24 घंटे
 - (ग) 48 घंटे
 - (घ) 7 दिन
559. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 की व्याख्या के अनुसार "परिजन" में कौन-कौन सम्मिलित हैं?
- (क) केवल माता-पिता
 - (ख) माता-पिता, भाई-बहन
 - (ग) पति-पत्नी
 - (घ) माता-पिता, संतान, भाई, बहन, पति या पत्नी
560. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 225 के अनुसार, यदि आरोपी मैजिस्ट्रेट की अधिकारिता से बाहर के क्षेत्र में निवास करता है, तो मैजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने से पहले क्या करना आवश्यक होता है?

- (क) आरोपी को समन भेजना
- (ख) प्रक्रिया तुरंत जारी करना
- (ग) प्रक्रिया जारी करने को स्थगित करना
- (घ) आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश देना

561. एक मैजिस्ट्रेट को किस स्थिति में किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति से जांच कराने का अधिकार नहीं होता है जब कोई अपराध बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अंतर्गत शिकायत स्वरूप उसके पास प्रस्तुत होता है?

- (क) जब अपराध संज्ञेय हो
- (ख) जब अपराध केवल न्यायालय द्वारा विचारणीय हो
- (ग) जब आरोपी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निवास करता हो
- (घ) जब शिकायतकर्ता ने हलफनामे पर साक्ष्य दिया हो

562. किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच के दौरान, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध केवल न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह शिकायतकर्ता को क्या निर्देश देगा?

- (क) केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेगा
- (ख) वकील नियुक्त करने को कहेगा
- (ग) सभी गवाहों को उपस्थित कराकर शपथ पर परीक्षण करेगा

(घ) आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करवाएगा

563. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 225 के अंतर्गत यदि मैजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी के इलावा किसी अन्य व्यक्ति से जांच करवाता है, तो उस व्यक्ति को किन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति होती है?

(क) केवल निरीक्षण की अनुमति

(ख) पुलिस अधिकारी के समान सभी शक्तियाँ सिवाय बिना वारंट गिरफ्तारी के

(ग) केवल दस्तावेजों की समीक्षा की अनुमति

(घ) न्यायालय की शक्ति

564. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 283 के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को किन मामलों में संक्षिप्त रूप से विचार करने का अधिकार होता है?

(क) जहाँ अपराध का दंड 7 वर्ष से अधिक हो

(ख) केवल सत्र न्यायालय में विचारणीय अपराध

(ग) जिन अपराधों की सजा तीन वर्ष से अधिक नहीं है

(घ) सभी प्रकार के अपराध

565. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 283 के अंतर्गत जब मैजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचारण के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि मामला संक्षिप्त रूप से विचारणीय नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए?

- (क) सीधे निर्णय देना
- (ख) उच्च न्यायालय को भेज देना
- (ग) गवाहों को पुनः बुलाकर मुकदमे की पुनः सुनवाई करना
- (घ) मामला समाप्त करना

566. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 283 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है यदि संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक न हो?

- (क) गैर इरादतन हत्या
- (ख) चोरी
- (ग) बलात्कार
- (घ) धोखाधड़ी जिसमें सरकारी संपत्ति हो

567. यदि किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा धारा 283(2) के अंतर्गत किसी अपराध की संक्षिप्त रूप से सुनवाई का निर्णय लिया जाता है, तो इस निर्णय के विरुद्ध क्या उपाय उपलब्ध है?

- (क) उच्च न्यायालय में अपील
- (ख) पुनर्विचार याचिका
- (ग) निचली अदालत में पुनरावृत्ति
- (घ) कोई अपील नहीं की जा सकती

568. धारा 283 बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अंतर्गत निम्न में से कौन-से अपराध संक्षिप्त विचारण के योग्य हैं?

- (क) आतंकवाद से संबंधित अपराध
- (ख) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 की धारा 20 के अधीन शिकायत
- (ग) अपहरण के गंभीर अपराध
- (घ) विदेशी अधिनियम का उल्लंघन

569. यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जो किसी कार्य और उसके परिणामों से निर्मित होता है, परंतु परिणाम उस समय ज्ञात न थे, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337(3) के अनुसार क्या किया जा सकता है?

- (क) उसे उसी सजा में वृद्धि दी जा सकती है
- (ख) उसे दोबारा उसी न्यायालय में लाया जा सकता है
- (ग) उसे बाद में उस नए परिणाम वाले अपराध के लिए मुकदमे में लाया जा सकता है

(घ) कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती

570. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को धारा 281 के तहत आरोप मुक्त किया गया हो, तो उसे फिर से उसी अपराध के लिए मुकदमे में कब लाया जा सकता है?

(क) राज्य सरकार की अनुमति से

(ख) उसी न्यायालय या उच्चतर न्यायालय की अनुमति से

(ग) सत्र न्यायालय के निर्देश पर

(घ) जब अभियोजन पक्ष नए गवाह प्रस्तुत करे

571. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपराध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त हो और संपूर्ण जानकारी देने को तैयार हो, तो कौन न्यायिक अधिकारी उसे क्षमादान दे सकता है?

(क) केवल जिला मैजिस्ट्रेट

(ख) कोई भी कार्यकारी मैजिस्ट्रेट

(ग) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट

(घ) केवल विशेष न्यायालय का न्यायाधीश

572. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(2) के तहत किन अपराधों के लिए क्षमादान की पेशकश की जा सकती है?
- (क) केवल वे अपराध जो केवल मैजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय हैं
 - (ख) ऐसे अपराध जो सात वर्ष से अधिक की सजा वाले हों या विशेष न्यायालय में विचारणीय हों
 - (ग) केवल जघन्य अपराध
 - (घ) केवल संपत्ति से संबंधित अपराध
573. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 के अनुसार, क्षमादान देने वाला मैजिस्ट्रेट को किन बातों का रिकॉर्ड करना अनिवार्य है?
- (क) केवल अपराध की प्रकृति
 - (ख) केवल अभियुक्त की सहमति
 - (ग) क्षमादान देने का कारण और अभियुक्त की स्वीकृति
 - (घ) केवल गवाहों के बयान
574. यदि कोई व्यक्ति बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 के तहत क्षमादान स्वीकार करता है, तो उसे न्यायालय में कैसे पेश किया जाता है?

- (क) केवल आरोपी के रूप में
- (ख) केवल पुलिस गवाह के रूप में
- (ग) स्वतंत्र साक्षी के रूप में
- (घ) अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में

575. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(4) के अनुसार, क्षमादान स्वीकार करने वाला व्यक्ति यदि ज़मानत पर न हो तो उसे कब तक हिरासत में रखा जा सकता है?

- (क) जब तक सजा पूरी न हो
- (ख) आरोप तय होने तक
- (ग) मुकदमे की समाप्ति तक
- (घ) केवल 15 दिन

576. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(5) के अंतर्गत, क्षमादान स्वीकार करने वाले व्यक्ति की गवाही के बाद मैजिस्ट्रेट को क्या करना होता है?

- (क) उसे दोबारा पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप देना
- (ख) आगे की जांच किये बिना मामला संबंधित न्यायालय को सौंपना
- (ग) अभियोजन समाप्त करना
- (घ) केस वापस लेना

577. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 के अंतर्गत किस परिस्थिति में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट सीधे सत्र न्यायालय को मामला भेज सकता है?

- (क) जब मामला गंभीर चोरी से संबंधित हो
- (ख) जब अपराध केवल सत्र न्यायालय में विचारणीय हो
- (ग) जब अभियुक्त सरकारी कर्मचारी हो
- (घ) जब कोई अपील लंबित हो

578. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 के अनुसार, यदि मैजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को क्षमादान देता है, तो अभियुक्त को उन आदेशों की प्रति कब दी जाती है?

- (क) जब फैसला आए
- (ख) जब अभियुक्त विशेष निवेदन करे
- (ग) अभियुक्त के आवेदन पर निशुल्क
- (घ) ट्रायल के अंत में

579. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 344 के अंतर्गत न्यायालय किस उद्देश्य से क्षमादान देता है?

- (क) आरोपी को सजा देने के लिए
- (ख) जांच तेज़ करने के लिए
- (ग) अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए
- (घ) शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए

580. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 354 के अनुसार, अभियुक्त से जानकारी प्राप्त करने के लिए किन परिस्थितियों में प्रभाव डालने की अनुमति है?

(क) जब अभियुक्त अपराध स्वीकार कर ले

(ख) केवल तब जब अदालत आदेश दे

(ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 और 344 के प्रावधानों के अनुसार

(घ) जब पुलिस को मजबूत साक्ष्य चाहिए

581. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 354 के अंतर्गत, यदि किसी अभियुक्त को किसी जानकारी को प्रकट करने के लिए वादा या धमकी दी जाती है, तो यह क्या कहलाएगा?

(क) वैध जांच प्रक्रिया

(ख) अनैतिक लेकिन कानूनी

(ग) निषिद्ध प्रभाव

(घ) अनौपचारिक साक्ष्य

582. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 354 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

(क) अभियुक्त को जल्द दोषसिद्ध करना

(ख) अभियुक्त को सज़ा से बचाना

(ग) अभियुक्त के ब्यानों को स्वतंत्र और बिना प्रभाव के सुनिश्चित करना

(घ) अभियुक्त को न्यायालय में पेश करना

583. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 354 में किन माध्यमों से प्रभाव डालने को निषिद्ध किया गया है?

(क) केवल शारीरिक बल

(ख) केवल मौखिक धमकी

(ग) वचन, धमकी या कोई भी अन्य माध्यम

(घ) केवल आर्थिक लाभ

584. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(1) के अंतर्गत किसी विवाहित महिला को आपराधिक मंशा से ले जाने या रोकने के अपराध को कौन व्यक्ति सुलह द्वारा समाप्त कर सकता है?

(क) केवल महिला

(ख) महिला के माता-पिता

(ग) महिला और उसके पति

(घ) अभियोजन पक्ष

585. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(2) के अनुसार किन अपराधों को न्यायालय की अनुमति से सुलह किया जा सकता है?

(क) सभी संज्ञेय अपराध

(ख) केवल वे जो निजी नुकसान से संबंधित हों

(ग) केवल वे जो पहली तालिका में उल्लिखित हों

(घ) वे अपराध जो धारा 359(2) की तालिका में निर्दिष्ट हैं

586. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(8) के अनुसार, यदि कोई अपराध सुलह कर लिया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है?

(क) दोषसिद्धि

(ख) सजा में कमी

(ग) अभियुक्त का अभियोजन

(घ) अभियुक्त की दोषमुक्ति

587. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(7) के अनुसार, क्या किसी पूर्व-दोषी व्यक्ति द्वारा पुनः अपराध करने पर वह अपराध सुलह किया जा सकता है?

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) हाँ, यदि पीड़ित सहमत हो

(घ) हाँ, केवल उच्च न्यायालय के आदेश से

588. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, यदि मुकदमा केंद्र सरकार से संबंधित है और अभियोजक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह मुकदमा वापसी का प्रस्ताव कब रख सकता है?

(क) कभी भी

(ख) केवल पीड़ित की सहमति से

(ग) केंद्र सरकार की अनुमति मिलने पर

(घ) उच्च न्यायालय की अनुमति से

589. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, मुकदमा वापसी से पहले न्यायालय किसे सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य मानता है?

(क) अभियोजन अधिकारी

(ख) अभियुक्त

(ग) पीड़ित

(घ) गवाह

590. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(4)(a) के अनुसार, यदि क्षमादान के लिए सक्षम व्यक्ति बालक या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, तो सुलह की अनुमति कौन दे सकता है?

- (क) अभियोजन अधिकारी
- (ख) पुलिस अधिकारी
- (ग) न्यायालय से अनुमति लेकर उसका प्रतिनिधि
- (घ) पीड़ित का परिवार

591. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 478 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जमानत देने में असमर्थ हो और एक सप्ताह के भीतर जमानती पत्र प्रस्तुत न कर सके, तो उसे किस श्रेणी का माना जाएगा?

- (क) संदिग्ध
- (ख) दोषसिद्ध
- (ग) निर्धन व्यक्ति
- (घ) अभ्यस्त अपराधी

592. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 479 के अनुसार, यदि एक आरोपी व्यक्ति अपनी हिरासत के दौरान अधिकतम सज़ा अवधि की आधी अवधि तक जेल में रहा है, तो न्यायालय उसे क्या आदेश देगा?

- (क) दोषमुक्त करना
- (ख) जमानत पर रिहा करना
- (ग) उसे सज़ा देना
- (घ) पुलिस हिरासत में भेजना

593. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(1) के तहत, किन मामलों में अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती?

- (क) जब अपराध आर्थिक हो
- (ख) जब अपराध अप्रभावी हो
- (ग) जब मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा संभावित हो
- (घ) जब अपराध स्थानीय क्षेत्र में हो

594. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 482 के अंतर्गत, गिरफ्तारी की आशंका होने पर किस न्यायालय से अग्रिम जमानत के लिए याचिका की जा सकती है?

- (क) मैजिस्ट्रेट न्यायालय
- (ख) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय
- (ग) लोक अभियोजक कार्यालय
- (घ) पुलिस अधीक्षक

595. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(3) के अनुसार, 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों के मामलों में जमानत पर रिहाई के लिये निम्न में से कौन-सी शर्त नहीं लगाई जाती?
- (क) अभियुक्त न्यायालय में उपस्थिति देगा
 - (ख) अपराध नहीं दोहराएगा
 - (ग) गवाहों को धमकाएगा नहीं
 - (घ) उपरोक्त सभी शर्तें लगाई जाती हैं
596. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, जब कोई मामला सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो, तो जमानत देने से पहले क्या आवश्यक है?
- (क) अभियुक्त की माफी
 - (ख) पीड़ित की उपस्थिति
 - (ग) लोक अभियोजक को सूचना देना
 - (घ) मैजिस्ट्रेट का आदेश
597. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 484 के अनुसार, जमानत बॉन्ड की राशि निर्धारण में क्या ध्यान रखा जाना चाहिए?
- (क) आरोपी की जाति
 - (ख) अदालत का पद
 - (ग) परिस्थिति और अनुपातिकता

(घ) गवाहों की संख्या

598. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 487 के अनुसार, जैसे ही जमानत बॉन्ड भर दिया जाए, संबंधित व्यक्ति को क्या किया जाएगा?

(क) न्यायालय में दोबारा लाया जाएगा

(ख) तत्काल दोषसिद्ध किया जाएगा

(ग) हिरासत में रखा जाएगा

(घ) रिहा किया जाएगा

599. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 488 के तहत, यदि स्वीकार की गई जमानत अपर्याप्त हो जाए, तो न्यायालय क्या कर सकता है?

(क) पुलिस को सूचना देना

(ख) गवाहों को बदलना

(ग) आरोपी को गिरफ्तार कर दोबारा पर्याप्त जमानत माँगना

(घ) जमानत खारिज करना

600. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 481 के अनुसार, दोषसिद्धि के बाद किस अवधि तक आरोपी को उच्च न्यायालय में पेश होने हेतु जमानत बॉन्ड भरना होता है?
- (क) तीन महीने
 - (ख) चार सप्ताह
 - (ग) छह महीने
 - (घ) बारह महीने
601. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 479 के अनुसार, किसी विचाराधीन कैदी को, जिसने मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दण्डित अपराधन किया हो, अधिकतम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है?
- (क) आरोप सिद्ध होने तक
 - (ख) अधिकतम सजा की अवधि तक
 - (ग) अधिकतम सजा की आधी अवधि तक
 - (घ) दो-तिहाई अवधि तक
602. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(6) के अनुसार, यदि किसी गैर-जमानती अपराध का विचारण 60 दिन में पूर्ण नहीं होता, तो आरोपी को क्या अधिकार प्राप्त होता है?
- (क) सशर्त जमानत
 - (ख) दोषमुक्ति
 - (ग) जमानत का स्वतः अधिकार

(घ) सुनवाई स्थगन

603. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 483(1) के अनुसार, सत्र न्यायालय किस प्रकार की जमानत की शर्तें बदल सकता है?

- (क) पुलिस द्वारा लगाई गई
- (ख) पीड़ित द्वारा लगाई गई
- (ग) मैजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई
- (घ) राज्यपाल द्वारा लगाई गई

604. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 482 के अनुसार, अग्रिम जमानत की अर्जी कहाँ दी जा सकती है?

- (क) केवल सुप्रीम कोर्ट में
- (ख) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में
- (ग) मैजिस्ट्रेट न्यायालय में
- (घ) पुलिस स्टेशन में

605. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 479(1) के अनुसार, यदि कोई आरोपी पहली बार अपराध कर रहा है और सजा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, तो उसे किस अवधि के पश्चात जमानत पर रिहा किया जाएगा?

- (क) आधे समय के बाद
- (ख) एक-तिहाई समय के बाद
- (ग) पूर्ण समय के बाद
- (घ) 7 दिन के भीतर

606. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 478 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बंधपत्र नहीं दे पाता, तो अधिकारी को क्या करना चाहिए?

- (क) उसे दंडित करें
- (ख) उसे हिरासत में रखें
- (ग) उसे व्यक्तिगत बॉन्ड पर छोड़ दें
- (घ) उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें

607. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 483(2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति BNS 2023 की धारा 65 या धारा 70(2) के अंतर्गत जमानत चाहता है, तो क्या आवश्यक है?

- (क) अदालत की अनुमति
- (ख) अभियोजन पक्ष की उपस्थिति
- (ग) अभियुक्त का कबूलनामा
- (घ) दोषसिद्धि का प्रमाण

608. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 485(1) के अनुसार, किसी आरोपी को जमानत पर छोड़ते समय कौन-सा दस्तावेज़ अनिवार्य है?

(क) एफआईआर की कॉपी

(ख) पहचान पत्र

(ग) बंधपत्र

(घ) आरोप-पत्र

609. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 484 के अनुसार, जमानत राशि कितनी होनी चाहिए?

(क) अधिकतम सजा के अनुसार

(ख) पुलिस की इच्छा के अनुसार

(ग) अभियुक्त की संपत्ति के अनुसार

(घ) परिस्थितियों के अनुरूप और अत्यधिक नहीं

610. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 486 के अनुसार, प्रत्येक जमानतदाता को क्या विवरण प्रस्तुत करना होता है?

(क) अपने कार्यस्थल का

(ख) कितने लोगों के लिए उसने पूर्व में जमानत दी है

(ग) अपने आय प्रमाण का

(घ) न्यायालय में उपस्थिति की जानकारी

611. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 488 के अनुसार, यदि किसी आरोपी के लिए स्वीकृत जमानत बाद में अपर्याप्त हो जाए, तो न्यायालय क्या कर सकता है?

(क) नया मुकदमा शुरू कर सकता है

(ख) आरोपी को दोषी घोषित कर सकता है

(ग) आरोपी को हिरासत में ले सकता है

(घ) उसे जमानत मुक्त कर सकता है

612. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 478(2) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पहले निर्धारित जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो आगे क्या हो सकता है?

(क) उसे सख्त सजा दी जाएगी

(ख) उसे जमानत से वंचित किया जा सकता है

(ग) उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा

(घ) उसकी संपत्ति जब्त होगी

613. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(7) के अनुसार, यदि सुनवाई पूर्ण हो गई हो लेकिन निर्णय नहीं आया हो, तो कुछ मामलों में आरोपी क्या कर सकता है?

- (क) पुनः अपील कर सकता है
- (ख) जेल में रह सकता है
- (ग) निर्णय की प्रतीक्षा में जमानत पा सकता है
- (घ) पुलिस हिरासत में रखा जाएगा

614. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 481के अनुसार, यदि आरोपी उच्च न्यायालय के समन पर उपस्थित नहीं होता, तो क्या होता है?

- (क) उस पर जुर्माना लगाया जाता है
- (ख) उसका बंधपत्र जब्त किया जाता है
- (ग) उसे फिर से गिरफ्तार किया जाता है
- (घ) सुनवाई रद्द हो जाती है

615. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 487 के अनुसार, जमानत स्वीकार होते ही न्यायालय को क्या करना चाहिए?

- (क) आरोपी को व्यक्तिगत रूप से बुलाना
- (ख) आदेश जारी कर जेल से रिहा करना
- (ग) अभियोजन पक्ष को सूचित करना
- (घ) पुनः पूछताछ करना

616. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(5) के अनुसार, जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को आवश्यक होने पर निम्न में से क्या किया जा सकता है?

- (क) विदेश भेजा जा सकता है
- (ख) उसे पुनः हिरासत में लिया जा सकता है
- (ग) उसका ट्रायल समाप्त कर दिया जाता है
- (घ) उसे दोषी घोषित किया जाता है

617. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 482(4) के अनुसार, कौन से अपराधों पर अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती?

- (क) वित्तीय अपराध
- (ख) BNS 2023 की धारा 65 और 70(2) के अपराध
- (ग) चोरी के अपराध
- (घ) व्यावसायिक धोखाधड़ी

618. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(3) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को जमानत देने पर कौन-सी शर्त लागू की जा सकती है जिसने सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध का अपराध किया हो?

- (क) वह देश नहीं छोड़ सकता
- (ख) वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा
- (ग) वह समान प्रकार का अपराध नहीं करेगा

(घ) उपरोक्त सभी

619. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(4) के अनुसार, जमानत देने से पहले अधिकारी को क्या करना अनिवार्य है?

- (क) गवाहों से परामर्श लेना
- (ख) अभियुक्त को हिरासत में लेना
- (ग) कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना
- (घ) अभियोजन पक्ष से स्वीकृति लेना

620. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 485(4) के अनुसार, यदि न्यायालय को संदेह हो कि कोई जमानतदार उपयुक्त नहीं है, तो वह क्या कर सकता है?

- (क) स्वयं जांच कर सकता है या मैजिस्ट्रेट से जांच करवा सकता है
- (ख) जमानतदार को दंडित कर सकता है
- (ग) जमानत खारिज कर सकता है
- (घ) अभियुक्त को दोषी घोषित कर सकता है

621. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 478 के अनुसार, किस प्रकार के अपराध में आरोपी को जमानत का अधिकार प्राप्त होता है?

- (क) संज्ञेय अपराध
- (ख) गैर-जमानती अपराध
- (ग) जमानती अपराध
- (घ) अपराध जिसकी सजा मृत्यु है

622. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 483(1)(a) के अनुसार, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किन शर्तों के साथ किसी आरोपी को जमानत दे सकता है?

- (क) बिना किसी शर्त के
- (ख) केवल व्यक्तिगत बॉन्ड पर
- (ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(3) के अनुसार उचित शर्तों के साथ
- (घ) जमानती के अनुपस्थित रहने पर

623. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 484(2) के अनुसार, जब पुलिस/ मैजिस्ट्रेट द्वारा मांगी गई जमानत अधिक हो, तो निम्न में से क्या हो सकता है?

- (क) मामला रद्द किया जा सकता है
- (ख) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उसे कम कर सकते हैं
- (ग) आरोपी को दोषमुक्त किया जा सकता है
- (घ) गवाहों की जिरह की जा सकती है

624. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 482(1) के अनुसार, अग्रिम जमानत हेतु व्यक्ति को किस परिस्थिति में आवेदन करना होता है?

- (क) जब गिरफ्तारी की संभावना हो
- (ख) जब दोषसिद्धि हो चुकी हो
- (ग) जब गवाहों का ब्यान लिया जा चुका हो
- (घ) जब ट्रायल पूरा हो चुका हो

625. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 483(3) के अनुसार, उच्च न्यायालय फिर से किसे हिरासत में ले सकता है?

- (क) केवल दोषी व्यक्ति को
- (ख) जमानत पर छूटे व्यक्ति को
- (ग) पुलिस अधिकारी को
- (घ) पीड़ित को

626. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 487 के अनुसार, जब किसी व्यक्ति का बंधपत्र स्वीकार कर लिया जाता है । परन्तु वह जेल में होता हैतो अदालत क्या कर सकती है?

- (क) उसे गवाह बनाया जाता है
- (ख) अदालत जेल अधीक्षक को रिहाई का आदेश देती है

- (ग) उसे पुलिस हिरासत में रखा जाता है
- (घ) उसे न्यायालय में उपस्थित किया जाता है

627. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 488 के अनुसार, यदि न्यायालय द्वारा भूलवश अपर्याप्त जमानत स्वीकार कर ली गई हो, तो न्यायालय निम्न में से क्या कर सकता है?

- (क) व्यक्ति को रिहा कर सकता है
- (ख) आरोपी को हिरासत में ले सकता है
- (ग) नया मुकदमा शुरू कर सकता है
- (घ) सभी आरोप हटाए जा सकते हैं

628. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 479 (1) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अधिकतम सजा की आधी अवधि तक हिरासत में रह चुका हो, तो उसे क्या किया जाना चाहिए?

- (क) उस पर आरोप तय किया जाना चाहिए
- (ख) उसे दंडित किया जाना चाहिए
- (ग) उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए
- (घ) उसकी जमानत निरस्त कर देनी चाहिए

629. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 479(1) के अनुसार, यदि व्यक्ति प्रथम अपराधी हो और अधिकतम सजा की एक-तिहाई अवधि तक हिरासत में रहा हो, तो न्यायालय क्या कर सकता है?
- (क) उसे उम्रकैद की सजा दे सकता है
 - (ख) उसे दोषमुक्त कर सकता है
 - (ग) उसे बॉन्ड पर रिहा कर सकता है
 - (घ) उसे अपील करने की अनुमति दे सकता है
630. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 479(1) की व्याख्या के अनुसार, कौन-सी अवधि हिरासत अवधि की गणना में शामिल नहीं की जाती?
- (क) न्यायालय की स्थगन अवधि
 - (ख) अभियोजन द्वारा देरी
 - (ग) आरोपी द्वारा कार्यवाही में की गई देरी
 - (घ) अवकाश काल
631. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(1) के अनुसार, किन परिस्थितियों में गैर-जमानती अपराध के आरोपी को जमानत नहीं दी जाएगी?
- (क) यदि आरोपी महिला हो
 - (ख) यदि आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम हो

- (ग) यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो
(घ) यदि आरोपी अक्षम हो

632. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 480(6) के अनुसार, यदि अदालत में गैर-जमानती अपराध के मामले में 60 दिनों में साक्ष्य पूरा न हो तो निम्न में से क्या किया जाएगा?

- (क) आरोपी को दोषी घोषित किया जाएगा
(ख) आरोपी को जेल में ही रखा जाएगा
(ग) आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाएगा
(घ) मामला सत्र न्यायालय को सौंपा जाएगा

633. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 481 के अनुसार, दोषसिद्धि के बाद किस अवधि तक आरोपी को उच्च न्यायालय में पेश होने हेतु जमानत बॉन्ड भरना होता है?

- (क) तीन महीने
(ख) चार सप्ताह
(ग) छह महीने
(घ) बारह महीने

634. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 482(2) के अनुसार, अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय किस प्रकार की शर्तें लगा सकता है?

- (क) पुलिस पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना
- (ख) भारत न छोड़ना
- (ग) गवाहों को प्रभावित न करना
- (घ) उपरोक्त सभी

635. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 486 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो आरोपी के लिए जमानत देता है, उसे क्या घोषित करना होता है?

- (क) उसका पेशा
- (ख) उसने पहले कितने व्यक्तियों के लिए जमानत दी है
- (ग) उसका परिवार
- (घ) उसकी संपत्ति

636. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 489(1) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के लिए दी गई जमानत को जमानतदाता समाप्त करना चाहें, तो उन्हें क्या करना चाहिए?

- (क) आरोपी को पुलिस को सौंप दें
- (ख) मैजिस्ट्रेट से बांड समाप्त करने का आवेदन करें
- (ग) न्यायालय में अलग से मुकदमा दर्ज कराएं
- (घ) जमानत वापसी हेतु उच्च न्यायालय जाएं

637. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 489(3) के तहत, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रतिभू प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

(क) उसे बिना सूचना के जेल भेज सकता है

(ख) उसे जमानत पर रिहा कर सकता है

(ग) उसे पर्याप्त गारंटी देने को कह सकता है, विफल रहने पर जेल भेज सकता है

(घ) कोई कार्रवाई नहीं कर सकता

638. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 490 के अनुसार, किस स्थिति में बांड के स्थान पर धनराशि जमा कराना मान्य है?

(क) केवल अच्छे आचरण के लिए

(ख) किसी भी स्थिति में

(ग) जब आरोपी सरकारी सेवक हो

(घ) अच्छे आचरण के बांड को छोड़कर अन्य मामलों में

639. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 491(1)(a) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है और बांड फॉरफिट हो जाता है, तो न्यायालय को क्या करना होता है?

(क) आरोपी को दोषी घोषित कर देना

(ख) बांड की राशि को जब्त कर लेना

- (ग) बांड फॉरफिट होने का प्रमाण दर्ज करना और कारण पूछना
- (घ) बांड को तत्काल रद्द कर देना

640. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 491(2) के अनुसार, यदि बांड की राशि अदा नहीं की जाती और वसूल नहीं की जा सकती, तो क्या दंड हो सकता है?

- (क) आजीवन कारावास
- (ख) अस्थायी जमानत
- (ग) छह महीने तक का सिविल जेल
- (घ) सामुदायिक सेवा

641. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 491(3) न्यायालय को क्या अधिकार देती है?

- (क) पूरा जुर्माना अनिवार्य रूप से वसूलना
- (ख) कोई भी छूट नहीं देना
- (ग) जुर्माने की राशि का आंशिक माफ करना
- (घ) केवल जुर्माना लगाने का निर्देश देना

642. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 492(b) के अनुसार, बांड फॉरफिट होने के बाद व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत बांड पर कब रिहा नहीं किया जाएगा?

- (क) जब वह मानसिक रोगी हो
- (ख) जब उसके पास पहचान पत्र न हो
- (ग) जब न्यायालय को लगे कि बांड के उल्लंघन का उचित कारण नहीं है
- (घ) जब अभियोजन पक्ष सहमत न हो

643. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 493 के अंतर्गत, यदि गारंटर दिवालिया हो जाए या मर जाए, तो न्यायालय क्या कर सकता है?

- (क) आरोपी को जमानत दे सकता है
- (ख) आरोपी को हिरासत में भेज सकता है
- (ग) आरोपी से नई प्रतिभूति (जमानत) देने को कह सकता है
- (घ) केवल पहले आदेश को रद्द कर सकता है

644. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 494 के अनुसार, यदि कोई बच्चा बांड भरने के लिए बाध्य हो, तो न्यायालय क्या कर सकता है?

- (क) बच्चे को हिरासत में भेज सकता है
- (ख) केवल उसके माता-पिता से बांड ले सकता है
- (ग) केवल गारंटर्स से बांड स्वीकार कर सकता है

(घ) बांड की शर्तों को शिथिल कर सकता है

645. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 495(i) के अनुसार, यदि बांड जब्त करने का आदेश मैजिस्ट्रेट ने दिया हो, तो उसके विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है?

(क) उच्च न्यायालय

(ख) जिला मैजिस्ट्रेट

(ग) सत्र न्यायाधीश

(घ) गृह मंत्रालय

646. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 495(ii) के अनुसार, यदि आदेश सत्र न्यायालय ने दिया हो, तो अपील किस न्यायालय में होगी?

(क) उच्च न्यायालय

(ख) विशेष अदालत

(ग) उसी न्यायालय में

(घ) अपील योग्य उच्चतर न्यायालय में

647. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 496 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उपस्थिति के बांड की राशि वसूलने के लिये किसे निर्देश दे सकता है?

- (क) अभियोजन पक्ष को
- (ख) मैजिस्ट्रेट को
- (ग) पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का आदेश दे
- (घ) अभियुक्त को माफ कर दे

648. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 491(4) के अनुसार, यदि गारंटर की मृत्यु बांड जब्त होने से पूर्व हो जाए, तो क्या होगा?

- (क) मृतक की संपत्ति जब्त होगी
- (ख) उत्तराधिकारियों पर जुर्माना लगेगा
- (ग) बांड की देयता समाप्त हो जाएगी
- (घ) मामले में नया गारंटर नियुक्त होगा

649. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 492 के प्रावधानों के अनुसार, यदि व्यक्ति बांड की शर्तें पूरी नहीं करता, तो क्या परिणाम होता है?

- (क) उसे पुलिस हिरासत में लिया जाता है
- (ख) उसके खिलाफ अलग से मामला दर्ज होता है
- (ग) उसका बांड और उसके गारंटर का बांड दोनों रद्द हो जाते हैं
- (घ) उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है

650. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497 के अनुसार न्यायालय द्वारा संपत्ति को विक्रय या अन्य प्रकार से निस्तारित करने का आदेश किस स्थिति में दिया जा सकता है?

- (क) जब अभियुक्त फरार हो
- (ख) जब संपत्ति प्राकृतिक रूप से शीघ्र नष्ट होने योग्य हो
- (ग) जब संपत्ति किसी संस्था की हो
- (घ) जब संपत्ति विदेशी हो

651. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497 के अंतर्गत "संपत्ति" की परिभाषा में क्या सम्मिलित है?

- (क) केवल वह संपत्ति जो जब्त की गई हो
- (ख) केवल सरकारी दस्तावेज
- (ग) कोई भी संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो या उसकी अभिरक्षा में हो
- (घ) केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

652. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497(2) के अनुसार, संपत्ति के प्रस्तुत किए जाने के कितने दिनों के भीतर उसका विवरण तैयार किया जाना चाहिए?

- (क) 7 दिन
- (ख) 10 दिन

(ग) 14 दिन

(घ) 30 दिन

653. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497 के अनुसार संपत्ति की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी किस उद्देश्य से की जाती है?

(क) प्रचार हेतु

(ख) न्यायिक रिकॉर्ड हेतु

(ग) पुनः विक्रय हेतु

(घ) अभियोजन विभाग के उपयोग हेतु

654. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497(5) के अनुसार, विवरणी और फोटोग्राफ/वीडियोग्राफ तैयार होने के कितने दिनों के भीतर संपत्ति के निपटान का आदेश दिया जाना चाहिए?

(क) 15 दिन

(ख) 21 दिन

(ग) 30 दिन

(घ) 45 दिन

655. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(1) के अनुसार, जब आपराधिक मामला समाप्त हो जाए, तो संपत्ति का निपटान किस प्रकार किया जा सकता है?

- (क) केवल कब्जे में देने से
- (ख) विनाश, जब्ती या सुपुर्दगी द्वारा
- (ग) केवल बोली के माध्यम से
- (घ) केवल सरकारी स्वीकृति से

656. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(2) के अनुसार, किसी संपत्ति को सुपुर्द करने के लिए किन शर्तों को लागू किया जा सकता है?

- (क) केवल पुलिस अधिकारी की अनुमति
- (ख) बांड के साथ या बिना बांड के
- (ग) एफआईआर की कॉपी
- (घ) अभियुक्त की उपस्थिति

657. जब न्यायालय यह आदेश देता है कि संपत्ति चीफ जूडिशियल मैजिस्ट्रेट को सौंपी जाए, तो यह आदेश किस धारा के अंतर्गत आता है?

- (क) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497
- (ख) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(3)
- (ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 499
- (घ) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 500

658. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(4) के अंतर्गत यदि अपील दायर की गई है तो सम्पत्ति का निपटान आदेश निम्न में से किस परिस्थिति में निर्धारित दो माह के समय से पहले लागू किया जा सकता है?

- (क) जब संपत्ति न्यायालय की हो
- (ख) जब सम्पत्ति पशुधन हो या शीघ्र नष्ट होने योग्य हो
- (ग) जब अभियुक्त सहमत हो
- (घ) जब अभियोजन पक्ष अनुरोध करे

659. धारा 498 के अनुसार अपराध संबंधी संपत्ति की परिभाषा में क्या सम्मिलित है?

- (क) केवल वह संपत्ति जो अभियुक्त के पास हो
- (ख) केवल चोरी की गई वस्तुएं
- (ग) वह संपत्ति जो अपराध के लिए प्रयुक्त हो या उसमें परिवर्तित हो चुकी हो
- (घ) केवल सरकारी भूमि

660. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497 के तहत यदि संपत्ति को तुरंत नष्ट किया जाना आवश्यक हो, तो न्यायालय किस प्रकार के साक्ष्य को दर्ज कर सकता है?

- (क) मौखिक
- (ख) केवल दस्तावेज़

- (ग) आवश्यकतानुसार साक्ष्य
- (घ) अभियुक्त की गवाही

661. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497 के अंतर्गत मोबाइल फोन पर वीडियोग्राफी की अनुमति है?

- (क) नहीं
- (ख) केवल न्यायालय के आदेश से
- (ग) हाँ, आवश्यकतानुसार
- (घ) केवल विशेष मामलों में

662. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(5) के अनुसार अपराध संबंधी संपत्ति में किस प्रकार की परिसंपत्तियाँ भी सम्मिलित हो सकती हैं?

- (क) केवल मूल संपत्ति
- (ख) केवल नगद धन
- (ग) परिवर्तित या अदल-बदल की गई संपत्ति
- (घ) केवल दस्तावेज

663. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(5) के अन्तर्गत क्या संपत्ति की तस्वीर या वीडियोग्राफ किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के साक्ष्य मानी जाएगी?

- (क) नहीं
- (ख) केवल विशेष मामलों में
- (ग) हाँ, स्पष्ट रूप से
- (घ) केवल न्यायिक मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में

664. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498 के अनुसार जब कोई आपराधिक मामला समाप्त होता है, तो सम्पत्ति के निपटान का आदेश देने की शक्ति किसके पास होती है?

- (क) अभियोजन अधिकारी
- (ख) पुलिस अधिकारी
- (ग) न्यायालय या मैजिस्ट्रेट
- (घ) जिला कलेक्टर

665. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497(2) के अन्तर्गत, न्यायालय सम्पत्ति को उसके समक्ष पेश करने के उपरान्त संपत्ति के व्यौरा रखने सम्बन्धी विवरण का प्रारूप और तरीका कौन निर्धारित करेगा?

- (क) केंद्रीय सरकार
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) सर्वोच्च न्यायालय
- (घ) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट

666. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(1) के अनुसार यदि कोई दस्तावेज़ अपराध में प्रयुक्त हुआ है तो उसका निपटान किस प्रकार किया जा सकता है?
- (क) केवल आरोपी को वापस
 - (ख) उसे सरकारी रिकार्ड में रखा जाएगा
 - (ग) विनाश, जब्ती या सुपुर्दगी द्वारा
 - (घ) अभियोजन पक्ष को सौंपा जाएगा
667. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497 में "संपत्ति" की परिभाषा में क्या सम्मिलित नहीं है?
- (क) न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज़
 - (ख) अपराध में प्रयुक्त वस्तु
 - (ग) न्यायालय की तिजोरी
 - (घ) न्यायालय की अभिरक्षा में रखी संपत्ति
668. यदि संपत्ति शीघ्र नष्ट हो रही है, तो न्यायालय उसे नष्ट करने से पहले क्या करेगा?
- (क) कोई कार्यवाही नहीं करेगा
 - (ख) अभियुक्त की सहमति लेगा
 - (ग) आवश्यक साक्ष्य दर्ज करेगा
 - (घ) पुलिस से रिपोर्ट मंगवाएगा

669. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(2) के अनुसार सुपुर्दगी के आदेश को कौनसी शर्तों के साथ लागू किया जा सकता है?

- (क) अभियुक्त की लिखित सहमति
- (ख) न्यायिक मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट
- (ग) बांड के साथ या बिना बांड के
- (घ) अभियोजन की सहमति

670. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497(3) के अनुसार न्यायालय संपत्ति की तस्वीर या वीडियोग्राफ निम्न में से किस साधन के माध्यम से करवा सकता है?

- (क) केवल पुलिस स्टेशन में
- (ख) मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर
- (ग) सीसीटीवी से
- (घ) न्यायालय परिसर के बाहर

671. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(4) के अंतर्गत अपील लंबित होने पर संपत्ति का निपटान कब तक नहीं किया जा सकता?

- (क) एक माह
- (ख) दो माह
- (ग) अपील के निपटारे तक
- (घ) जब तक अभियोजन पक्ष सहमत न हो

672. यदि संपत्ति जीवित पशु है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(4) के अनुसार क्या प्रक्रिया होगी?

- (क) उसे जब्त कर लिया जाएगा
- (ख) उसे सरकारी अभ्यारण्य भेजा जाएगा
- (ग) तुरंत सुपुर्द किया जा सकता है
- (घ) उसे किसी गवाह को सौंपा जाएगा

673. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(5) के अनुसार अपराध संबंधी संपत्ति में निम्न में से क्या शामिल हो सकता है?

- (क) केवल जब्त की गई वस्तु
- (ख) जब्त की गई वस्तु व इससे परिवर्तित या विनिमय की गई संपत्ति
- (ग) केवल दस्तावेज़
- (घ) केवल नकद राशि

674. यदि सम्पत्ति किसी तीसरे पक्ष को बेची गई हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498 के अनुसार क्या वह सम्पत्ति अपराध से संबंधित मानी जाएगी?
- (क) नहीं
 - (ख) केवल न्यायालय की अनुमति से
 - (ग) हाँ, यदि वह अपराध से उत्पन्न हुई हो
 - (घ) केवल अभियोजन की रिपोर्ट के अनुसार
675. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 497 के अनुसार सम्पत्ति के विवरण और फोटोग्राफ को कैसे उपयोग किया जा सकता है?
- (क) मीडिया रिपोर्टिंग के लिए
 - (ख) जांच अधिकारी की फाइलिंग में
 - (ग) किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्य के रूप में
 - (घ) केवल आरोप तय करने के लिए
676. जब न्यायालय यह पाता है कि किसी संपत्ति की सुपुर्दगी विवादित है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498 के तहत क्या कर सकता है?
- (क) उसे नष्ट कर देगा
 - (ख) उसे पुलिस के सुपुर्द कर देगा
 - (ग) उसे मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को सौंप सकता है

(घ) उसे अपील न्यायालय को भेज देगा

677. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498 के अनुसार कौन सी संपत्ति अपील के निपटारे की प्रतीक्षा किए बिना सुपुर्द की जा सकती है?

(क) जब्त की गई संपत्ति

(ख) पशुधन या शीघ्र नष्ट होने योग्य संपत्ति

(ग) सरकारी दस्तावेज़

(घ) आरोपी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति

678. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498 के अनुसार क्या सम्पत्ति में अपराध की कमाई से खरीदी गई संपत्ति भी शामिल होती है?

(क) नहीं

(ख) केवल न्यायालय के निर्देश पर

(ग) हाँ

(घ) केवल जब एफआईआर में उल्लिखित हो

679. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 498(3) के अनुसार, सत्र न्यायालय संपत्ति का निपटान करने के बजाय निम्न में से क्या कर सकता है?

- (क) पुलिस अधिकारी को सौंप सकता है
- (ख) उच्च न्यायालय को सूचित कर सकता है
- (ग) संपत्ति को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को सौंप सकता है
- (घ) अभियुक्त को सौंप सकता है

680. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503 के अनुसार, जब जब्त की गई संपत्ति किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

- (क) केवल संपत्ति को सीज कर सकता है
- (ख) संपत्ति को नष्ट करने का आदेश दे सकता है
- (ग) संपत्ति की हिरासत या वितरण के संबंध में उचित आदेश दे सकता है
- (घ) संपत्ति को अभियुक्त को वापस कर सकता है

681. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503(2) के तहत, यदि संपत्ति का हकदार/ मालिक ज्ञात नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए?

- (क) संपत्ति को जब्त कर राज्य सरकार को दे देना चाहिए
- (ख) संपत्ति को उसके मिलने वाले व्यक्ति को सौंप देना चाहिए
- (ग) संपत्ति का विवरण देकर एक उद्घोषणा जारी करनी चाहिए
- (घ) संपत्ति को बेचकर राशि न्यायालय में जमा करनी चाहिए

682. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 504 के अनुसार, यदि छह महीने के भीतर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता और धारक यह सिद्ध नहीं कर पाता कि संपत्ति वैध रूप से अर्जित की गई थी, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

- (क) संपत्ति को आरोपी को लौटा सकता है
- (ख) संपत्ति को सिविल न्यायालय को भेज सकता है
- (ग) संपत्ति को राज्य सरकार के व्ययनाधीन कर सकता है
- (घ) संपत्ति को मैजिस्ट्रेट स्वयं रख सकता है

683. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 504(2) के अनुसार, मैजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है?

- (क) उच्च न्यायालय
- (ख) जिला न्यायालय
- (ग) लोकअदालत
- (घ) जिस न्यायालय में उस मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील होती है

684. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505 के अंतर्गत, कौन सी स्थिति मैजिस्ट्रेट को संपत्ति को बेचने का अधिकार देती है?
- (क) जब उसका मूल्य ₹5,000 से कम हो
 - (ख) जब वह संपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाती
 - (ग) जब संपत्ति स्वाभाविक रूप से शीघ्र नष्ट हो सकती है या उसका मूल्य ₹10,000 से कम हो
 - (घ) जब पुलिस इसे कोर्ट में प्रस्तुत करने में असमर्थ हो
685. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503 के अंतर्गत जब्त सम्पत्ति को किसके पास सौंपा जा सकता है?
- (क) अभियोजन पक्ष
 - (ख) आरोपी
 - (ग) संपत्ति के स्वामी
 - (घ) पुलिस अधिकारी
686. यदि कोई व्यक्ति मैजिस्ट्रेट को संपत्ति पर दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503 के अन्तर्गत किस अवधि में अपना दावा सिद्ध करना होता है?
- (क) तीन महीने
 - (ख) छह महीने

(ग) नौ महीने

(घ) बारह महीने

687. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505 के अनुसार, जब संपत्ति का स्वामी अज्ञात हो और उसका शीघ्र नाश होने की संभावना हो, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

(क) संपत्ति जब्त कर सकता है

(ख) संपत्ति बेचने का आदेश दे सकता है

(ग) संपत्ति को अभियुक्त को लौटा सकता है

(घ) संपत्ति को उच्च न्यायालय भेज सकता है

688. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अनुसार, जब जब्त की गई संपत्ति को बेच दिया जाता है, तो बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय को किस प्रक्रिया से निपटाया जाता है?

(क) मैजिस्ट्रेट स्वयं उपयोग करता है

(ख) अभियोजन पक्ष को देता है

(ग) आरोपी को देता है

(घ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार

689. यदि मैजिस्ट्रेट यह समझता है कि संपत्ति का मूल्य ₹10,000 से कम है और उसका विक्रय मालिक के हित में होगा, तो वह

बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की किस धारा के तहत उसे बेच सकता है?

(क) धारा 503

(ख) धारा 504

(ग) धारा 505

(घ) धारा 506

690. बी अधिनियम .एस.एस.एन.2023 की धारा 503 के अनुसार, जब संपत्ति का स्वामी ज्ञात हो, तो मैजिस्ट्रेटसम्पत्ति को किन शर्तों पर सौंप सकता है?

(क) केवल बिना शर्त

(ख) किसी भी शर्त के बिना ही सौंपनी होती है

(ग) केवल संपत्ति के न्यायालय में पुनः प्रस्तुति की गारंटी के बॉन्ड पर

(घ) मैजिस्ट्रेट उपयुक्त माने तो शर्तों सहित

691. जब कोई संपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाती और उसकी जब्ती की रिपोर्ट पुलिस द्वारा मैजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, तो वह किस धारा के अंतर्गत आती है?

(क) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 501

(ख) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503

(ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505

(घ) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 502

692. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अनुसार, जब कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया हो और धारक यह सिद्ध नहीं कर सका कि सम्पत्ति वैध है, तो सम्पत्ति का क्या होता है?

(क) इसे न्यायालय की सम्पत्ति घोषित किया जाता है

(ख) इसे राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है

(ग) इसे अभियुक्त को लौटा दिया जाता है

(घ) इसे जब्त कर पुलिस को सौंप दिया जाता है

693. जब सम्पत्ति का मूल्य ₹10,000 से कम हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की किस धारा के अन्तर्गत बेचने का आदेश दिया जा सकता है?

(क) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503

(ख) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 504

(ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505

(घ) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 506

694. यदि कोई सम्पत्ति स्वाभाविक रूप से शीघ्र नष्ट होने योग्य है, तो मैजिस्ट्रेट उस पर क्या आदेश दे सकता है?
- (क) उसे अभियोजन पक्ष को सौंप सकता है
 - (ख) उसे रखने का आदेश दे सकता है
 - (ग) उसे बेचने का आदेश दे सकता है
 - (घ) उसे वापस आरोपी को सौंप सकता है
695. यदि संपत्ति का स्वामी अनुपस्थित है और सम्पत्ति शीघ्र नष्ट होने योग्य है, तो मैजिस्ट्रेट को किस बात का ध्यान रखना होता है?
- (क) सम्पत्ति बेचने की अनुमति केवल राज्य सरकार से मिले
 - (ख) अभियोजन पक्ष की अनुमति आवश्यक हो
 - (ग) सम्पत्ति की बिक्री मालिक के हित में हो
 - (घ) सम्पत्ति को तब तक रोका जाए जब तक मालिक ना मिले
696. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 504(2) के अंतर्गत, मैजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है?
- (क) उच्चतम न्यायालय
 - (ख) जिस न्यायालय में उस मैजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील होती है
 - (ग) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट

(घ) लोक अभियोजन कार्यालय

697. यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जब्त की गई सम्पत्ति का मालिक अज्ञात है, तो वह क्या कदम उठा सकता है?
- (क) सम्पत्ति को नष्ट कर सकता है
 - (ख) पुलिस को सौंप सकता है
 - (ग) उद्घोषणा जारी कर दावा प्रस्तुत करने को कह सकता है
 - (घ) सम्पत्ति अभियुक्त को दे सकता है
698. जब सम्पत्ति पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया हो और वैधता सिद्ध नहीं की गई हो, तो उसे बेचकर प्राप्त धनराशि को कैसे निपटाया जाएगा?
- (क) मैजिस्ट्रेट की अनुमति से
 - (ख) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार
 - (ग) अभियुक्त को लौटाकर
 - (घ) लोक अभियोजक को सौंपकर
699. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति सम्पत्ति पर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता और उसके मालिक की

पहचान नहीं होती है, तो मैजिस्ट्रेट कितने समय के लिए उद्घोषणा जारी करता है?

- (क) तीन महीने
- (ख) चार महीने
- (ग) छह महीने
- (घ) बारह महीने

700. क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503 किसी दस्तावेज़ को 'सम्पत्ति' की परिभाषा में शामिल करती है?

- (क) नहीं
- (ख) केवल तब जब वह सरकारी दस्तावेज़ हो
- (ग) केवल जब वह अभियुक्त के पास हो
- (घ) हाँ, जब वह न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो

701. उद्घोषणा में किन बातों का उल्लेख होना चाहिए?

- (क) अभियुक्त का नाम
- (ख) संपत्ति का विवरण और दावा करने की समयसीमा
- (ग) मैजिस्ट्रेट का कार्यकाल
- (घ) अभियोजन पक्ष की शर्तें

702. यदि स्वामी ज्ञात है तो क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503 के तहत मैजिस्ट्रेट संपत्ति को शर्तों के साथ स्वामी को सौंप सकता है?

- (क) नहीं, केवल बिना शर्त
- (ख) हाँ, अपने विवेक से
- (ग) केवल न्यायालय की अनुमति से
- (घ) अभियोजन के कहने पर

703. यदि संपत्ति का स्वामी अज्ञात है और वह शीघ्र नष्ट होने योग्य है, तो क्या बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505 के अन्तर्गत मैजिस्ट्रेट बिना किसी सुनवाई के उसे बेच सकता है?

- (क) हाँ
- (ख) नहीं
- (ग) केवल अभियुक्त की अनुमति से
- (घ) केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से

704. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505 के अन्तर्गत यदि संपत्ति का मूल्य ₹10,000 से कम हो, मैजिस्ट्रेट निम्न में से किस परिस्थिति में उसे बेचने का आदेश दे सकता है ?

- (क) पुलिस अनुरोध करे
- (ख) मैजिस्ट्रेट को लगे कि यह मालिक के हित में है

- (ग) अभियुक्त अनुरोध करे
- (घ) न्यायालय के आदेश से

705. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505 निम्न में किन परिस्थितियों में लागू होती है?

- (क) जब अभियुक्त अनुपस्थित हो
- (ख) जब सम्पत्ति जाँच के लिए भेजी जाए
- (ग) जब सम्पत्ति शीघ्र नष्ट होने योग्य हो या ₹10,000 से कम मूल्य की हो
- (घ) जब सम्पत्ति न्यायालय में प्रस्तुत की जाए

706. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505 में "सम्पत्ति" में क्या शामिल नहीं होता?

- (क) न्यायालय में प्रस्तुत सम्पत्ति
- (ख) शीघ्र नष्ट होने योग्य सम्पत्ति
- (ग) ₹20,000 मूल्य की सम्पत्ति
- (घ) केवल अचल सम्पत्ति

707. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503 के अनुसार, जब पुलिस द्वारा ज़ब्त सम्पत्ति किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब मैजिस्ट्रेट किस प्रकार का आदेश पारित कर सकता है?

- (क) केवल पुलिस अधिकारी को सौंपने का
- (ख) सम्पत्ति की जब्ती का
- (ग) सम्पत्ति के नष्ट किए जाने का
- (घ) ऐसे व्यक्ति को सौंपने का जो स्वामित्व का दावा करता है

708. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503(2) के अंतर्गत यदि सम्पत्ति के स्वामी का पता है, तो मैजिस्ट्रेट किस शर्त पर उसे सम्पत्ति सौंप सकता है?

- (क) बांड निष्पादन की शर्त पर
- (ख) सम्पत्ति को स्थायी रूप से सौंपने पर
- (ग) सरकारी अधिग्रहण की शर्त पर
- (घ) जब्ती प्रक्रिया के बिना

709. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 504(1) के अनुसार, जब कोई दावा छह माह के भीतर सिद्ध नहीं होता और सम्पत्ति का मालिक इसे वैध रूप से प्राप्त नहीं कर पाता, तो मैजिस्ट्रेट क्या आदेश पारित कर सकता है?

- (क) सम्पत्ति को निजी उपयोग में लेने का
- (ख) सम्पत्ति को राज्य सरकार के अधिपत्य में देने का

- (ग) सम्पत्ति को अपहृत घोषित करने का
- (घ) सम्पत्ति को न्यायालय को सौंपने का

710. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 505 के अनुसार, यदि सम्पत्ति का स्वामी अनुपस्थित हो, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

- (क) संपत्ति को नष्ट कर सकता है
- (ख) उसे अपने पास रख सकता है
- (ग) उसकी नीलामी कर सकता है
- (घ) उसे पुलिस को सौंप सकता है

711. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503 के अंतर्गत अगर संपत्ति पर किसी का वैध दावा हो और वह छः महीने के भीतर सिद्ध हो जाए, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

- (क) संपत्ति को जब्त कर सकता है
- (ख) संपत्ति वापस लौटा सकता है
- (ग) उसे पुलिस स्टेशन भेज सकता है
- (घ) उसे उच्च न्यायालय को भेज सकता है

712. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 503 की व्याख्या के अनुसार “संपत्ति”के सन्दर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?

- (क) केवल दस्तावेज
- (ख) केवल भवन
- (ग) कोई भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज़ जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो
- (घ) केवल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

713. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 के अनुसार, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन की अधिकतम समय सीमा क्या है?

- (क) तीन महीने
- (ख) छह महीने
- (ग) एक वर्ष
- (घ) तीन वर्ष

714. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 के अनुसार, यदि किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा एक वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम है, तो अभियोजन की सीमा क्या होगी?

- (क) छह महीने
- (ख) एक वर्ष
- (ग) दो वर्ष
- (घ) तीन वर्ष

715. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 के अनुसार, ऐसे अपराध जिनका दंड केवल जुर्माना है, उनके लिए शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा कितनी है?

- (क) एक वर्ष
- (ख) छह महीने
- (ग) नौ महीने
- (घ) तीन वर्ष

716. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 के अनुसार, यदि दो अपराध एक साथ विचारणीय हों, तो समयसीमा किस अपराध के आधार पर तय की जाएगी?

- (क) कम दंडनीय अपराध
- (ख) दोनों के औसत दंड के आधार पर
- (ग) अधिक दंडनीय अपराध
- (घ) पहले दर्ज अपराध के आधार पर

717. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 की व्याख्या के अनुसार, अभियोजन की समय सीमा की गणना किस तिथि से शुरू मानी जाएगी?

- (क) अपराध होने की तिथि से
- (ख) पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की तिथि से

- (ग) धारा 173 के अंतर्गत सूचना दर्ज करने या धारा 223 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की तिथि से
(घ) न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने की तिथि से

718. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 के अनुसार, अगर किसी अपराध की अधिकतम सजा एक वर्ष है, तो उसकी सीमा क्या होगी?

- (क) छह महीने
(ख) एक वर्ष
(ग) तीन वर्ष
(घ) दो वर्ष

719. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 के अनुसार, किन परिस्थितियों में संज्ञान लेने पर रोक नहीं होती?

- (क) जब अपराध की रिपोर्ट गुम हो
(ख) जब आरोपी विदेश भाग गया हो
(ग) जब इस संहिता में भिन्न व्यवस्था दी गई हो
(घ) जब सजा का प्रावधान जुर्माने से कम हो

720. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 के अनुसार, अभियोजन की समय-सीमा किन दो स्थितियों में प्रारंभ होती है?

- (क) गिरफ्तारी या चार्जशीट
- (ख) धारा 223 के अंतर्गत शिकायत या धारा 173 के अंतर्गत सूचना की तिथि
- (ग) मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण या अदालत द्वारा संज्ञान
- (घ) कोई निश्चित तिथि नहीं

721. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 514 के अनुसार, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, और छह महीने बीत चुके हैं, तो क्या न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है?

- (क) हाँ, विशेष अनुमति से
- (ख) हाँ, उच्च न्यायालय की अनुमति से
- (ग) नहीं, जब तक संहिता में भिन्न प्रावधान न हो
- (घ) हाँ, यदि आरोपी उपस्थित हो

722. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(b) के अंतर्गत सात वर्ष तक की सज़ा वाले अपराध की स्थिति में गिरफ्तारी के लिए कौन-सी अतिरिक्त शर्त आवश्यक है?

- (क) मैजिस्ट्रेट की अनुमति
- (ख) अपराध का सार्वजनिक स्थल पर किया जाना
- (ग) पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की आवश्यकता की संतुष्टि

(घ) पीड़ित की लिखित शिकायत

723. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(b)(ii)(b) के अनुसार गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों हो सकती है?

(क) अभियुक्त को अस्पताल भेजने के लिए

(ख) अपराध के सही प्रकार की पहचान के लिए

(ग) अपराध की उचित जांच के लिए

(घ) अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए

724. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(e) के अनुसार चोरी की वस्तु के संदर्भ में पुलिस क्या कर सकती है?

(क) वस्तु ज़ब्त कर सकती है लेकिन गिरफ्तार नहीं

(ख) केवल साक्ष्य इकठ्ठा कर सकती है

(ग) व्यक्ति को बिना वारण्ट गिरफ्तार कर सकती है

(घ) मैजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करना आवश्यक है

725. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(1)(j) के अनुसार, मौखिक अनुरोध पर पुलिस अधिकारी कब गिरफ्तारी कर सकता है?

(क) जब अपराध शांति भंग से संबंधित हो

(ख) जब अनुरोध में अपराधी व अपराध का विवरण हो और

गिरफ्तारी न्यायसंगत हो

(ग) जब अभियुक्त महिला हो

(घ) जब राज्य सरकार निर्देश दे

726. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(5) के अनुसार, नोटिस का पालन करने पर व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है?

(क) जब व्यक्ति स्वयं को पहचानने से मना करे

(ख) जब पुलिस लिखित कारण से गिरफ्तारी उचित समझे

(ग) जब मैजिस्ट्रेट आदेश दे

(घ) जब गवाह उपस्थित न हों

727. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35(7) के अनुसार तीन वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय अपराध में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की गिरफ्तारी कब नहीं की जा सकती?

(क) जब अपराध गैर-संज्ञेय हो

(ख) जब अपराध गंभीर न हो

(ग) जब उप पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति न हो

(घ) जब पीड़ित शिकायत न करे

728. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के अनुसार, गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी को अपनी पहचान किस रूप में दिखानी चाहिए?

- (क) मौखिक घोषणा से
- (ख) पहचान पत्र प्रस्तुत करके
- (ग) स्पष्ट, दृश्य और पढ़ने योग्य नाम पहचान चिन्ह द्वारा
- (घ) थाने का नाम बताकर

729. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36(b) के अनुसार गिरफ्तारी ज्ञापन पर कौन-कौन के हस्ताक्षर आवश्यक हैं?

- (क) केवल पुलिस अधिकारी के
- (ख) मैजिस्ट्रेट और अभियुक्त के
- (ग) एक गवाह तथा गिरफ्तार व्यक्ति के
- (घ) दो पुलिसकर्मियों के

730. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के अंतर्गत यदि परिवार का कोई सदस्य उपस्थित न हो, तो पुलिस किसको सूचना दे सकती है?

- (क) मीडिया को
- (ख) पड़ोसी को
- (ग) आरोपी द्वारा नामित मित्र या अन्य व्यक्ति को

(घ) किसी अन्य पुलिस अधिकारी को

731. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के अनुसार गिरफ्तारी ज्ञापन किसके हस्ताक्षर से मान्य होता है?

(क) केवल मैजिस्ट्रेट

(ख) गिरफ्तार व्यक्ति व एक गवाह

(ग) एफआईआर दर्ज करने वाला अधिकारी

(घ) अभियोजन अधिकारी

732. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 में उल्लिखित गवाह कौन हो सकता है?

(क) कोई भी पुलिस अधिकारी

(ख) आरोपी के परिवार का सदस्य या स्थानीय सम्मानित व्यक्ति

(ग) मीडिया प्रतिनिधि

(घ) वकील

733. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के अनुसार गिरफ्तारी ज्ञापन किस समय बनाया जाना चाहिए?

(क) गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर

(ख) गिरफ्तारी के बाद जितनी जल्दी संभव हो

(ग) गिरफ्तारी के समय

(घ) मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते समय

734. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36(c) के अनुसार आरोपी को किस अधिकार की सूचना दी जानी चाहिए?

(क) चुप रहने का अधिकार

(ख) जमानत का अधिकार

(ग) अपने वकील से मिलने का अधिकार

(घ) किसी व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार

735. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के अंतर्गत गिरफ्तारी जापन का उद्देश्य क्या है?

(क) साक्ष्य संग्रह

(ख) जांच तेज़ करना

(ग) गिरफ्तारी की वैधता दर्ज करना

(घ) अभियोजन को सूचना देना

736. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36 के अनुसार, जापन की प्रमाणिकता किससे सुनिश्चित होती है?

(क) वीडियो रिकॉर्डिंग से

(ख) गवाहों के हस्ताक्षर से

- (ग) पुलिस रिपोर्ट से
- (घ) FIR की प्रति से

737. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 के अनुसार हर जिले में कौन-सी व्यवस्था अनिवार्य की गई है?

- (क) महिला थाने की स्थापना
- (ख) अपराध विश्लेषण यूनिट
- (ग) पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना
- (घ) साइबर टीम का गठन

738. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37(b) के अनुसार प्रत्येक थाने में नामांकित अधिकारी का न्यूनतम पद क्या होना चाहिए?

- (क) कांस्टेबल
- (ख) हेड कांस्टेबल
- (ग) सहायक उप-निरीक्षक
- (घ) उप निरीक्षक

739. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी कहाँ प्रदर्शित की जानी चाहिए?

- (क) केवल पुलिस डायरी में
- (ख) जिले के पुलिस नियन्त्रण कक्ष व पुलिस स्टेशन में
- (ग) केवल ऑनलाइन पोर्टल पर
- (घ) अभियोजन विभाग के कार्यालय में

740. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37(b) के अनुसार प्रदर्शित जानकारी में क्या शामिल होता है?

- (क) अपराध की श्रेणी नहीं
- (ख) व्यक्ति की आयु
- (ग) आरोपी का नाम, पता और अपराध की प्रकृति
- (घ) अदालत की कार्यवाही

741. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37(b) के अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण कैसे किया जा सकता है?

- (क) केवल मुद्रित रूप में
- (ख) केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
- (ग) किसी भी उपयुक्त रूप में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है
- (घ) पोस्टर के माध्यम से

742. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 के अनुसार नियंत्रण कक्ष की स्थापना का उद्देश्य क्या है?

- (क) गवाहों को संरक्षण देना
- (ख) अपराध की निगरानी
- (ग) गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड
- (घ) सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण

743. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 के तहत नामित अधिकारी किसकी ज़िम्मेदारी निभाता है?

- (क) केवल FIR दर्ज करने की
- (ख) गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी बनाए रखने की
- (ग) अभियोजन चलाने की
- (घ) अदालत को रिपोर्ट देने की

744. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 में डिजिटल माध्यम से सूचना प्रदर्शित करना कैसा माना जाएगा?

- (क) वैकल्पिक
- (ख) वैध और पर्याप्त
- (ग) गैरकानूनी
- (घ) केवल आपात स्थिति में

745. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 के अनुसार सूचना प्रदर्शित न करने पर क्या हो सकता है?
- (क) कुछ नहीं
 - (ख) केवल मौखिक चेतावनी
 - (ग) प्रशासनिक कार्रवाई
 - (घ) न्यायिक आदेश आवश्यक
746. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37 के अंतर्गत जिला नियंत्रण कक्ष की निगरानी कौन करता है?
- (क) राज्य पुलिस प्रमुख
 - (ख) जिला मैजिस्ट्रेट
 - (ग) नामित पुलिस अधिकारी
 - (घ) संबंधित थाना प्रभारी
747. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को पुछताछ के दौरान निम्न में से क्या अधिकार प्राप्त होता है?
- (क) मैजिस्ट्रेट से सीधे मिलना
 - (ख) वकील से मिलने का
 - (ग) FIR पढ़ने का

(घ) मीडिया को बयान देने का

748. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है?

(क) अनुच्छेद 14

(ख) अनुच्छेद 19

(ग) अनुच्छेद 21

(घ) अनुच्छेद 22

749. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 में अधिवक्ता से मिलने के अधिकार का क्या उद्देश्य है?

(क) गिरफ्तारी का प्रमाण

(ख) आत्मरक्षा में सहायता

(ग) न्यायालय में उपस्थिति

(घ) अभियोजन से बचाव

750. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 के अनुसार यदि व्यक्ति वकील चाहता है, तो पुलिस को क्या करना चाहिए?

(क) उसे अनदेखा करना

(ख) अदालत से अनुमति लेना

- (ग) वकील की उपस्थिति सुनिश्चित करना
- (घ) मैजिस्ट्रेट को सूचित करना

751. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 किस प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है?

- (क) आर्थिक
- (ख) भौतिक
- (ग) कानूनी
- (घ) सामाजिक

752. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 के अंतर्गत पुलिस की कौन-सी ज़िम्मेदारी है?

- (क) अधिवक्ता को उपस्थित करना
- (ख) आरोपी को दोषी ठहराना
- (ग) मैजिस्ट्रेट को सूचना देना
- (घ) मीडिया को जानकारी देना

753. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 के अंतर्गत पूछताछ के समय अधिवक्ता की उपस्थिति किस रूप में होती है?

- (क) कानूनी प्रतिनिधि
- (ख) न्यायिक अधिकारी
- (ग) सलाहकार रूप में
- (घ) पुलिस पर्यवेक्षक

754. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 38 किस प्रक्रिया का हिस्सा है?

- (क) गिरफ्तारी पूर्व जमानत
- (ख) हिरासत में अधिकार
- (ग) ट्रायल का निष्पादन
- (घ) मैजिस्ट्रेट की निगरानी

755. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के अनुसार जब व्यक्ति जिस पर असंज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया गया और नाम या पता बताने से मना करता है, तो पुलिस क्या कर सकती है?

- (क) उसे छोड़ दे
- (ख) उसका चालान काटे
- (ग) उसे गिरफ्तार करे
- (घ) कोर्ट से आदेश ले

756. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के अनुसार गिरफ्तारी का उद्देश्य क्या है?
- (क) पूछताछ करना
 - (ख) नाम व पता जानना
 - (ग) आरोप तय करना
 - (घ) सबूत इकट्ठा करना
757. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के तहत गिरफ्तारी कब समाप्त हो सकती है?
- (क) जब आरोपी जमानत मांगता है
 - (ख) जब नाम व पता ज्ञात हो जाए
 - (ग) जब पुलिस को निर्देश मिले
 - (घ) जब मैजिस्ट्रेट अनुमति दे
758. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के अनुसार विदेशी नागरिक को जमानत कैसे दी जाती है?
- (क) उसी नियम से जैसे भारतीय को
 - (ख) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से
 - (ग) जमानती भारतीय निवासी हो

(घ) बिना ज़मानत के

759. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के अनुसार यदि 24 घंटे में नाम पता ज्ञात न हो तो क्या होगा?

(क) उसे रिहा कर दिया जाएगा

(ख) उसे जुर्माना लगाया जाएगा

(ग) उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

(घ) पुलिस उसे और 48 घंटे रख सकती है

760. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 में 'संदेहास्पद पता' की स्थिति में अधिकारी क्या कर सकता है?

(क) उसे चेतावनी देकर छोड़ सकता है

(ख) तुरंत गिरफ्तार कर सकता है

(ग) पूछताछ स्थगित कर सकता है

(घ) रिपोर्ट बना सकता है

761. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 का प्रयोग किस प्रकार के अपराध पर होता है?

(क) जघन्य अपराध

(ख) संज्ञेय अपराध

(ग) असंज्ञेय अपराध

(घ) सभी पर

762. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के अनुसार गिरफ्तारी की अवधि कितनी अधिकतम हो सकती है जब तक नाम-पता ज्ञात न हो?

(क) 12 घंटे

(ख) 18 घंटे

(ग) 24 घंटे

(घ) 36 घंटे

763. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के तहत गिरफ्तारी से छूट किसे प्राप्त नहीं है?

(क) 60 वर्ष से ऊपर व्यक्ति

(ख) मानसिक रोगी

(ग) महिला

(घ) कोई नहीं

764. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39 के अनुसार सही नाम व पता न बताने पर क्या कानूनी दायित्व बनता है?

- (क) गिरफ्तारी
- (ख) FIR दर्ज
- (ग) अदालत में रिपोर्ट
- (घ) नोटिस जारी

765. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 के अनुसार कोई निजी व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है?

- (क) किसी भी संदिग्ध को
- (ख) किसी भी व्यक्ति को
- (ग) अजमानती व संज्ञेय अपराध करते हुए व्यक्ति को
- (घ) संज्ञेय अपराध का शिकार व्यक्ति

766. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 में यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का संदेह हो लेकिन पुष्टि न हो, तो क्या किया जाएगा?

- (क) उसे थाने में रखा जाएगा
- (ख) उसे मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा
- (ग) तुरंत छोड़ दिया जाएगा
- (घ) FIR दर्ज की जाएगी

767. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40(1) किस प्रकार के अपराध पर लागू होती है?
- (क) बंधनीय अपराध
 - (ख) संगठित अपराध
 - (ग) गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध
 - (घ) न्यायिक अपराध
768. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 के अंतर्गत 'उद्धोषित अपराधी' कौन होता है?
- (क) जिसे कोर्ट ने दोषी ठहराया हो
 - (ख) जिसे न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से उद्धोषित किया हो
 - (ग) जो जेल से भागा हो
 - (घ) जो विदेश भाग गया हो
769. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 के अन्तर्गत, पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के निम्न में से किस धारा के अंतर्गत आने का विश्वास होने पर अपनी अभिरक्षा में लेने का अधिकार है?
- (क) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 35
 - (ख) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 58
 - (ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 37

(घ) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 46

770. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 के अनुसार यदि कोई अपराध सिद्ध न हो, तो गिरफ्तारी के बाद क्या किया जाता है?

- (क) उसे तुरंत रिहा किया जाता है
- (ख) मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है
- (ग) कोर्ट में अभियोजन शुरू किया जाता है
- (घ) FIR दर्ज की जाती है

771. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 में निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की वैधता की शर्त क्या है?

- (क) कोर्ट की अनुमति
- (ख) आरोपी का इकबाल-ए-जुर्म
- (ग) अपराध का प्रत्यक्षदर्शी होना
- (घ) पुलिस रिपोर्ट

772. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 के तहत गिरफ्तारी के समय निजी व्यक्ति को क्या करना चाहिए?

- (क) अपराधी से पूछताछ करना
- (ख) उसे कोर्ट में ले जाना
- (ग) बिना देरी पुलिस को सौंपना

(घ) उसकी तलाशी लेना

773. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 40 के अनुसार यदि आरोपी पुलिस से पहचान छुपाता है तो किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही होगी?

(क) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 39

(ख) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 36

(ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42

(घ) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 46

774. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी किन मैजिस्ट्रेटों द्वारा की जा सकती है?

(क) केवल कार्यकारी मैजिस्ट्रेट

(ख) केवल न्यायिक मैजिस्ट्रेट

(ग) कोई भी कार्यकारी या न्यायिक मैजिस्ट्रेट

(घ) केवल जिला मैजिस्ट्रेट

775. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी किस परिस्थिति में की जा सकती है?

- (क) उसके आदेश पर गिरफ्तारी हो चुकी हो
- (ख) गिरफ्तारी वारंट तैयार हो
- (ग) अपराध उसकी उपस्थिति में हुआ हो
- (घ) आरोपी ने जमानत न ली हो

776. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41 के अनुसार क्या मैजिस्ट्रेट खुद से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है?

- (क) केवल अदालत में
- (ख) नहीं
- (ग) हाँ, जब अपराध उसकी उपस्थिति में हो
- (घ) केवल जब आदेश उच्च न्यायालय से हो

777. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41 में गिरफ्तारी के बाद क्या किया जाता है?

- (क) आरोपी को रिहा कर दिया जाता है
- (ख) मैजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है
- (ग) आरोपी को हिरासत में लिया जाता है
- (घ) तुरंत जमानत दे दी जाती है

778. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41(2) में मैजिस्ट्रेट किसे गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है?
- (क) कोई भी सरकारी कर्मचारी
 - (ख) केवल पुलिस
 - (ग) स्वयं के सामने अपराध करने वाले व्यक्ति
 - (घ) अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को
779. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी किस अधिकार क्षेत्र में की जाती है?
- (क) राज्यभर में
 - (ख) पूरे भारत में
 - (ग) मैजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्र में
 - (घ) जिलेभर में
780. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- (क) न्यायालयीय कार्यवाही
 - (ख) हिरासत प्रक्रिया
 - (ग) मैजिस्ट्रेट की आपात गिरफ्तारी शक्तियाँ
 - (घ) FIR पंजीकरण

781. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी किन मामलों में की जाती है?
- (क) संज्ञेय अपराध
 - (ख) केवल न्यायिक मामलों में
 - (ग) मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में
 - (घ) केवल गैर-संज्ञेय मामलों में
782. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42 के अनुसार, सशस्त्र बलों के सदस्य को गिरफ्तार करने से पहले क्या आवश्यक है?
- (क) मैजिस्ट्रेट की अनुमति
 - (ख) सुप्रीम कोर्ट की अनुमति
 - (ग) केंद्र सरकार की सहमति
 - (घ) डीएसपी की अनुमति
783. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42 का उद्देश्य क्या है?
- (क) पुलिस को अधिकार देना
 - (ख) सशस्त्र बलों को संरक्षण देना
 - (ग) मैजिस्ट्रेट को सूचना देना
 - (घ) न्यायालय को सूचित करना

784. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42 के अनुसार, सशस्त्र बल के सदस्य को गिरफ्तार करने का अधिकार किसे है?
- (क) केवल सेना
 - (ख) कोई नहीं
 - (ग) केंद्र सरकार की अनुमति के बाद पुलिस
 - (घ) किसी भी पुलिस अधिकारी को
785. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42(2) के अनुसार राज्य सरकार किसे संरक्षण दे सकती है?
- (क) नागरिक
 - (ख) सैनिक
 - (ग) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले किसी भी बल के सदस्य
 - (घ) न्यायिक अधिकारी
786. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42 के अनुसार 'सदस्य' का तात्पर्य किससे है?
- (क) सेना का सैनिक
 - (ख) किसी भी सशस्त्र बल का कर्मी
 - (ग) पुलिस अधिकारी
 - (घ) मैजिस्ट्रेट

787. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 42 में सशस्त्र बल के सदस्य के सम्बन्ध में केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है?

(क) FIR पंजीकरण

(ख) गिरफ्तारी

(ग) पूछताछ

(घ) जमानत

788. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 के अनुसार, गिरफ्तारी कैसे की जानी चाहिए?

(क) केवल मौखिक सूचना से

(ख) व्यक्ति को शरीर को छूकर या परिरुद्ध करके

(ग) लिखित वारंट के बिना

(घ) कैमरे से

789. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 में महिला की गिरफ्तारी कैसे की जाती है?

(क) सामान्य नियमों से

(ख) किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा

- (ग) मौखिक सूचना पर गिरफ्तारी मानी जाती है
- (घ) परिवारजन की अनुमति से

790. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 के अन्तर्गत गिरफ्तारी में प्रतिरोध की स्थिति में क्या किया जा सकता है?

- (क) व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए
- (ख) हाथ जोड़कर समझाना चाहिए
- (ग) आवश्यक बल का प्रयोग
- (घ) मैजिस्ट्रेट से अनुमति लेना

791. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 के तहत निम्न में से किन परिस्थितियों में हथकड़ी लगाई जा सकती है?

- (क) साधारण चोरी के मामलों में
- (ख) गंभीर अपराधों में जैसे हत्या, बलात्कार
- (ग) जब कोई पुलिस को देखकर भागे
- (घ) न्यायिक अनुमति मिलने पर

792. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 में किन मामलों में मौत नहीं की जा सकती?

- (क) हत्या के आरोपी के मामले में
- (ख) किसी भी अपराध में
- (ग) केवल मृत्यु दंड के मामलों को छोड़कर
- (घ) गैर-संज्ञेय अपराध में

793. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 के अनुसार, महिला की गिरफ्तारी किस समय नहीं की जा सकती?

- (क) दिन में
- (ख) सुबह 6 से पहले
- (ग) सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले
- (घ) रात 10 बजे के बाद

794. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 के अनुसार यदि महिला की गिरफ्तारी रात में करनी हो तो निम्न में से क्या आवश्यक है?

- (क) मैजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति
- (ख) पुलिस अधीक्षक की अनुमति
- (ग) परिवार की सहमति
- (घ) महिला पुलिस की उपस्थिति

795. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 में गिरफ्तारी के लिए बल प्रयोग की अनुमति किन शर्तों पर है?
- (क) जब आरोपी प्रतिरोध करे या भागने का प्रयास करे
 - (ख) हर स्थिति में
 - (ग) मैजिस्ट्रेट के आदेश पर
 - (घ) अदालत के निर्णय के बाद
796. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 43 के अनुसार गिरफ्तारी करते समय पुलिस को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
- (क) आरोपी की सामाजिक स्थिति
 - (ख) महिला होने पर स्पर्श से बचाव
 - (ग) हथियार रखना
 - (घ) फोन पर वीडियो बनाना
797. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44 के अनुसार, यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में छिपा हो, तो पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है?
- (क) केवल मौखिक सूचना दे सकता है
 - (ख) जबरन प्रवेश नहीं कर सकता
 - (ग) प्रवेश हेतु अनुमति मांग सकता है

(घ) न्यायालय को सूचित करता है

798. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44(2) के अनुसार, यदि कोई महिला ऐसे स्थान में हो जो सामान्यतः सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होती, तो पुलिस को क्या करना होगा?

(क) महिला पुलिस को बुलाना

(ख) तुरंत प्रवेश करना

(ग) महिला को बाहर निकलने की सुविधा देना

(घ) गिरफ्तारी स्थगित करना

799. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44 के अनुसार यदि गिरफ्तार किये जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में छिपा हो और उस स्थान के मालिक/ भारसाधक नें प्रवेश की अनुमति न दे तो पुलिस क्या कर सकती है?

(क) रिपोर्ट दर्ज कर सकती है

(ख) न्यायालय को सूचित कर सकती है

(ग) दरवाज़ा तोड़कर प्रवेश कर सकती है

(घ) पीछे से प्रवेश कर सकती है

800. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 45 के अनुसार, क्या पुलिस अधिकारी अन्य राज्यों में भी अभियुक्त का पीछा कर सकता है?

(क) नहीं

(ख) केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से

(ग) हाँ, पूरे भारत में

(घ) केवल संबंधित राज्य की अनुमति से

801. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 45 का उद्देश्य क्या है?

(क) मैजिस्ट्रेट का अधिकार बढ़ाना

(ख) पुलिस को अधिक अधिकार देना

(ग) अभियुक्त के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई

(घ) अभियुक्त को अदालत तक पहुँचाना

802. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 45 किस प्रकार के अभियुक्त पर लागू होती है?

(क) जो जमानत पर हो

(ख) जिसे वारंट जारी हुआ हो

(ग) जिसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है

(घ) केवल गंभीर अपराधी पर

803. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 46 के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए?
- (क) उसे हथकड़ी लगाना अनिवार्य है
 - (ख) उसे कैद किया जाना चाहिए
 - (ग) उसे अत्यधिक बल प्रयोग से रोका जाए
 - (घ) उसे भागने से रोकने के लिये केवल आवश्यक बल ही प्रयोग किया जाए
804. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिस अधिकारी को क्या जानकारी आरोपी को देना आवश्यक है?
- (क) केवल गिरफ्तारी का कारण
 - (ख) गिरफ्तारी का स्थान और समय
 - (ग) अपराध का विवरण या गिरफ्तारी के आधार
 - (घ) केवल अपराध की प्रकृति
805. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47 के अनुसार गैर-जमानती अपराध छोड़कर किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को किस अधिकार की जानकारी देना अनिवार्य है?

- (क) वकील करने का अधिकार
- (ख) तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने का अधिकार
- (ग) ज़मानत पाने और ज़मानतदार की व्यवस्था करने का अधिकार
- (घ) पूछताछ में मौन रहने का अधिकार

806. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48 के अनुसार, गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस को किसे सूचित करना होता है?

- (क) थानेदार को
- (ख) स्थानीय मीडिया को
- (ग) रिश्तेदार, मित्र या नामित व्यक्ति को
- (घ) मैजिस्ट्रेट को

807. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 49 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को बिना ज़मानत के गिरफ्तार किया गया हो, तो पुलिस को क्या करना आवश्यक है?

- (क) उसे पूछताछ के लिए भेजना
- (ख) उसके सभी वस्त्र हटाना
- (ग) उसकी तलाशी लेकर सभी वस्तुएं सुरक्षित रखना
- (घ) न्यायालय में प्रस्तुत करना

808. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 49 के अनुसार महिला की तलाशी की प्रक्रिया किसके द्वारा की जानी चाहिए?
- (क) पुरुष अधिकारी
 - (ख) डॉक्टर
 - (ग) किसी भी पुलिस अधिकारी
 - (घ) किसी महिला द्वारा शालीनता के साथ
809. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 51 के अनुसार, किसी व्यक्ति के शारीरिक परीक्षण की अनुमति कब दी जा सकती है?
- (क) गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद
 - (ख) मैजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने पर
 - (ग) जब पुलिस को यह विश्वास हो कि परीक्षण से अपराध का प्रमाण मिल सकता है
 - (घ) आरोपी के अनुरोध पर
810. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52 के अनुसार यदि बलात्कार का आरोप है तो व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कौन करेगा?
- (क) कोई भी निजी डॉक्टर
 - (ख) पुलिस निरीक्षक
 - (ग) सरकारी अस्पताल का पंजीकृत चिकित्सक या स्थानीय निकाय का चिकित्सक
 - (घ) आरोपी का परिवारिक डॉक्टर

811. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53 के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कौन करता है?
- (क) जिला मैजिस्ट्रेट
 - (ख) पुलिस अधीक्षक
 - (ग) केंद्रीय/राज्य सरकार के सेवा में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी
 - (घ) गिरफ्तार करने वाला अधिकारी
812. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 के अनुसार यदि किसी आरोपी की पहचान आवश्यक हो, तो अदालत किसके अनुरोध पर पहचान कराने का निर्देश दे सकती है?
- (क) अभियोजन पक्षके अनुरोध पर
 - (ख) आरोपीके अनुरोध पर
 - (ग) पुलिस थाना के प्रभारी के अनुरोध पर
 - (घ) पीड़ितके अनुरोध पर
813. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 के अंतर्गत मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा की गई पहचान की प्रक्रिया किसकी निगरानी में होनी चाहिए?
- (क) पुलिस अधीक्षक
 - (ख) विशेष न्यायालय

(ग) चिकित्सक

(घ) मैजिस्ट्रेट

814. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 में विकलांग व्यक्ति द्वारा की गई पहचान को किस विधि से रिकॉर्ड किया जाना अनिवार्य है?

(क) हस्ताक्षरयुक्त लेखन में

(ख) CCTV फुटेज द्वारा

(ग) ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

(घ) पुलिस रजिस्टर में प्रविष्टि द्वारा

815. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 55 के अंतर्गत अधीनस्थ अधिकारी को गिरफ्तारी से पहले अभियुक्त को कौन सी सूचना देना आवश्यक है?

(क) उसके विरुद्ध साक्ष्य

(ख) गिरफ्तारी का कारण

(ग) गिरफ्तारी की विधिक प्रक्रिया

(घ) आदेश की विषयवस्तु

816. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 56 के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व किस पर होता है?
- (क) अभियोजन अधिकारी
 - (ख) सरकारी अस्पताल
 - (ग) आरोपी के परिजन
 - (घ) अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति पर
817. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 59 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी के सभी मामलों की रिपोर्ट किसे भेजनी होती है?
- (क) लोक अभियोजक
 - (ख) उच्च न्यायालय
 - (ग) ज़िला मैजिस्ट्रेट या उसके निदेश पर उप-मंडलीय मैजिस्ट्रेट को
 - (घ) पुलिस महानिरीक्षक
818. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 के अनुसार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को निम्न में से किस स्थिति में मुक्त किया जा सकता है?
- (क) मैजिस्ट्रेट के विशेष आदेश से
 - (ख) थाना प्रभारी के निर्देश से
 - (ग) आरोपी के मौखिक अनुरोध पर

(घ) पीड़ित की सहमति से

819. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 61 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वैध अभिरक्षा से भाग निकले, तो उसे पकड़ने का अधिकार किसे होता है?

(क) कोई भी नागरिक

(ख) न्यायालय

(ग) जिसकी अभिरक्षा से वह भागा हो

(घ) केवल पुलिस महानिरीक्षक

820. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 61(1) के अनुसार यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति भाग जाता है, तो उसे कहां से पुन गिरफ्तार किया जा सकता है?

(क) केवल उसी राज्य से

(ख) केवल न्यायालय परिसर से

(ग) केवल पुलिस थाने से

(घ) भारत के किसी भी स्थान से

821. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 61(2) के अनुसार पुनः गिरफ्तारी की स्थिति में निम्न में से किन धाराओं का उपबन्ध लागू होता है?

- (क) केवल बी.एन.एस.एस. अधिनियम की धारा 35
- (ख) केवल राज्य पुलिस अधिनियम
- (ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम की धारा 44 के प्रावधान
- (घ) बी.एन.एस.एस. अधिनियम की धारा 193 के अनुसार

822. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 57 के अनुसार बिना वारण्ट गिरफ्तारी के उपरान्त व्यक्ति को पेश करने में विलंब होने पर क्या यह प्रक्रिया वैध मानी जाएगी?

- (क) हाँ, यदि पुलिस ने लिखित कारण दिया हो
- (ख) नहीं, यह अवैध गिरफ्तारी मानी जाएगी
- (ग) केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से
- (घ) यदि अभियुक्त स्वीकार करता है

823. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 49 के अनुसार किसी व्यक्ति से जब्त वस्तुओं की रसीद देना किसका उत्तरदायित्व है?

- (क) थाना प्रभारी का
- (ख) गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी का
- (ग) मैजिस्ट्रेट का

(घ) कोई नहीं

824. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 51 की व्याख्या के अनुसार 'परीक्षा' में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है?

(क) डीएनए परीक्षण

(ख) बालों के नमूने

(ग) टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड

(घ) रक्त की जांच

825. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52 के अनुसार बलात्कार के आरोपी की चिकित्सीय जांच में कौन सी बात अनिवार्य रूप से रिपोर्ट में दर्ज की जानी चाहिए?

(क) अपराध का स्थान

(ख) आरोप की प्रकृति

(ग) डीएनए प्रोफाइल हेतु लिए गए नमूनों का विवरण

(घ) पीड़िता का नाम

826. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53 के अनुसार यदि महिला की चिकित्सीय जांच करनी हो, और महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध न हो, तो कौन जांच कर सकता है?

- (क) महिला कांस्टेबल
- (ख) रजिस्ट्री कृत महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर
- (ग) पुरुष डॉक्टर
- (घ) मैजिस्ट्रेट

827. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 58 व 59 दोनों में पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा गिरफ्तारी की सूचना किसे भेजनी होती है?

- (क) लोक अभियोजक
- (ख) ज़िला मैजिस्ट्रेट या उप-मंडलीय मैजिस्ट्रेट
- (ग) राज्य पुलिस प्रमुख
- (घ) अदालत के रजिस्ट्रार

828. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 50 के अनुसार जब किसी आरोपी के पास से हथियार जब्त किया जाए, तो उसे कहाँ जमा किया जाना चाहिए?

- (क) नजदीकी थाने में
- (ख) राज्य पुलिस कार्यालय में
- (ग) संबंधित न्यायालय या अधिकारी के समक्ष
- (घ) जिला कारागार में

829. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 55(1) के अनुसार अधीनस्थ अधिकारी को गिरफ्तारी हेतु भेजे जाने पर आदेश में क्या उल्लेख होना अनिवार्य है?
- (क) केवल आरोपी का नाम
 - (ख) आरोपी की पहचान
 - (ग) आरोपी और उसके विरुद्ध अपराध का विवरण
 - (घ) आरोपी की जाति और पता
830. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 47 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति बिना वारंट गिरफ्तार किया जाता है, तो निम्न में से किस स्तर की सूचना तत्काल दी जानी चाहिए?
- (क) मौखिक रूप से
 - (ख) आंशिक सूचना
 - (ग) अपराध की पूरी जानकारी या अन्य आधार
 - (घ) केवल FIR संख्या
831. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना देने की जिम्मेदारी किसकी है?
- (क) मैजिस्ट्रेट
 - (ख) थाने के रजिस्ट्रार की

- (ग) गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की
- (घ) राज्य सरकार की

832. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 50 के अनुसार, आरोपी से जब्त किए गए घातक हथियारों को न्यायालय या अधिकारी को कब सौंपना होता है?

- (क) गिरफ्तारी के 12 घंटे में
- (ख) गिरफ्तारी के तुरंत बाद
- (ग) अदालत की अगली पेशी में
- (घ) चार्जशीट दाखिल करते समय

833. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52 में कहा गया है कि बलात्कार के आरोपी की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट में क्या विशेष विवरण दिया जाना आवश्यक है?

- (क) पीड़िता की प्रतिक्रिया
- (ख) आरोपी के रिश्तेदारों की जानकारी
- (ग) DNA प्रोफाइलिंग के लिये आरोपी के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण
- (घ) न्यायालय का नाम

834. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53 के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर पर पाई गई हिंसा की चोटों का विवरण किसके द्वारा दर्ज किया जाता है?
- (क) पुलिस अधीक्षक
 - (ख) रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर
 - (ग) अभियोजन अधिकारी
 - (घ) जांच अधिकारी
835. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 57 के अन्तर्गत गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को किसके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए?
- (क) अभियोजन अधिकारी
 - (ख) मैजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी
 - (ग) पीड़िता
 - (घ) जिला मैजिस्ट्रेट
836. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 59 के अनुसार पुलिस स्टेशन प्रभारी को निम्न में से कैसी गिरफ्तारी की रिपोर्टिंग करनी होती है?

- (क) केवल गंभीर मामलों में
- (ख) गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर
- (ग) प्रत्येक बिना वारंट गिरफ्तारी की
- (घ) केवल नाबालिग अभियुक्तों की

837. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 60 के अनुसार पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार किसके आदेश से होता है?

- (क) उच्च न्यायालय
- (ख) मैजिस्ट्रेट
- (ग) अभियोजन अधिकारी
- (घ) पुलिस अधीक्षक

838. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 61 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति के फिर से पकड़े जाने पर निम्न में से बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 केकौन-से प्रावधान लागू होते हैं?

- (क) धारा 45
- (ख) धारा 49
- (ग) धारा 44
- (घ) धारा 57

839. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52 के अनुसार आरोपी की जांच के दौरान प्रारंभ और समाप्ति का समय क्यों दर्ज करना अनिवार्य है?
- (क) न्यायालयीय प्रमाण हेतु
 - (ख) पीड़िता की संतुष्टि हेतु
 - (ग) पुलिस रिकॉर्ड के लिए
 - (घ) अभियोजन के परामर्श हेतु
840. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53 के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट की एक प्रति किसे सौंपी जाती है?
- (क) केवल पुलिस को
 - (ख) मैजिस्ट्रेट को
 - (ग) आरोपी या उसके द्वारा नामित व्यक्ति को
 - (घ) पीड़िता को
841. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 54 में जब कोई विकलांग व्यक्ति पहचान करता है, तो कौन से विशेष उपाय लागू होते हैं?
- (क) मेडिकल सहायक की उपस्थिति
 - (ख) साक्ष्य अधिनियम के अनुसार
 - (ग) अनुकूल विधि से पहचान कराने की व्यवस्था

(घ) केवल लिखित पहचान अनिवार्य

842. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 48(4) के अनुसार मैजिस्ट्रेट किस विषय में संतुष्ट होना चाहिए?

(क) अपराध की प्रकृति

(ख) आरोपी की आयु

(ग) गिरफ्तारी की सूचना और उसकी प्रविष्टि की पुष्टि

(घ) अभियोजन पक्ष की राय

843. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 50 में "घातक हथियारों" के संदर्भ में क्या अनिवार्य है?

(क) उन्हें सबूत के रूप में रखना

(ख) अदालत को देना

(ग) अभियोजन अधिकारी को दिखाना

(घ) आरोपी के परिवार को जानकारी देना

844. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 57 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के बाद देरी न करने की अनिवार्यता का उद्देश्य क्या है?

(क) अभियोजन को समय देना

(ख) आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा

- (ग) प्रशासनिक सुविधा
- (घ) पुलिस विभागीय प्रक्रिया

845. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 59 के अंतर्गत पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है?

- (क) एफ आई आर का पंजीकरण
- (ख) अदालती संज्ञान
- (ग) उच्चाधिकारी को सूचना
- (घ) निगरानी और पारदर्शिता

846. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 52(1) में 16 किलोमीटर के दायरे में सरकारी चिकित्सक उपलब्ध न होने पर किसे अनुमति दी गई है?

- (क) पुलिस अधिकारी को
- (ख) निजी लैब को
- (ग) अन्य रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को
- (घ) अभियोजन अधिकारी को

847. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 53 में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में किन तथ्यों का उल्लेख करता है?

- (क) गिरफ्तारी का समय
- (ख) मैजिस्ट्रेट का नाम
- (ग) चोटें और उनका संभावित समय
- (घ) अभियोजन की राय

848. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के तहत, लिखित सम्मन पर किसका हस्ताक्षर होना आवश्यक है?

- (क) सरकारी वकील
- (ख) न्यायालय का पीठासीन अधिकारी
- (ग) पुलिस अधीक्षक
- (घ) राज्य सरकार का अधिकारी

849. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, कौन-सा तत्व प्रत्येक सम्मन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए?

- (क) वकील की राय
- (ख) न्यायालय की मुहर
- (ग) अभियोजन स्वीकृति
- (घ) आरोपी का हस्ताक्षर

850. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, डिजिटल रूप में जारी सम्मन पर निम्न में से क्या आवश्यक है?

- (क) डिजिटल हस्ताक्षर या न्यायालय की छवि-मुद्रित मुहर
- (ख) अभियुक्त का फोटो
- (ग) वकील का नाम
- (घ) न्यायालय का पता

851. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 में 'ऐसे अन्य रूप' से क्या तात्पर्य है?

- (क) केवल भौतिक पत्र
- (ख) केवल सरकारी आदेश
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण के अन्य स्वीकृत माध्यम
- (घ) मौखिक सूचना

852. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अंतर्गत यदि हाईकोर्ट आदेश दे, तो किसे सम्मन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मिल सकता है?

- (क) मैजिस्ट्रेट
- (ख) कोई अन्य अधिकारी
- (ग) आरोपी
- (घ) केवल पुलिस

853. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, सम्मन की डिजिटल प्रति पर मुहर किस रूप में हो सकती है?
- (क) स्याही द्वारा
 - (ख) प्रिंटेड स्टैम्प
 - (ग) छवि या डिजिटल हस्ताक्षर
 - (घ) कोई आवश्यकता नहीं
854. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 में सम्मन के किस प्रारूप का विशेष रूप से उल्लेख है?
- (क) ईमेल
 - (ख) मौखिक सूचना
 - (ग) लिखित व इलेक्ट्रॉनिक दोनों
 - (घ) केवल पंजीकृत डाक
855. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, न्यायालय की मुहर का प्रयोजन क्या है?
- (क) दस्तावेज़ को प्रमाणित करना
 - (ख) अभियोजन को सूचित करना
 - (ग) आरोप तय करना
 - (घ) वारंट जारी करना

856. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 में, समन तामील का कौन-सा माध्यम निर्दिष्ट नहीं किया गया है?

- (क) व्यक्तिगत सेवा
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक संचार
- (ग) रजिस्टर्ड डाक
- (घ) पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से

857. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, राज्य सरकार निम्न में से किन सूचनाओं को दर्ज करने के लिए नियम बना सकती है?

- (क) अपराध विवरण
- (ख) FIR की संख्या
- (ग) पता, ईमेल, फोन नंबर आदि
- (घ) अदालत का निर्णय

858. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अंतर्गत सम्मन की तामील कब इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जा सकती है?

- (क) जब आरोपी सहमत हो
- (ख) जब न्यायालय आदेश दे
- (ग) जब राज्य सरकार द्वारा नियम निर्धारित हो

(घ) जब पुलिस आवश्यकता समझे

859. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 में 'व्यक्तिगत रूप से सेवा' का तात्पर्य किससे है?

(क) मेल द्वारा

(ख) फ़ोन कॉल द्वारा

(ग) आरोपी को सम्मन की एक प्रति देना

(घ) पुलिस रजिस्टर में नाम दर्ज करना

860. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, सम्मन की तामील किस नियमों के अधीन की जाती है?

(क) केंद्र सरकार द्वारा

(ख) उच्च न्यायालय द्वारा

(ग) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन

(घ) अभियोजन द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देश

861. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, सम्मन की तामील के समय पुलिस को क्या रजिस्टर में दर्ज करना होता है?

- (क) अपराध संख्या
- (ख) न्यायालय का नाम
- (ग) प्राप्तकर्ता का पता, ईमेल व अन्य विवरण
- (घ) आरोपी की स्थिति

862. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सम्मन किस शर्त पर वैध माना जाएगा?

- (क) हस्ताक्षर की आवश्यकता न हो
- (ख) सरकारी सर्वर द्वारा भेजा गया हो
- (ग) न्यायालय की मुहर की छवि हो
- (घ) केवल पीडीएफ फॉर्मेट में हो

863. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 में समन तामीली के कहने पर सम्मन प्राप्त करने वाले को समन की प्रति पर क्या करना होता है?

- (क) सम्मन को पढ़ना
- (ख) उसके ऊपर हस्ताक्षर करना
- (ग) न्यायालय में उपस्थित होना
- (घ) एफआईआर प्राप्त करना

864. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, सम्मन तामील का उद्देश्य क्या है?
- (क) आरोपी को दंडित करना
 - (ख) आरोपी की ज़मानत खंडित करना
 - (ग) न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित रहने हेतु सूचित करना
 - (घ) पुलिस द्वारा दबाव बनाना
865. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अन्तर्गत समन पर डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता क्यों है?
- (क) सरकार की पहचान के लिए
 - (ख) दस्तावेज़ को वैध बनाने के लिए
 - (ग) पीड़िता को संतुष्ट करने के लिए
 - (घ) अभियुक्त की रक्षा हेतु
866. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, अगर सम्मन की व्यक्तिगत तामील संभव न हो, तो क्या विकल्प है?
- (क) सम्मन को फाड़ देना
 - (ख) आरोपी को गिरफ्तार करना
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य माध्यम द्वारा तामील
 - (घ) न्यायालय को सूचित करना

867. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार, सम्मन पर मुहर की छवि किन रूपों में हो सकती है?
- (क) केवल भौतिक मुहर
 - (ख) केवल इमोजी के रूप में
 - (ग) छवि या डिजिटल रूप
 - (घ) बिना मुहर के
868. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार, सम्मन सेवा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कौन-सा रिकॉर्ड अनिवार्य है?
- (क) सर्विस रजिस्टर
 - (ख) न्यायालय की डायरी
 - (ग) केस डायरी
 - (घ) राज्य सुरक्षा पंजी
869. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 में उल्लेखित 'प्राप्तकर्ता की रसीद' का क्या तात्पर्य है?
- (क) सम्मन लौटाना
 - (ख) सम्मन की स्वीकारोक्ति
 - (ग) पुलिस स्टेशन में साइन करना
 - (घ) न्यायालय में रिपोर्ट करना

870. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 63 और 64 के प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- (क) अपराध को नियंत्रित करना
- (ख) न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता
- (ग) पुलिस को अधिकार देना
- (घ) अभियोजन पक्ष की सहायता करना

871. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अनुसार, यदि सम्मन प्राप्त व्यक्ति नहीं मिलता है, तो सम्मन किसे दिया जा सकता है?

- (क) पड़ोसी को
- (ख) कार्यालय सहायक को
- (ग) उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क परिवार सदस्य को
- (घ) मकान मालिक को

872. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अनुसार, सम्मन तामील के लिए परिवार में कौन-सा सदस्य होना आवश्यक है?

- (क) नाबालिग
- (ख) कोई भी सहकर्मी
- (ग) वयस्क

(घ) सेवक

873. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अन्तर्गत यह धारा किस स्थिति में लागू होती है?

(क) जब सम्मन प्राप्तकर्ता जेल में हो

(ख) जब समनडाक से भेजा गया हो

(ग) जब प्राप्तकर्ता नहीं मिलता

(घ) जब वकील उपस्थित न हो

874. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अन्तर्गत, क्या सेवक को परिवार सदस्य माना जा सकता है?

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) न्यायालय की अनुमति पर

(घ) राज्य सरकार के आदेश से

875. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 के अनुसार, क्या मौखिक रूप से भी समनदिया जा सकता है?

(क) हाँ

(ख) नहीं

- (ग) केवल विशेष परिस्थितियों में
- (घ) राज्य सरकार के आदेश से

876. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 66 में सम्मन सेवा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- (क) आरोपी को हिरासत में लेना
- (ख) सूचना देना और न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थिति सुनिश्चित करना
- (ग) अदालत को सूचना देना
- (घ) सजा सुनाना

877. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अनुसार, यदि सभी प्रयासों के बाद भी समनसेवा नहीं हो सके, तो अगला कदम क्या है?

- (क) वारंट जारी करना
- (ख) नोटिस भेजना
- (ग) समनकी एक प्रति घर के प्रमुख भाग में चिपकाना
- (घ) अदालत में शिकायत करना

878. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अंतर्गत, यदि समनघर पर चिपकाया जाए, तो न्यायालय क्या कर सकता है?

- (क) आरोपी को दोषी घोषित कर सकता है
- (ख) समन की तामील को वैध घोषित कर सकता है
- (ग) केस समाप्त कर सकता है
- (घ) वारंट के बिना गिरफ्तारी आदेश दे सकता है

879. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 में सम्मन चिपकाने के स्थान को कैसे चयनित किया जाना चाहिए?

- (क) दरवाजे के अंदर
- (ख) आरोपी के बिस्तर पर
- (ग) मकान के किसी प्रमुख दृश्य भाग पर
- (घ) दीवार के पीछे

880. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 में सम्मन की सेवा किसके द्वारा वैध मानी जा सकती है?

- (क) पुलिस
- (ख) मैजिस्ट्रेट
- (ग) न्यायालय द्वारा स्वयं
- (घ) पीड़ित द्वारा

881. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 में क्या न्यायालय स्वतः नई सेवा का आदेश दे सकता है?

- (क) नहीं
- (ख) केवल अपील पर
- (ग) हाँ, आवश्यक पूछताछ के बाद
- (घ) केवल अभियोजन की मांग पर

882. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अन्तर्गत, किसके विवेकाधिकार से निर्णय लिया जाता है किसमनवैध रूप से सेवा हुआ है?

- (क) अभियोजन
- (ख) पुलिस
- (ग) न्यायालय
- (घ) आरोपी

883. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 67 के अतर्गत किस प्रकार की जाँच के बाद न्यायालय अपना निर्णय करता है?

- (क) अभियुक्त की आय
- (ख) सरकारी नियम
- (ग) न्यायिक पूछताछ
- (घ) राज्य सरकार की सिफारिश

884. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 के अनुसार, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति को समनभेजने की प्रक्रिया क्या है?

(क) सीधे आरोपी को देना

(ख) डाक द्वारा भेजना

(ग) उसके कार्यालय प्रमुख को दो प्रतियाँ सहित भेजना

(घ) वकील को सौंपना

885. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 के अंतर्गत, समनतामील करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है?

(क) पुलिस अधीक्षक

(ख) आरोपी

(ग) कार्यालय प्रमुख

(घ) अभियोजन अधिकारी

886. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 के अनुसार, किस स्तर के अधिकारी को समनतामील के लिये भेजे जाते हैं?

(क) न्यायिक अधिकारी

(ख) सरकारी विभाग का प्रमुख

(ग) वकील

(घ) सहकर्मी

887. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 के अन्तर्गत समन तामील मे किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए?
- (क) मौखिक सूचना
 - (ख) सिविल प्रक्रिया
 - (ग) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 64 के अनुसार सेवा
 - (घ) बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 44 के अनुसार रिपोर्ट
888. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 में सरकारी कर्मचारी को समन प्राप्त कराने का माध्यम कौन बनता है?
- (क) पुलिस
 - (ख) अभियोजन
 - (ग) कार्यालय प्रमुख
 - (घ) न्यायालय
889. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 में क्या किसी तीसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर वैध माने जाएंगे?
- (क) हाँ, यदि गवाह हो
 - (ख) नहीं
 - (ग) हाँ, यदि कार्यालय प्रमुख हों
 - (घ) केवल जब मैजिस्ट्रेट अनुमति दे

890. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 के अनुसार, समन तामील के उपरान्त, क्या एक प्रतिलिपि न्यायालय में लौटाई जाती है?

- (क) नहीं
- (ख) हाँ, हस्ताक्षर सहित
- (ग) केवल पुलिस द्वारा
- (घ) केवल अभियुक्त द्वारा

891. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 68 के अंतर्गत समन तामील की पुष्टि के लिए निम्न में से आवश्यक प्रमाण क्या है?

- (क) गवाह
- (ख) सरकारी पत्र
- (ग) कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर
- (घ) वीडियो रिकॉर्डिंग

892. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अनुसार, गवाह को समन भेजने के लिए कौन-सी वैकल्पिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है?

- (क) केवल मौखिक सूचना
- (ख) केवल व्यक्तिगत उपस्थिति

- (ग) इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण या पंजीकृत डाक
- (घ) पुलिस द्वारा व्यक्तिगत गिरफ्तारी

893. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अंतर्गत गवाह को समन की डिलीवरी का प्रमाण किस रूप में मान्य होता है?

- (क) न्यायालय की मौखिक पुष्टि
- (ख) किसी भी कर्मचारी का मौखिक बयान
- (ग) गवाह के हस्ताक्षर सहित प्राप्ति रसीद या डाक कर्मचारी का अस्वीकार नोट
- (घ) पुलिस द्वारा किया गया व्यक्तिगत संपर्क

894. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के तहत, समन की इलेक्ट्रॉनिक सेवा में क्या आवश्यक होता है?

- (क) केवल न्यायालय की अनुमति
- (ख) डाक विभाग का समर्थन
- (ग) न्यायालय की संतुष्टि हेतु डिलीवरी का प्रमाण
- (घ) अभियुक्त की सहमति

895. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 में समन प्राप्ति से मना करने पर न्यायालय क्या निष्कर्ष निकाल सकता है?

- (क) समन असफल रहा
- (ख) नया समन जारी करना होगा
- (ग) समन को विधिवत सेवा मान सकता है
- (घ) अभियोजन रोक दिया जाएगा

896. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अनुसार, गवाह की अनुपस्थिति में समन कैसे प्रभावी रूप से भेजा जा सकता है?

- (क) टेलीफोन के माध्यम से
- (ख) न्यायालय के किसी कर्मचारी के द्वारा मौखिक सूचना
- (ग) ई-मेल या पंजीकृत डाक
- (घ) मीडिया विज्ञापन के माध्यम से

897. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 में न्यायालय किस प्रकार की सेवा को प्राथमिकता के रूप में निर्देशित कर सकता है?

- (क) केवल व्यक्तिगत सेवा
- (ख) पुलिस सेवा
- (ग) इलेक्ट्रॉनिक सेवा के साथ समवर्ती समन
- (घ) बिना किसी सेवा

898. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अनुसार, क्या समन की प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा सकती है?

(क) नहीं

(ख) केवल न्यायालय के विशेष आदेश से

(ग) हाँ, अगर उस पर न्यायालय की मुहर की छवि हो

(घ) केवल जब गवाह न्यायालय के समीप रहता हो

899. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 71 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा समन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने का निर्णय किस पर आधारित होता है?

(क) अभियोजन की इच्छा

(ख) गवाह की आयु

(ग) न्यायालय की सुविधा और गवाह का स्थान

(घ) सरकारी अनुमति

900. धारा 72 के अनुसार, गिरफ्तारी वारंट में क्या अनिवार्य रूप से होना चाहिए?

(क) आरोपी की फोटो

(ख) न्यायालय की मुहर और हस्ताक्षर

(ग) गवाह के हस्ताक्षर

(घ) पुलिस की अनुमति

901. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट की वैधता कितने समय तक होती है?

(क) 30 दिन

(ख) न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने तक या निष्पादन तक

(ग) पुलिस द्वारा वापस लिए जाने तक

(घ) अभियुक्त की गिरफ्तारी तक

902. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अनुसार, क्या गिरफ्तारी वारंट लिखित होना अनिवार्य है?

(क) नहीं

(ख) केवल डिजिटल होना चाहिए

(ग) हाँ, लिखित और न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित

(घ) मौखिक वारंट मान्य होता है

903. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अंतर्गत गिरफ्तारी वारंट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए?

(क) पुलिस अधिकारी

(ख) अभियोजन अधिकारी

(ग) न्यायालय के पीठासीन अधिकारी

(घ) राज्य सरकार

904. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अनुसार, क्या न्यायालय की मुहर वारंट पर आवश्यक है?

(क) नहीं

(ख) केवल उच्च न्यायालय में

(ग) हाँ, सभी न्यायालयों में

(घ) केवल विशेष न्यायालय में

905. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के तहत गिरफ्तारी वारंट का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए?

(क) मौखिक

(ख) वीडियो संदेश

(ग) लिखित

(घ) सामाजिक मीडिया पर सूचित

906. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अनुसार, यदि वारंट का निष्पादन नहीं हुआ है तो क्या वह अमान्य हो जाता है?

(क) हाँ, एक सप्ताह बाद

(ख) हाँ, एक महीने बाद

- (ग) नहीं, जब तक न्यायालय द्वारा रद्द न किया जाए
- (घ) अभियुक्त के अनुरोध पर

907. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 में न्यायालय द्वारा जारी वारंट किस स्थिति में निष्प्रभावी होता है?

- (क) अभियुक्त का आत्मसमर्पण
- (ख) पुलिस द्वारा अस्वीकृति
- (ग) न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना
- (घ) न्यायालय का अवकाश

908. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 72 के अनुसार, वारंट किसके द्वारा रद्द किया जा सकता है?

- (क) पुलिस अधीक्षक
- (ख) आरोपी
- (ग) न्यायालय जिसने वारंट जारी किया
- (घ) गवाह

909. यदि पीड़िता मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173 के अनुसार सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया कहाँ होनी चाहिए?

- (क) थाने में
- (ख) मैजिस्ट्रेट कार्यालय में
- (ग) पीड़िता के घर या उसकी पसंद की जगह पर
- (घ) किसी महिला थाने में

910. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173(2) के तहत पीड़िता या सूचक को सूचना की प्रति कब दी जाती है?

- (क) एक सप्ताह बाद
- (ख) माँग करने पर
- (ग) तुरंत, निःशुल्क
- (घ) चार्ज लगाकर

911. धारा 173(3) के अनुसार 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराध में अन्वेषण प्रारंभ करने से पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है?

- (क) आरोपी की गिरफ्तारी
- (ख) न्यायालय की अनुमति
- (ग) प्रारंभिक जाँच
- (घ) चार्जशीट दाखिल करना

912. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत यदि थाना प्रभारी सूचना दर्ज करने से मना करता है, तो पीड़ित किस अधिकारी को लिखित रूप में सूचना भेज सकता है?

(क) क्षेत्राधिकारी

(ख) पुलिस महानिरीक्षक

(ग) पुलिस अधीक्षक

(घ) न्यायिक मैजिस्ट्रेट

913. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173 के अनुसार यदि पीड़िता स्थाई या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है की सूचना दर्ज करते समय उसकी विडियोग्राफी क्यों आवश्यक है?

(क) प्रचार के लिए

(ख) प्रमाणिकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए

(ग) सामाजिक दबाव के लिए

(घ) मीडिया में प्रस्तुत करने हेतु

914. यदि पीड़िता मानसिक रूप से विकलांग है, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अनुसार सूचना किसकी उपस्थिति में दर्ज की जाएगी?

- (क) माता-पिता की
- (ख) वकील की
- (ग) दुभाषिए या विशेष शिक्षक की
- (घ) समाजसेवी संस्था की

915. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173 के अनुसार प्रारंभिक जांच की अवधि कितनी निर्धारित की गई है?

- (क) 7 दिन
- (ख) 10 दिन
- (ग) 14 दिन
- (घ) 30 दिन

916. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस क्या रिकॉर्ड करती है?

- (क) केस डायरी
- (ख) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किताब में विवरण
- (ग) दैनिक विवरण
- (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

917. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174 के अनुसार असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष को क्या करना होता है?
- (क) तुरंत गिरफ्तार करना
 - (ख) FIR दर्ज करना
 - (ग) सूचना की प्रविष्टि करनी होती है
 - (घ) मैजिस्ट्रेट को चार्जशीट भेजना
918. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174 के अनुसार असंज्ञेय मामलों में पुलिस अन्वेषण कब शुरू कर सकती है?
- (क) पुलिस अधीक्षक की अनुमति से
 - (ख) न्यायालय के आदेश पर
 - (ग) पीड़ित की अनुमति से
 - (घ) FIR दर्ज होते ही
919. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174(1) के अनुसार असंज्ञेय मामलों की रिपोर्ट थानाध्यक्ष कितने समय के अंतराल पर मैजिस्ट्रेट को भेजता है?
- (क) प्रतिदिन
 - (ख) साप्ताहिक
 - (ग) मासिक
 - (घ) पाक्षिक

920. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174 के अनुसार असंज्ञेय अपराधों की अन्वेषण करते समय थानाध्यक्ष को क्या शक्ति प्राप्त नहीं होती है?
- (क) गवाहों को बुलाना
 - (ख) जब्ती करना
 - (ग) बिना वारण्ट गिरफ्तारी
 - (घ) स्थल निरीक्षण करना
921. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174(4) के अनुसार यदि किसी मामले में एक संज्ञेय और एक असंज्ञेय अपराध सम्मिलित हैं, तो वह मामला कैसा माना जाएगा?
- (क) असंज्ञेय
 - (ख) विशेष
 - (ग) जटिल
 - (घ) संज्ञेय
922. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 175(1) के अनुसार थानाध्यक्ष किस प्रकार के मामलों की जांच मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कर सकता है?

- (क) केवल जबरन वसूली के
- (ख) केवल संज्ञेय अपराध
- (ग) केवल महिला अपराध
- (घ) केवल आर्थिक अपराध

923. किसी थानाध्यक्ष की जांच को बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 175(2) के अंतर्गत किन आधारों पर चुनौती नहीं दी जा सकती?

- (क) अधिकारी की रैंक
- (ख) थाना क्षेत्राधिकार
- (ग) जाँच की प्रक्रिया
- (घ) जांच करने की शक्ति पर

924. यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध शिकायत हो, तो बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 175(4) के तहत मैजिस्ट्रेट जांच का आदेश किन शर्तों पर देगा?

- (क) जब मैजिस्ट्रेट चाहे
- (ख) केवल अभियोजन की सहमति से
- (ग) वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट एवं संबंधित सेवक की दलील पर विचार करने के बाद
- (घ) सीधे सुनवाई के बाद

925. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(1) के अनुसार अपराध के संदेह पर थानाध्यक्ष क्या कर्तव्य निभाता है?
- (क) चार्जशीट भेजना
 - (ख) आरोपी को पकड़ना
 - (ग) रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजना और स्थल पर जाकर जाँच करना
 - (घ) पीड़ित को अदालत ले जाना
926. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 के अन्तर्गत किस प्रकार के अपराध में पीड़िता का ब्यान उसके घर पर या उसकी पसंद की जगह पर दर्ज किया जाना चाहिए?
- (क) चोरी
 - (ख) बलात्कार
 - (ग) मारपीट
 - (घ) डकैती
927. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176 के अन्तर्गत बलात्कार की पीड़िता का ब्यान दर्ज करते समय कौन-कौन उपस्थित हो सकते हैं?
- (क) केवल पुलिस
 - (ख) मैजिस्ट्रेट और आरोपी

- (ग) माता-पिता या नातेदार या संरक्षक या समाजसेवी
- (घ) डॉक्टर और वकील

928. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(2) के अंतर्गत यदि थाना प्रभारी जाँच न करे तो किसे सूचना देना आवश्यक है?

- (क) पत्रकार को
- (ख) अभियोजन को
- (ग) सूचक को
- (घ) विधायक को

929. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(3) के अंतर्गत जिन मामलों में सजा 7 वर्ष या अधिक है, वहाँ पुलिस को क्या करना आवश्यक है?

- (क) त्वरित गिरफ्तारी
- (ख) मैजिस्ट्रेट को सूचित करना
- (ग) फॉरेंसिक विशेषज्ञ को घटनास्थल बुलाना और वीडियोग्राफी कराना
- (घ) पीड़ित को अदालत में पेश करना

930. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(2) के अंतर्गत यदि राज्य में फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो क्या किया जाएगा?

- (क) रिपोर्ट रोक दी जाएगी
- (ख) केस बंद कर दिया जाएगा
- (ग) अन्य राज्य की सुविधा का उपयोग किया जाएगा
- (घ) फॉरेंसिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी

931. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 177 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किसके माध्यम से भेजी जा सकती है?

- (क) पंचायत अधिकारी के माध्यम से
- (ख) मैजिस्ट्रेट के सहायक के माध्यम से
- (ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से
- (घ) पोस्ट ऑफिस के माध्यम से

932. वरिष्ठ अधिकारी बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 177 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद क्या कर सकता है?

- (क) रिपोर्ट को रद्द कर सकता है
- (ख) मैजिस्ट्रेट को भेजने से रोक सकता है
- (ग) आवश्यक निर्देश देकर रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर सकता है
- (घ) रिपोर्ट को वापस भेज सकता है

933. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176 के अंतर्गत जाँच शुरू करने से पूर्व पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट किसे भेजनी होती है?
- (क) गृहमंत्री को
 - (ख) पुलिस अधीक्षक को
 - (ग) मैजिस्ट्रेट को
 - (घ) अभियोजन अधिकारी को
934. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176 के अंतर्गत यदि जाँच स्थल पर जाना आवश्यक हो और थानाध्यक्ष स्वयं न जाए, तो वह किस रैंक के अधिकारी भेज सकता है?
- (क) किसी भी व्यक्ति को
 - (ख) केवल सब-इंस्पेक्टर को
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम रैंक के अधिकारी को
 - (घ) अदालत के आदेश से किसी भी कर्मचारी को
935. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता का ब्यान किस माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है?
- (क) कागज पर ही
 - (ख) केवल मौखिक
 - (ग) ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से

(घ) न्यायालय में बयान देकर

936. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 178 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निम्न में से क्या कर सकता है?

(क) सीधे ट्रायल शुरू कर सकता है

(ख) प्राथमिकी दर्ज कर सकता है

(ग) स्वयं या अधीनस्थ मैजिस्ट्रेट से प्रारंभिक जांच करवा सकता है

(घ) आरोपी को जमानत दे सकता है

937. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार मानसिक रूप से असमर्थ महिला की सूचना किसकी उपस्थिति में ली जानी चाहिए?

(क) दो गवाहों की उपस्थिति में

(ख) मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में

(ग) अनुवादक या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में

(घ) डॉक्टर की उपस्थिति में

938. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173(3) के अनुसार तीन वर्ष से अधिक लेकिन सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में प्राथमिक जांच की समय सीमा क्या है?

- (क) सात दिन
- (ख) दस दिन
- (ग) चौदह दिन
- (घ) इक्कीस दिन

939. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174(1) के अनुसार गैर-संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस क्या करती है?

- (क) गिरफ्तार करता है
- (ख) मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजता है
- (ग) आरोप पत्र तैयार करता है
- (घ) उच्च अधिकारी को सूचित करता है

940. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174(2) के अनुसार क्या बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के गैर-संज्ञेय अपराध की जांच की जा सकती है?

- (क) हाँ
- (ख) नहीं
- (ग) केवल राज्य अनुमति से
- (घ) केवल पीड़ित की अनुमति से

941. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174(4) के अनुसार यदि कोई मामला संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों का सम्मिलन है, तो उसे कैसे माना जाएगा?
- (क) केवल गैर-संज्ञेय
 - (ख) केवल संज्ञेय
 - (ग) राज्य के विवेक से
 - (घ) पुलिस के निर्णय से
942. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 175 के अनुसार संज्ञेय अपराध की जांच किस अधिकारी के आदेश के बिना की जा सकती है?
- (क) मैजिस्ट्रेट
 - (ख) मुख्य सचिव
 - (ग) पुलिस अधीक्षक
 - (घ) बिना किसी के आदेश के
943. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 175(4) के अनुसार यदि कोई शिकायत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ हो, तो जांच से पूर्व क्या आवश्यक है?
- (क) कर्मचारी का ब्यान लेना
 - (ख) मैजिस्ट्रेट की अनुमति

(ग) वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट और कर्मचारी के स्पष्टीकरण का मूल्यांकन

(घ) पुलिस अधीक्षक की मौखिक अनुमति

944. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(1) के अनुसार किस स्थिति में थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है?

(क) यदि आरोपी का नाम ज्ञात न हो

(ख) यदि मामला गंभीर हो

(ग) यदि मामला गंभीर न हो और आरोपी नामजद हो

(घ) यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दे

945. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(1) में किन मामलों में महिला पीड़िता का बयान मोबाइल फोन के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है?

(क) अपहरण के मामलों में

(ख) बलात्कार के मामलों में

(ग) हत्या के मामलों में

(घ) चोरी के मामलों में

946. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(2) के अनुसार यदि पुलिस थाना प्रभारी जांच नहीं करता है, तो उसे निम्न में से कौन-सी रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजनी होती है?
- (क) गिरफ्तारियों की सूची
 - (ख) दैनिक कार्यवृत्त
 - (ग) दैनिक समाचार रिपोर्ट
 - (घ) मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट
947. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 177 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को किसके माध्यम से भेजी जा सकती है यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है?
- (क) मुख्य सचिव
 - (ख) जिला कलेक्टर
 - (ग) उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी
 - (घ) न्यायालयिक क्लर्क
948. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 178 के अनुसार मैजिस्ट्रेट किसके आधार पर स्वयं जांच कर सकता है या अधीनस्थ मैजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकता है?
- (क) आरोपियों की याचिका पर
 - (ख) पुलिस की मौखिक सूचना पर
 - (ग) धारा 176 की रिपोर्ट प्राप्त होने पर

(घ) गवाहों के बयान पर

949. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 173(2) के अनुसार सूचना दर्ज करने के बाद उसकी प्रति किसे निःशुल्क प्रदान की जाती है?

- (क) थाना प्रभारी को
- (ख) अभियोजन अधिकारी को
- (ग) अभियुक्त को
- (घ) सूचक या पीड़ित को

950. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 174(3) में पुलिस किन अधिकारों का उपयोग कर सकती है जब उसे गैर-संज्ञेय मामले की जांच की अनुमति मिल जाती है?

- (क) बिना वारंट गिरफ्तारी
- (ख) संज्ञेय मामलों जैसे ही सभी जांच शक्तियाँ (गिरफ्तारी छोड़कर)
- (ग) केवल बयान लेना
- (घ) केवल दस्तावेज संग्रह

951. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 176(1) के अनुसार किस स्तर के अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए यदि थाना प्रभारी स्वयं न जाए?
- (क) किसी भी सिपाही
 - (ख) कांस्टेबल
 - (ग) राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम रैंक का अधिकारी
 - (घ) गवाहों में से कोई
952. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 179 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी अन्वेषण हेतु किस सीमा के भीतर के व्यक्ति जो तथ्यों से अवगत है को बुला सकता है?
- (क) केवल अपने थाना क्षेत्र में
 - (ख) पूरे राज्य में
 - (ग) अपने या किसी भी अन्य ज़िले में
 - (घ) अपने थाना क्षेत्र या आस-पास के थाना क्षेत्र में
953. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 179 के अनुसार, यदि कोई महिला पुलिस थाने में उपस्थित होना चाहती है, तो क्या उसे अनुमति दी जा सकती है?
- (क) नहीं, उसे अनिवार्य रूप से अपने घर पर ही बुलाया जाएगा
 - (ख) हाँ, यदि वह स्वयं उपस्थित होने की इच्छा जताए
 - (ग) केवल न्यायालय की अनुमति से

(घ) केवल महिला पुलिस की उपस्थिति में

954. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 180 के अनुसार, निम्न में से कौन-सा अधिकारी तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति से मौखिक पूछताछ कर सकता है?

(क) कोई भी पुलिसकर्मी

(ख) केवल मैजिस्ट्रेट

(ग) अन्वेषण कर रहा पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी

(घ) केवल मुख्य सचिव

955. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 180 के अनुसार, क्या कोई व्यक्ति अपने ऊपर आरोप बनने की संभावना वाले प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर सकता है?

(क) नहीं

(ख) केवल मैजिस्ट्रेट की अनुमति से

(ग) हाँ

(घ) केवल अधिवक्ता की उपस्थिति में

956. पुलिस अधिकारी द्वारा लिए गए ब्यान को लिखित रूप में सुरक्षित करते समय बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 180 के अंतर्गत क्या प्रावधान है?
- (क) केवल एक संयुक्त रिपोर्ट बनाई जाए
 - (ख) अलग-अलग और सत्य रिकॉर्ड बनाया जाए
 - (ग) केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग पर्याप्त है
 - (घ) केवल केस डायरी में उल्लेख आवश्यक है
957. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 180 के अनुसार, जब किसी महिला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की निर्धारित धाराओं के अंतर्गत अपराध हुआ हो, तो उसका ब्यान किसके द्वारा लिया जाना चाहिए?
- (क) थाना प्रभारी
 - (ख) कोई भी वरिष्ठ अधिकारी
 - (ग) महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी
 - (घ) सरकारी वकील
958. किसी महिला का धारा 180 के अंतर्गत ब्यान ऑडियो-विज़ुअल रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है, यह प्रावधान किस परिस्थिति में लागू होता है?
- (क) केवल तब जब महिला साक्ष्य देने से इंकार करे
 - (ख) जब पुलिस थाने में सुविधा हो

- (ग) जब ब्यान लिखित में न लिया जा सके
- (घ) जब पुलिस अधिकारी ब्यान को ऑडियो-विज़ुअल रूप में सुरक्षित रखना चाहे

959. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 181 के अनुसार, पुलिस जांच के दौरान दिए गए ब्यान को लिखित रूप में लिए जाने पर उस पर हस्ताक्षर करने का क्या नियम है?

- (क) उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाएगा
- (ख) ब्यान को वीडियो में रिकॉर्ड करना आवश्यक है
- (ग) ब्यान पर हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा
- (घ) अभियोजन अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे

960. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 181 में, अभियोजन पक्ष द्वारा बुलाए गए गवाह के पूर्व में दिए गए ब्यान का प्रयोग कब किया जा सकता है?

- (क) केवल न्यायालय की अनुमति से
- (ख) केवल आरोपी द्वारा
- (ग) आरोपी द्वारा या न्यायालय की अनुमति से अभियोजन द्वारा
- (घ) किसी भी पक्ष द्वारा बिना अनुमति के

961. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 181 के अनुसार, गवाह के पूर्व ब्यान का पुनः परीक्षण में प्रयोग कब किया जा सकता है?

(क) जब गवाह न्यायालय से सहमत हो

(ख) जब उस ब्यान का कोई भाग प्रतिपरीक्षण में प्रयोग किया गया हो

(ग) जब अभियोजन पक्ष कहे

(घ) जब पुलिस अनुमति दे

962. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 181 की व्याख्या के अनुसार, किस स्थिति में कथन में तथ्य का न होना 'विरोधाभास' माना जा सकता है?

(क) जब गवाह ने अपना ब्यान बदला हो

(ख) जब तथ्य स्पष्ट रूप से असंगत हो

(ग) जब तथ्य या परिस्थिति महत्वपूर्ण हो और संदर्भ में प्रासंगिक हो

(घ) जब अभियोजन पक्ष अनुरोध करे

963. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 182 के अनुसार, पुलिस अधिकारी किस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता?

(क) किसी भी कथन को रिकॉर्ड करना

(ख) व्यक्ति को सावधानी से समझाना

(ग) धमकी या प्रलोभन देना

(घ) आरोपी से पूछताछ करना

964. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 182 के अंतर्गत, क्या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को कथन देने से रोक सकता है?

(क) हाँ, यदि वह आरोपी हो

(ख) हाँ, यदि वह साक्ष्य नहीं देना चाहता

(ग) नहीं, यदि वह स्वतः बयान देना चाहता हो

(घ) नहीं, यदि अभियोजन पक्ष अनुमति न दे

965. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 182 के अनुसार, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से दिए गए कथन को पुलिस अधिकारी किस स्थिति में स्वीकार कर सकता है?

(क) यदि वह लिखित में हो

(ख) यदि वह न्यायिक हिरासत में हो

(ग) यदि वह बिना किसी दबाव या लालच के हो

(घ) यदि वह अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर हो

966. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 182 के संदर्भ में, "प्रलोभन" शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में प्रतिबंधित किया गया है?

- (क) जब आरोपी को आत्मसमर्पण करना हो
- (ख) जब साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हों
- (ग) जब पुलिस व्यक्ति को किसी कथन के लिए प्रेरित करे
- (घ) जब अभियुक्त दोष स्वीकार करता हो

967. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 182 के अनुसार, क्या धारा 183(4) के प्रावधान इस धारा को प्रभावित करते हैं?

- (क) नहीं, यह स्वतंत्र रूप से लागू होती है
- (ख) हाँ, वह इसकी व्याख्या को सीमित करता है
- (ग) नहीं, धारा 182 पर कोई प्रभाव नहीं होता
- (घ) हाँ, लेकिन केवल न्यायालय की अनुमति से

968. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(4) के अंतर्गत दर्ज की गई स्वीकारोक्ति किस प्रक्रिया के अनुसार दर्ज की जाती है?

- (क) अभियुक्त की प्राथमिक जांच के अनुरूप
- (ख) साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 के तहत
- (ग) धारा 316 में वर्णित अभियुक्त के परीक्षण के तरीके से
- (घ) पुलिस डायरी की सामान्य प्रविष्टियों की तरह

969. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(6)(a) के अनुसार, किसी विकलांग व्यक्ति के बयान को दर्ज करते समय किन माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है?

- (क) केवल कागज पर लिखकर
- (ख) सिर्फ वीडियो कैमरा द्वारा
- (ग) ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा
- (घ) केवल मैजिस्ट्रेट की मौखिक पुष्टि से

970. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(2) के अनुसार, यदि मैजिस्ट्रेट को यह विश्वास नहीं होता कि स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की जा रही है, तो वह क्या नहीं करेगा?

- (क) बयान दर्ज करेगा
- (ख) व्यक्ति को पुलिस को सौंप देगा
- (ग) बयान के लिए वकील की उपस्थिति अनिवार्य करेगा
- (घ) कोई आदेश पारित नहीं करेगा

971. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(6)(a) के अनुसार, किस स्थिति में मैजिस्ट्रेट को साक्षी का बयान दर्ज करना अनिवार्य होता है?

- (क) जब अपराध केवल 3 साल की सजा वाला हो
- (ख) जब पीड़ित पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता
- (ग) जब अपराध महिला के विरुद्ध हो और सजा का प्रावधान 10

वर्ष या उससे अधिक की सजा वाला हो

(घ) जब अभियुक्त महिला हो

972. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(4) के अनुसार, मैजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई संस्वीकृति में निम्न में से क्या अवश्य लिखा जाना चाहिए?

(क) अभियुक्त की उम्र

(ख) मैजिस्ट्रेट का पदनाम

(ग) यह कि ब्यान स्वेच्छा से दिया गया

(घ) जांच अधिकारी का नाम

973. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(5) के अनुसार, मैजिस्ट्रेट को किस स्थिति में शपथ ग्रहण कराने की अनुमति होती है?

(क) केवल अपराध स्वीकार करते समय

(ख) जब आरोपी वकील के साथ हो

(ग) जब गैर-स्वीकारोक्ति ब्यान दर्ज किया जा रहा हो

(घ) जब पीड़ित नाबालिग हो

974. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(6)(b) के अनुसार, विकलांग व्यक्ति द्वारा दिया गया ब्यान किस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है?
- (क) पुनः परीक्षण की आवश्यकता के बिना मुख्य परीक्षण के स्थान पर
 - (ख) केवल पुलिस डायरी में उल्लेख हेतु
 - (ग) मैजिस्ट्रेट के लिए संदर्भ हेतु
 - (घ) सुनवाई की तारीख तय करने हेतु
975. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 183(6)(a) के अनुसार, महिला पीड़िता के ब्यान को जहां तक सम्भव हो किसके द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए?
- (क) पुलिस निरीक्षक द्वारा
 - (ख) महिला मैजिस्ट्रेट द्वारा
 - (ग) महिला सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा
 - (घ) न्यायिक सचिव द्वारा
976. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 184 के अनुसार, जब किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ हो या उसका प्रयास हुआ हो, तो चिकित्सकीय परीक्षण कब तक कराया जाना चाहिए?
- (क) 12 घंटे के भीतर
 - (ख) घटना के तुरंत बाद

- (ग) सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर
- (घ) मैजिस्ट्रेट की अनुमति के पश्चात

977. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 184 के अनुसार, महिला के शरीर से ली गई सामग्री का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है?

- (क) मानसिक स्थिति के विश्लेषण के लिए
- (ख) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए
- (ग) चिकित्सीय उपचार हेतु
- (घ) केवल पुलिस रिपोर्ट में उल्लेख हेतु

978. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 184 के अंतर्गत रिपोर्ट में किसका उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए?

- (क) जांच अधिकारी का नाम
- (ख) महिला की सहमति प्राप्ति का रिकॉर्ड
- (ग) चिकित्सक का पंजीकरण क्रमांक
- (घ) अभियुक्त का नाम

979. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 184 के अनुसार, चिकित्सक को परीक्षा रिपोर्ट को पुलिस अधिकारी को कितने समय में भेजना अनिवार्य है?
- (क) तीन दिन
 - (ख) सात दिन
 - (ग) दस दिन
 - (घ) बाईस दिन
980. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 185 के अनुसार, जब पुलिस अधिकारी को किसी स्थान पर आवश्यक वस्तु की उपस्थिति का संदेह हो, तो वह क्या करेगा?
- (क) तुरंत तलाशी लेगा
 - (ख) प्राथमिकी दर्ज करेगा
 - (ग) मामले की डायरी में विश्वास के आधार को लिपिबद्ध करेगा
 - (घ) मैजिस्ट्रेट की अनुमति लेगा
981. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 185 के अनुसार, तलाशी की प्रक्रिया किस तकनीकी माध्यम से रिकॉर्ड की जा सकती है?
- (क) टेलीफोन रिकॉर्डिंग
 - (ख) मोबाइल कैमरा द्वारा ऑडियो-विजुअल माध्यम से
 - (ग) टाइपराइटर

(घ) केवल हस्तलिखित रिपोर्ट

982. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 185 के अनुसार, यदि अधिकारी स्वयं तलाशी नहीं कर सकता, तो वह क्या करेगा?

(क) तलाशी स्थगित कर देगा

(ख) मैजिस्ट्रेट को सूचित करेगा

(ग) अधीनस्थ अधिकारी को लिखित आदेश देकर तलाशी कराएगा

(घ) पीड़ित से स्वीकृति प्राप्त करेगा

983. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 185 के अनुसार, तलाशी के संबंध में तैयार की गई प्रतिलिपियाँ किसे भेजी जानी चाहिए?

(क) राज्य सरकार को

(ख) पीड़िता को

(ग) निकटतम मैजिस्ट्रेट को

(घ) अभियुक्त के अधिवक्ता को

984. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 185 के अनुसार, तलाशी की प्रतिलिपि के लिए मकान मालिक क्या कर सकता है?

(क) मैजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है और निःशुल्क प्रति प्राप्त कर सकता है

- (ख) पुलिस स्टेशन से प्रति खरीद सकता है
- (ग) अधिवक्ता के माध्यम से अनुरोध कर सकता है
- (घ) उसे कोई अधिकार नहीं है

985. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187 के अनुसार, जब अन्वेषण पूरा न हो और आरोपी की हिरासत अवधि 90 दिन पूरी हो जाए और वह जमानत देने को तैयार हो, तब उसे:

- (क) फिर से मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा
- (ख) न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा
- (ग) बिना शर्त रिहा किया जाएगा
- (घ) जमानत पर रिहा किया जाएगा

986. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187 के अंतर्गत, यदि कोई अभियुक्त महिला है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसकी हिरासत कहाँ दी जानी चाहिए?

- (क) जिला जेल में
- (ख) पुलिस स्टेशन में
- (ग) बालिका सुधार गृह या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था में
- (घ) न्यायिक अधिकारी के घर पर

987. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187(9)के अनुसार, समन मामलों का अन्वेषण 6 माह में पूर्ण नहीं होने पर मैजिस्ट्रेट को क्या करना होता है?

- (क) जमानत देने का आदेश
- (ख) विवेचना रोकने का आदेश
- (ग) आरोपी को छोड़ने का आदेश
- (घ) नए मैजिस्ट्रेट को भेजने का आदेश

988. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187 के अनुसार, एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों की हिरासत का आदेश दे सकता है?

- (क) 3 दिन
- (ख) 5 दिन
- (ग) 7 दिन
- (घ) 10 दिन

989. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के अनुसार, जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है, तो वह अन्वेषण रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?

- (क) जिला मैजिस्ट्रेट
- (ख) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट

(ग) थाना प्रभारी

(घ) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

990. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के अनुसार, अन्वेषण के उपरांत रिपोर्ट किस उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है?

(क) अभियुक्त को रिहा करने हेतु

(ख) आगे की विवेचना के लिए

(ग) थाना प्रभारी को अन्वेषण का परिणाम सूचित करने हेतु

(घ) अभियोजन प्रारंभ करने हेतु

991. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के तहत रिपोर्ट में किसका उल्लेख अनिवार्य होता है?

(क) आरोपी की जाति

(ख) अन्वेषण की तारीख

(ग) अन्वेषण का संक्षिप्त परिणाम

(घ) पीड़ित का आय विवरण

992. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के अनुसार, अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट की वैधता की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है?

(क) उप निरीक्षक

(ख) थानाध्यक्ष

- (ग) कार्यपालक मैजिस्ट्रेट
- (घ) वरिष्ठ निरीक्षक

993. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के अनुसार, यदि रिपोर्ट में विसंगति पाई जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

- (क) मैजिस्ट्रेट की
- (ख) थाना प्रभारी की
- (ग) अधीनस्थ अधिकारी की
- (घ) अभियोजन अधिकारी की

994. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 के अनुसार, यदि अन्वेषण में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले तो पुलिस अधिकारी को क्या करना होता है?

- (क) आरोपी को न्यायालय भेजना
- (ख) आरोपी को जेल भेजना
- (ग) आरोपी को ज़मानत पर छोड़ना
- (घ) आरोपी को न्यायिक हिरासत में देना

995. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 के अनुसार, अन्वेषण के दौरान अपर्याप्त संदेह की स्थिति में व्यक्ति को रिहा करने पर क्या शर्त होती है?

- (क) आरोपी को माफीनामा देना होगा
- (ख) आरोपी को जमानती बांड देना होगा
- (ग) आरोपी को FIR वापस लेनी होगी
- (घ) आरोपी को पुलिस स्टेशन में रहना होगा

996. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 के अनुसार, किसी आरोपी को रिहा करते समय किस प्रकार के बांड की अनुमति दी जा सकती है?

- (क) केवल जमानती
- (ख) केवल निजी
- (ग) जमानती या निजी बांड
- (घ) कोई बांड नहीं

997. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 के अनुसार, आरोपी को किन परिस्थितियों में मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बाध्य किया जा सकता है?

- (क) जब मैजिस्ट्रेट चाहें
- (ख) जब भी आरोपी की आवश्यकता हो
- (ग) जब विवेचना पूरी हो जाए
- (घ) जब मैजिस्ट्रेट द्वारा विशेष अनुमति दी जाए

998. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187 के अनुसार, यदि कोई मैजिस्ट्रेट आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश देता है, तो उसे क्या करना आवश्यक है?
- (क) उसकी जमानत की सिफारिश भेजना
 - (ख) आदेश के साथ कारणों को दर्ज करना
 - (ग) आरोपी से माफीनामा लेना
 - (घ) आरोपी को उसके अधिवक्ता से मिलने की अनुमति देना
999. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187 के अनुसार, यदि कोई मैजिस्ट्रेट पुलिस हिरासत का आदेश देता है और वह मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट नहीं है, तो उसे क्या करना होगा?
- (क) आदेश को न्यायालय की वेबसाइट पर डालना
 - (ख) आदेश की प्रतिलिपि जिला मैजिस्ट्रेट को भेजना
 - (ग) आदेश की प्रतिलिपि कारण सहित मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट को भेजना
 - (घ) आदेश की सूचना पुलिस अधीक्षक को देना
1000. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187 के अन्तर्गत यदि यह विवाद हो कि आरोपी को मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया या नहीं, तो इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है?

- (क) आरोपी के हस्ताक्षर से
- (ख) अभियोजन के साक्ष्य से
- (ग) पुलिस रिपोर्ट से
- (घ) जांच अधिकारी के बयानों से

1001. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187 के अंतर्गत, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिमाण्ड के आदेश जारी करने से पूर्व क्या करना आवश्यक है?

- (क) पीड़ित से पूछताछ
- (ख) आरोपी की सहमति लेना
- (ग) कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना
- (घ) पुलिस से स्वीकृति लेना

1002. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 187 के अनुसार, सत्र न्यायाधीश अन्वेषण को जारी रखने का निर्देश निम्न में से किस स्थिति में दे सकता है?

- (क) जब मैजिस्ट्रेट ने विवेचना रोक दी हो और विशेष कारण प्रस्तुत किए जाएं
- (ख) जब आरोपी को दोषमुक्त किया गया हो
- (ग) जब मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अधूरी हो

(घ) जब पीड़ित ने निवेदन किया हो

1003. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के अनुसार, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट में किसका विशेष उल्लेख अनिवार्य है?

- (क) अभियुक्त का संपत्ति विवरण
- (ख) जांच का संक्षिप्त परिणाम
- (ग) पीड़ित की जाति
- (घ) मीडिया रिपोर्ट

1004. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के अनुसार, रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या होता है?

- (क) उच्च पुलिस अधिकारियों को सतर्क करना
- (ख) मामले की स्थिति से थानाध्यक्ष को अवगत कराना
- (ग) मीडिया में जानकारी देना
- (घ) अभियुक्त को रिहा करना

1005. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 188 के अंतर्गत, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की विधि क्या होनी चाहिए?

- (क) मौखिक सूचना
- (ख) टेलीफोन द्वारा
- (ग) लिखित रूप में
- (घ) सोशल मीडिया के माध्यम से

1006. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 के अनुसार, आरोपी को बांड पर रिहा करने के बाद वह किसके समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य होता है?

- (क) जिला कलेक्टर
- (ख) मैजिस्ट्रेट जो पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है
- (ग) उच्च न्यायालय
- (घ) थानाध्यक्ष

1007. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 के अंतर्गत, यदि व्यक्ति रिहा कर दिया गया हो, फिर भी उसे किस स्थिति में बुलाया जा सकता है?

- (क) जब मामला मीडिया में आ जाए
- (ख) जब मैजिस्ट्रेट आवश्यकता समझे
- (ग) जब पुलिस को आदेश मिले
- (घ) जब कोई गवाह उसे पहचाने

1008. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 के अनुसार, बांड की शर्तें कौन निर्धारित करता है?
- (क) मैजिस्ट्रेट
 - (ख) पुलिस अधीक्षक
 - (ग) पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा हो
 - (घ) अभियोजन अधिकारी
1009. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 189 के अनुसार, पुलिस अधिकारी निम्न में से किस परिस्थिति में आरोपी को हिरासत से रिहा कर सकता है?
- (क) जब उसे मीडिया से दबाव हो
 - (ख) जब पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का अभाव हो
 - (ग) जब न्यायालय आदेश दे
 - (घ) जब पीड़ित क्षमा कर दे
1010. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 190 के अनुसार, यदि आरोपी पुलिस हिरासत में नहीं है और अपराध जमानती है, तो थाना प्रभारी को क्या करना चाहिए?
- (क) आरोपी को तत्काल हिरासत में भेजना
 - (ख) आरोपी को बिना किसी प्रक्रिया के रिहा करना

(ग) आरोपी से न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति लेगा

(घ) आरोपी को केवल चेतावनी देकर छोड़ देना

1011. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 190 के अंतर्गत, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है?

(क) आरोपी को दोषमुक्त कर सकता है

(ख) शिकायतकर्ता को दंडित कर सकता है

(ग) बांड की शर्तों के अनुसार कार्रवाई कर सकता है

(घ) कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं

1012. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 190 के अनुसार, आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधिकारी किस प्रक्रिया का पालन करता है?

(क) आरोपी को सीधे न्यायालय में प्रस्तुत करता है

(ख) आरोपी से लिखित प्रतिज्ञा पत्र भरवाता है

(ग) आरोपी से बांड या जमानती बांड भरवाता है

(घ) आरोपी को अन्य अभियुक्तों के साथ हिरासत में रखता है

1013. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 191 के अनुसार, पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता को न्यायालय ले जाते समय किन बातों का पालन करेगा?

- (क) उसे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त रखेगा
- (ख) उससे सुरक्षा की मांग करेगा
- (ग) उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाएगा
- (घ) उसका फोटोग्राफ खींचेगा

1014. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 191 के अनुसार, गवाह की उपस्थिति के लिए पुलिस द्वारा किस प्रकार की सुरक्षा ली जाती है?

- (क) जमानती बांड
- (ख) केवल उसका व्यक्तिगत बांड
- (ग) मौखिक प्रतिज्ञा
- (घ) न्यायालयीन अनुमति

1015. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 191 के अनुसार, क्या शिकायतकर्ता को पुलिस अधिकारी के साथ चलने के लिए बाध्य किया जा सकता है?

- (क) हाँ, हमेशा
- (ख) नहीं, केवल आवश्यकता होने पर
- (ग) हाँ, यदि मैजिस्ट्रेट आदेश दे

(घ) नहीं, कभी नहीं

1016. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 192 के अनुसार, केस डायरी में निम्न में से कौन-सी सूचना अनिवार्य रूप से दर्ज की जानी चाहिए?

(क) अभियुक्त का धर्म

(ख) पुलिस को सूचना प्राप्त होने का समय

(ग) आरोपी की शैक्षिक योग्यता

(घ) न्यायालय में अगली सुनवाई की तिथि

1017. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 192 के अनुसार, न्यायालय केस डायरी को किस उद्देश्य से प्रयोग कर सकता है?

(क) अभियोजन के विरुद्ध साक्ष्य हेतु

(ख) जाँच में सहायता के लिए

(ग) अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाने हेतु

(घ) गवाहों को प्रभावित करने हेतु

1018. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 192 के अंतर्गत, अभियुक्त को केस डायरी की प्रतियाँ कब मिल सकती हैं?

- (क) जब न्यायालय उनका उल्लेख करे
- (ख) कभी नहीं
- (ग) जब मैजिस्ट्रेट अनुमति दे
- (घ) जब अभियोजन अनुमति दे

1019. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 192 के अनुसार, गवाहों के बयान केस डायरी में कैसे दर्ज किए जाते हैं?

- (क) अलग दस्तावेज में
- (ख) केस डायरी के भीतर सम्मिलित करके
- (ग) अभियोजन रिपोर्ट में जोड़कर
- (घ) न्यायालय में दर्ज कराके

1020. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 192 के अनुसार, क्या न्यायालय केस डायरी का उपयोग अभियोजन पक्ष के विरोध में कर सकता है?

- (क) हाँ, स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में
- (ख) नहीं,
- (ग) हाँ, यदि आरोपी मांग करे
- (घ) नहीं, यह पूरी तरह गोपनीय है

1021. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(2) के अनुसार, निम्न में से कौन-से अपराधों की जाँच दो महीने की समय-सीमा में पूरी की जानी चाहिए?
- (क) केवल आर्थिक अपराध
 - (ख) केवल संपत्ति से संबंधित अपराध
 - (ग) भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से 71 तथा POCSO अधिनियम की धारा 4, 6, 8 या 10 के अंतर्गत अपराध
 - (घ) केवल सार्वजनिक दंगा संबंधी अपराध
1022. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(3)(d) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट में कौन-सी जानकारी अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए?
- (क) अभियुक्त की वैवाहिक स्थिति
 - (ख) अपराध किया गया या नहीं और यदि हाँ, तो किसके द्वारा
 - (ग) पीड़िता की सामाजिक पृष्ठभूमि
 - (घ) अभियोजन पक्ष की राय
1023. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 193(7) के अनुसार, अभियुक्त को दिए जाने वाले साक्ष्य की प्रतियों से किसी भाग को हटाने के लिए पुलिस अधिकारी को क्या करना होता है?

- (क) मैजिस्ट्रेट से मौखिक अनुमति लेना
- (ख) आरोपी को नोटिस देना
- (ग) मैजिस्ट्रेट को लिखित अनुरोध देना जिसमें कारण स्पष्ट हों
- (घ) अभियोजन अधिकारी से चर्चा करना

1024. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194(1) के अनुसार, जब कोई व्यक्ति संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाया जाता है, तो पुलिस अधिकारी को क्या करना अनिवार्य है?

- (क) शव को अस्पताल भेजना
- (ख) परिवार को सूचित करना
- (ग) निकटतम कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को सूचना देना और शव की जांच करना
- (घ) सीधे अभियुक्त को गिरफ्तार करना

1025. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194(3)(ii) के अनुसार, विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी महिला की मृत्यु की स्थिति में, पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए?

- (क) शव को जलवा देना
- (ख) मैजिस्ट्रेट से अनुमति लिए बिना मामला बंद कर देना
- (ग) शव को निकटतम सिविल सर्जन के पास परीक्षण हेतु भेजना

(घ) केवल परिवार से बयान लेना

1026. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 194(4) के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन मैजिस्ट्रेटमृत्यु समीक्षा की जाँच करने के लिए अधिकृत होता है?

(क) कोई भी पुलिस अधिकारी

(ख) केवल न्यायिक मैजिस्ट्रेट

(ग) जिला या उप-मण्डलीय मैजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कार्यपालक मैजिस्ट्रेट

(घ) स्थानीय नगर परिषद अधिकारी

1027. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195(1) के अनुसार, पुलिस अधिकारी किसे समन जारी कर सकता है?

(क) किसी भी सरकारी कर्मचारी को

(ख) केवल आरोपी को

(ग) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित हो

(घ) केवल मैजिस्ट्रेट के आदेश से

1028. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 195(2) के अनुसार, यदि अपराध गैर-संज्ञेय है, तो क्या पुलिस किसी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने हेतु बाध्य कर सकती है?
- (क) हाँ, यदि साक्ष्य पर्याप्त हो
 - (ख) नहीं, ऐसी स्थिति में पुलिस बाध्य नहीं कर सकती
 - (ग) केवल पीड़िता को
 - (घ) अभियुक्त को नहीं, परंतु गवाहों को कर सकती है
1029. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196के अनुसार, किन मामलों में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच अनिवार्य होती है?
- (क) किसी भी महिला की स्वाभाविक मृत्यु
 - (ख) किसी पुरुष की आत्महत्या
 - (ग) पुलिस अभिरक्षा में महिला के साथ बलात्संग
 - (घ) संपत्ति विवाद से संबंधित मृत्यु
1030. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(2) के अनुसार, मैजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से जांच कब करनी चाहिए?
- (क) जब महिला किसी अन्य अपराध में गवाह हो
 - (ख) जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में मर जाता है
 - (ग) जब आरोपी मैजिस्ट्रेट की हिरासत में हो

(घ) जब अपराध गैर-संज्ञेय हो

1031. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(4) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के शव को दफनाया जा चुका है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि शव परीक्षण आवश्यक है, तो वह क्या कर सकता है?

(क) मृतक के परिजनों की अनुमति से शव को जलवा सकता है

(ख) शव को कब्र से नहीं निकाल सकता है

(ग) शव को कब्र से निकलवाकर परीक्षण करवा सकता है

(घ) सीधे अभियोजन अधिकारी को भेज सकता है

1032. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(5) के अनुसार, मैजिस्ट्रेट को कब मृतक के परिजनों को सूचित करना चाहिए?

(क) जांच समाप्त होने के बाद

(ख) जब अपराध साबित हो जाए

(ग) जहां संभव हो, जांच से पूर्व ही

(घ) जब शव परीक्षण की आवश्यकता न हो

1033. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196(6) के अनुसार, हिरासत में मृत्यु होने पर शव परीक्षण के लिए शव किसके पास भेजा जाता है?

- (क) राज्य सरकार के सचिव के पास
- (ख) निकटतम कार्यपालक मैजिस्ट्रेट के पास
- (ग) निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त योग्य चिकित्सा अधिकारी के पास
- (घ) न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पास

1034. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 196 की व्याख्या के अनुसार, "रिश्तेदार" में कौन सम्मिलित होता है?

- (क) केवल पति या पत्नी
- (ख) माता-पिता, बच्चे, भाई, बहन और जीवनसाथी
- (ग) केवल माता-पिता
- (घ) चाचा, मौसी, फुफा

1035. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो—

- (क) उसे एक ही अपराध के लिए फिर से दंडित किया जा सकता है
- (ख) उसी अपराध के लिए पुनः विचारण संभव है
- (ग) उस अपराध के लिए पुनः मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि दोषसिद्धि प्रभाव में हो

(घ) वह दूसरे राज्य में फिर से आरोपी बनाया जा सकता है

1036. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337(2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को पूर्व परीक्षण में भिन्न आरोप लगाए बिना किस शर्त पर पुनः अभियोजित किया जा सकता है?

(क) उच्च न्यायालय की अनुमति से

(ख) पीड़ित की सहमति से

(ग) राज्य सरकार की सहमति से

(घ) साक्ष्य अधिनियम की शर्तों पर

1037. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337 के अनुसार, एक व्यक्ति पर ऐसे अपराध के लिए पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है—

(क) जो पहले मुकदमे में भी शामिल था

(ख) यदि उस अपराध के घटक प्रभाव पहले ज्ञात नहीं थे

(ग) यदि पुलिस जांच लंबी हो गई

(घ) यदि अभियुक्त नाबालिग हो

1038. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337(4) के तहत, यदि प्रथम परीक्षण करने वाला न्यायालय किसी विशेष अपराध की सुनवाई हेतु सक्षम नहीं था, तो—

- (क) अभियुक्त को बरी किया जाता है
- (ख) मामला बंद हो जाता है
- (ग) अभियुक्त को अन्य अपराध के लिए अभियोजित किया जा सकता है
- (घ) अपराध को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा

1039. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337 की व्याख्या के अनुसार, शिकायत का खारिज होना या अभियुक्त का मुक्त किया जाना किसका उदाहरण नहीं है?

- (क) दोषमुक्ति
- (ख) पुनरावृत्ति
- (ग) गिरफ्तारी
- (घ) दोषसिद्धि

1040. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337 के अनुसार यदि अभियुक्त को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के अपराध में दोषी ठहराया गया हो और बाद में पीड़ित की मृत्यु हो जाए, तो—

- (क) उसे किसी अन्य अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जा सकता
- (ख) उस पर केवल वही आरोप लग सकता है जो पूर्व में लगाया गया था

- (ग) वह मानव वध के लिए पुनः अभियोजित किया जा सकता है
- (घ) पहले के निर्णय को अंतिम माना जाएगा

1041. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 337 के संदर्भ में, यदि एक व्यक्ति पर साधारण चोरी का आरोप लगाकर दोषी ठहराया गया हो, और बाद में वही तथ्य डकैती को प्रमाणित करते हों, तो—

- (क) उसे पुनः मुकदमा नहीं चलाया जा सकता
- (ख) उसे डकैती के लिए फिर से अभियोजित किया जा सकता है
- (ग) केवल उच्च न्यायालय ही पुनः सुनवाई कर सकता है
- (घ) उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए

1042. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(1) के अनुसार, माफी की पेशकश किस उद्देश्य से की जाती है?

- (क) अपराधी को दंड देने के लिए
- (ख) साक्ष्य प्राप्त करने हेतु
- (ग) पुलिस को राहत देने के लिए
- (घ) अभियोजन को समाप्त करने हेतु

1043. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(2) के अंतर्गत माफी की पेशकश किन अपराधों पर लागू होती है?

- (क) केवल चोरी जैसे अपराधों पर
- (ख) केवल अपराध जिनमें 3 वर्ष तक की सजा हो
- (ग) वे अपराध जो विशेष न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हों
- (घ) सामान्य दंडनीय अपराधों पर

1044. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(3) के अनुसार, माफी की पेशकश करने वाला मैजिस्ट्रेट किन बातों का अभिलेख रखता है?

- (क) केवल आरोपी का ब्यान
- (ख) केवल अपराध का विवरण
- (ग) कारण तथा माफी स्वीकार की गई या नहीं
- (घ) न्यायालय की भूमिका

1045. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(4) के अनुसार माफी स्वीकार करने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होगी?

- (क) उसे तुरंत रिहा किया जाएगा
- (ख) केवल अभियोजन पक्ष का साक्ष्य माना जाएगा
- (ग) उसे तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक मुकदमा समाप्त न हो

(घ) वह पुनः अपराधी माना जाएगा

1046. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(5) के अनुसार, जब माफी दी गई हो और गवाह का परीक्षण हो चुका हो, तब मैजिस्ट्रेट किसे मामला सौंपेगा यदि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो?

(क) उच्च न्यायालय

(ख) जिला मैजिस्ट्रेट

(ग) विशेष न्यायालय

(घ) सत्र न्यायालय

1047. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(1) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट कब माफी की पेशकश कर सकते हैं?

(क) केवल सजा के बाद

(ख) किसी भी चरण में जब मुकदमे की सुनवाई समाप्त हो चुकी हो

(ग) जाँच या विचारण के किसी भी चरण में

(घ) केवल तब जब अभियुक्त दोषी ठहरा हो

1048. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(2)(b) के अनुसार किन अपराधों में माफी की पेशकश की जा सकती है?

- (क) केवल चोरी
- (ख) जिनमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है
- (ग) दो वर्ष से कम की सजा वाले अपराध
- (घ) केवल सार्वजनिक अपराध

1049. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 के अनुसार यदि अभियुक्त माफी स्वीकार कर लेता है और उसका परीक्षण हो चुका होता है, तो किस स्थिति में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट मुकदमा स्वयं चला सकता है?

- (क) जब अभियुक्त दोषमुक्त हो
- (ख) जब अपराध असंज्ञेय हो
- (ग) जब अपराध सामान्य हो
- (घ) जब अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय न हो

1050. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 344 के अंतर्गत माफी की पेशकश किस समय की जा सकती है?

- (क) केवल जांच के समय
- (ख) आरोप तय होने के बाद
- (ग) समर्पण के बाद
- (घ) आरोप पत्र दाखिल होने के बाद और निर्णय से पूर्व

1051. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 344 के अनुसार, माफी किस शर्त पर दी जाती है?

- (क) जब अभियुक्त सभी आरोपों से इन्कार करे
- (ख) जब अभियुक्त सच्चा और पूर्ण विवरण दे
- (ग) जब अभियुक्त दोष कबूल न करे
- (घ) जब मैजिस्ट्रेट साक्ष्य लेने से इंकार करे

1052. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(1) के अंतर्गत माफी की शर्त क्या है?

- (क) अभियुक्त को दोषी मानना
- (ख) अभियुक्त द्वारा न्यायालय में क्षमा मांगना
- (ग) अभियुक्त द्वारा पूरे घटनाक्रम का पूर्ण और सच्चा विवरण देना
- (घ) अभियुक्त को पुलिस हिरासत में भेजना

1053. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(5)(b) के अनुसार, जब अपराध किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय न हो, तो मैजिस्ट्रेट मामला किसे सौंपता है?

- (क) सत्र न्यायालय
- (ख) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट
- (ग) जिला मैजिस्ट्रेट

(घ) कार्यपालक मैजिस्ट्रेट

1054. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(3) के अनुसार, माफी की पेशकश का अभिलेख किसे निःशुल्क प्रदान किया जाता है?

(क) अभियोजन अधिकारी

(ख) पुलिस अधिकारी

(ग) अभियुक्त

(घ) गवाह

1055. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(4)(a) के अनुसार, माफी स्वीकार करने वाले को किस न्यायालय में गवाह के रूप में पेश किया जाता है?

(क) केवल सत्र न्यायालय

(ख) केवल मैजिस्ट्रेट न्यायालय

(ग) मैजिस्ट्रेट तथा आगे के विचारण न्यायालय दोनों में

(घ) केवल विशेष न्यायालय

1056. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(5)(a)(ii) के अनुसार, यदि अपराध किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, तो माफी स्वीकार करने के बाद मामला किसे सौंपा जाएगा?

- (क) मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट
- (ख) उच्च न्यायालय
- (ग) विशेष न्यायालय
- (घ) प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट

1057. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 के अंतर्गत माफी की पेशकश किस उद्देश्य से की जाती है?

- (क) आरोपी को सज़ा से मुक्त करने के लिए
- (ख) पुलिस की सुविधा हेतु
- (ग) मुकदमे के खर्च को घटाने के लिए
- (घ) अपराध से संबंधित पूर्ण तथ्यों को उजागर करने हेतु

1058. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343 के अंतर्गत माफी स्वीकार करने वाला व्यक्ति यदि पहले से जमानत पर नहीं है, तो क्या प्रावधान है?

- (क) उसे घर भेज दिया जाएगा
- (ख) उसे नजरबंद रखा जाएगा
- (ग) उसे हिरासत में रखा जाएगा जब तक मुकदमा समाप्त न हो
- (घ) उसे कोर्ट में प्रतिदिन पेश होना होगा

1059. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(2)(a) के अनुसार, माफी की पेशकश किस प्रकार के न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों में की जा सकती है?
- (क) केवल मैजिस्ट्रेट न्यायालय
 - (ख) केवल लोक अदालत
 - (ग) सत्र न्यायालय या विशेष न्यायालय
 - (घ) सिविल न्यायालय
1060. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 343(5) के अनुसार यदि अभियुक्त माफी स्वीकार कर लेता है और गवाही दे चुका है, तो मैजिस्ट्रेट को क्या करना होता है?
- (क) आरोपी को रिहा करना
 - (ख) मामले को पुनः जांच में भेजना
 - (ग) मामला संबंधित न्यायालय को भेजना
 - (घ) अभियुक्त को दोषी ठहराना
1061. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 344 के अनुसार, माफी की पेशकश कब तक की जा सकती है?
- (क) आरोप पत्र दाखिल होने के बाद और निर्णय आने से पहले
 - (ख) अपराध सिद्ध होने के बाद
 - (ग) अपील प्रक्रिया के दौरान

(घ) पुनर्विचार याचिका के समय

1062. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(1) के अनुसार विवाहित महिला को आपराधिक उद्देश्य से बहलाने या ले जाने वाले अपराध का शमन (कंपाउंड) कौन व्यक्ति कर सकता है?

- (क) महिला का पिता
- (ख) महिला का भाई
- (ग) महिला और उसका पति
- (घ) संबंधित मैजिस्ट्रेट

1063. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(2) के अनुसार आपराधिक विश्वासघात करने वाले सेवक के विरुद्ध अपराध का शमन (कंपाउंड) कौन व्यक्ति कर सकता है?

- (क) सेवा प्रदाता संस्था
- (ख) मैजिस्ट्रेट
- (ग) सरकारी वकील
- (घ) संपत्ति का मालिक

1064. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(2) के अंतर्गत, पुनर्विवाह करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अपराध का शमन (कंपाउंड) किसकी अनुमति से किया जा सकता है?

- (क) अदालत की अनुमति से
- (ख) गाँव पंचायत की सहमति से
- (ग) स्वयं संज्ञेय अधिकारी की स्वीकृति से
- (घ) पुलिस अधीक्षक की अनुमति से

1065. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359 के अनुसार, 'गलत इरादे से किसी महिला की लज्जा का अपमान करने' के अपराध अपराध का शमन (कंपाउंड) कौन व्यक्ति कर सकता है?

- (क) महिला के अभिभावक
- (ख) संबंधित महिला
- (ग) पुलिस निरीक्षक
- (घ) मैजिस्ट्रेट

1066. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359 के अनुसार, 'धोखाधड़ी द्वारा संपत्ति प्राप्त करने' का अपराध का शमन (कंपाउंड) कौन व्यक्ति कर सकता है?

- (क) बैंक
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) मैजिस्ट्रेट
- (घ) जिसे धोखा दिया गया हो

1067. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359 के अनुसार, अगर अभियुक्त के खिलाफ पहले से कोई दोष सिद्धि हो, तो क्या अपराध का शमन (कंपाउंड) हो सकता है?
- (क) कंपाउंड हो सकता है
 - (ख) शमन पर पाबंदी नहीं
 - (ग) केवल अपीलीय अदालत की अनुमति से
 - (घ) शमन(कंपाउंड)नहीं किया जा सकता
1068. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359 के अनुसार, अपराध के शमन(कंपाउंड) होने पर अभियुक्त को क्या परिणाम भुगतना होता है?
- (क) पुनः गिरफ्तारी
 - (ख) कठोर कारावास
 - (ग) अभियुक्त को दोषमुक्त समझा जाता है
 - (घ) केवल चेतावनी
1069. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 359(5) के अनुसार, जब अपराधी को मुकदमे के लिए भेजा गया हो या दोषसिद्ध हो और अपील लंबित हो, तो सुलह (कंपाउंड) के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है?

- (क) पुलिस अधिकारी
- (ख) राज्यपाल
- (ग) संबंधित अदालत
- (घ) अभियोजन अधिकारी

1070. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, अभियुक्त से अभियोजन को हटाने के लिए अभियोजक को किसकी अनुमति लेनी होती है?

- (क) पुलिस अधीक्षक की
- (ख) न्यायालय की
- (ग) पीड़ित की
- (घ) राज्य सरकार की

1071. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार यदि अभियोजन से हटने की प्रक्रिया आरोप तय होने से पहले की जाती है, तो परिणाम क्या होगा?

- (क) अभियुक्त को दोषी ठहराया जाएगा
- (ख) अभियुक्त को बरी किया जाएगा
- (ग) अभियुक्त को आरोपित किया जाएगा
- (घ) अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जाएगा

1072. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार यदि अभियोजन से हटना आरोप तय होने के बाद होता है, तो क्या होगा?

- (क) अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार किया जाएगा
- (ख) अभियुक्त को बरी किया जाएगा
- (ग) अभियुक्त को दंडित किया जाएगा
- (घ) अभियुक्त को ट्रायल से मुक्त नहीं किया जाएगा

1073. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, न्यायालय अभियोजन से हटने की अनुमति कब नहीं दे सकता?

- (क) जब पीड़ित को सुनवाई का अवसर न मिला हो
- (ख) जब अपराध राज्य सरकार से संबंधित हो
- (ग) जब अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित हो
- (घ) जब जांच लंबित हो

1074. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, क्या सार्वजनिक अभियोजक बिना किसी अनुमति के किसी केंद्र सरकार संबंधी अपराध में अभियोजन से हट सकता है?

- (क) हाँ, यदि अपराध छोटा हो
- (ख) हाँ, न्यायालय की अनुमति से
- (ग) नहीं, जब तक केंद्र सरकार से अनुमति न मिले
- (घ) हाँ, यदि पीड़ित सहमत हो

1075. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, यदि अभियोजन केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए गए अपराध से संबंधित हो, तो अभियोजन हटाने से पहले क्या आवश्यक है?

- (क) संसद की अनुमति
- (ख) केंद्र सरकार की अनुमति
- (ग) न्यायालय की अनुमति
- (घ) राज्यपाल की अनुमति

1076. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, लोक अभियोजक कब अभियुक्त को किसी एक या एक से अधिक अपराधों से अभियोजन से हटा सकता है?

- (क) मुकदमे के आरंभ में
- (ख) साक्ष्य समाप्त होने के बाद
- (ग) निर्णय सुनाए जाने से पहले कभी भी
- (घ) पीड़ित के बयान के बाद

1077. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, यदि अभियोजन केंद्र सरकार की सम्पत्ति के नुकसान से संबंधित हो, तो अभियोजन से हटने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है?

- (क) उच्च न्यायालय
- (ख) राज्य सरकार
- (ग) केंद्रीय सतर्कता आयोग
- (घ) केंद्र सरकार

1078. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 में न्यायालय को क्या करना चाहिए यदि अभियोजन से हटने की याचिका प्रस्तुत की गई हो और पीड़ित को नहीं सुना गया हो

- (क) अभियोजन स्वीकृत कर लेना चाहिए
- (ख) अभियुक्त को दोषी घोषित कर देना चाहिए
- (ग) पीड़ित को सुनवाई का अवसर देना चाहिए
- (घ) अभियोजन को अस्वीकार कर देना चाहिए

1079. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 में अभियोजन से हटने पर किस स्थिति में अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जाता है?

- (क) जब निर्णय सुना दिया गया हो
- (ख) जब आरोप तय हो चुके हों

(ग) जब आरोप तय नहीं हुए हों

(घ) जब अभियोजन केंद्र सरकार द्वारा किया गया हो

1080. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 में "बरी" करने का क्या तात्पर्य है?

(क) अभियोजन का स्थानांतरण

(ख) आरोपमुक्ति आदेश

(ग) अभियुक्त का पुनः परीक्षण

(घ) अंतिम रूप से दोषमुक्त कर देना

1081. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, अभियोजन से हटने का अनुरोध किसके द्वारा किया जा सकता है?

(क) पुलिस अधीक्षक

(ख) पीड़ित

(ग) लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक

(घ) न्यायिक दंडाधिकारी

1082. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, यदि अभियोजन केंद्र सरकार की सम्पत्ति के नुकसान से संबंधित हो और न्यायालय में लंबित हो, तो न्यायालय को पहले क्या देखना होता है?

- (क) आरोपी दोषी है या नहीं
- (ख) केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त हुई है या नहीं
- (ग) अभियुक्त की अनुपस्थिति
- (घ) पुलिस की रिपोर्ट

1083. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 के अनुसार, क्या अभियोजन से हटने के लिए न्यायालय को यह देखना आवश्यक है कि पीड़ित को अवसर मिला या नहीं?

- (क) नहीं, अभियोजन की अनुमति ही पर्याप्त है
- (ख) केवल गंभीर मामलों में
- (ग) हाँ, यह अनिवार्य है
- (घ) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है

1084. बी.एन.एस.एस. अधिनियम 2023 की धारा 360 में पीड़ित को किस चरण में सुनवाई का अवसर अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए?

- (क) चार्ज फ्रेम के बाद
- (ख) ट्रायल के अंत में
- (ग) अभियोजन से हटने की याचिका के समय
- (घ) दोष सिद्धि के बाद

